सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
(आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

2015 का प्रतिवेदन संख्या–2

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
डब्लूडब्लूडब्लू.सीएजी.जीओवी.इन

डब्लूडब्लूडब्लू.एजीयूपी.एनआईसी.इन

उत्तर प्रदेश सरकार – 2015 का प्रतिवेदन संख्या–2

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

(आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

2015 का प्रतिवेदन संख्या–2

Filename: Cover.DOC
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: GOPAL SINGH
Keywords:
Comments:
Creation Date: 10/10/2005 11:52:00 AM
Change Number: 87
Last Saved On: 2/17/2015 3:18:00 PM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 209 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 6:06:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 28 (approx.)
Number of Characters: 165 (approx.)

विषय–सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		iii
	विहंगावलोकन		v-vii
	अध्याय 1		
	प्रस्तावना	1	1-5
	इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
	बजट की रूपरेखा	1.2	1
	राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	2
	सतत बचतें	1.4	2
	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरित निधि	1.5	3
	भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान	1.6	3
	लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन	1.7	3
	निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता	1.8	4
	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकनों (प्रस्तरों/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.9	4
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	1.10	5
	राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.11	5
	अध्याय 2		
	कानपुर विकास प्राधिकरण की निष्पादन लेखा परीक्षा	2.1	7-22
	कार्यकारी साराँश	--	7
	प्रस्तावना	2.1.1	8
	संगठनात्मक ढाँचा	2.1.2	9
	लेखा परीक्षा उद्देश्य	2.1.3	9
	लेखा परीक्षा मानदण्ड	2.1.4	10
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.1.5	10
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.1.6-2.1.11.2	10-21
	वित्त अनुभाग	2.1.6	10
	सम्पत्ति अनुभाग	2.1.7	12
	नियोजन अनुभाग	2.1.8	14
	अभियंत्रण अनुभाग	2.1.9	17
	विक्रय अनुभाग	2.1.10	20
	प्रवर्तन अनुभाग	2.1.11	21
	निष्कर्ष	2.1.12	22
	जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर दीर्घ प्रस्तर	2.2	23-33
	प्रस्तावना	2.2.1	23
	संगठनात्मक ढांचा	2.2.2	23
	लेखा परीक्षा उद्देश्य	2.2.3	23
	लेखा परीक्षा मानदण्ड	2.2.4	24
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.2.5	24
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.2.6-2.2.10.1	24-32
	भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं		25
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2.2.6	25
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम	2.2.7	26
	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		29
	औद्योगिक आस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का उच्चीकरण	2.2.8	29
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना	2.2.9	31
	हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना	2.2.10	32
	निष्कर्ष	2.2.11	33

	अध्याय 3		
	अनुपालन लेखापरीक्षा	3	35-39
	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
	ठेकेदार को अनुचित लाभ	3.1	35
	सम्पत्ति का कब्जा हस्तगत करने में देरी के कारण हानि	3.2	36
	कार्नर भूखण्ड पर अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना	3.3	37
	वन विभाग		
	रायल्टी की कम वसूली के कारण हानि	3.4	37
	ऊर्जा विभाग		
	अधिशेष निधियों का अविवेकपूर्णरूप से रखा जाना	3.5	38
	परिशिष्टियाँ		
1.1	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को दर्शाती हुई विवरणी	1.8	41
1.2	राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो को दर्शाती हुई विवरणी	1.11	42
2.1	संगठनात्मक चार्ट, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 51 (2) के अर्न्तगत कानपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन	2.1.2.2	43
2.2	सावधि जमा में कम दरो पर विनियोजन को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.6.2	48
2.3	आटो–स्वीप सुविधा न लेने के कारण हुई ब्याज की हानि को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.6.3	56
2.4	भारतीय स्टेट बैंक से किराये की कम वसूली को दर्शाती हुई विवरणी	2.1.6.4	57
2.5 (अ)	तल क्षेत्र अनुपात (त.क्षे.अ.) प्रभार की कम वसूली से सम्बन्धित प्रेक्षण	2.1.8.3	58
2.5 (ब)	पार्किंग क्षेत्र के अपर्याप्त प्रावधान से सम्बन्धित प्रेक्षण	2.1.8.3	61
2.6	2010–11 से 2013–14 की अवधि में 69 जिला उद्योग केन्द्रों में, भारत सरकार की चार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित 25 योजनाओं का योजनावार, बजट आवंटन एवं किये गये व्ययों को दर्शाती हुई विवरणी	2.2.1	62
2.7	संगठनात्मक ढांचा : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम (एम.एस.एम.ई.) तथा निर्यात प्रोत्साहन (ई.पी.) विभाग	2.2.2	64
2.8	2010–11 से 2013–14 की अवधि में नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित दो चयनित योजनाओं एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित चार योजनाओं पर योजनावार किये गये व्ययों को दर्शाती विवरणी	2.2.5	65
2.9	2008–09 से 2013–14 की अवधि में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लस्टर प्रस्तावों, अनुमोदित परियोजना लागत एवं इसके सापेक्ष प्राप्त धनराशि को दर्शाती हुई विवरणी	2.2.7.1	66
2.10	नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में मार्च 2014 तक जिला उद्योग केन्द्र वार कुल चिन्हित क्लस्टर प्रस्तावों में से अनुमोदित प्रस्तावों एवं अनुमोदित नहीं हुए प्रस्तावों को दर्शाती हुई विवरणी	2.2.7.1	68
2.11	नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में मार्च 2014 तक औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड आवंटन की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	2.2.8.1	70
2.12	जिला उद्योग केन्द्र बरेली और कानपुर नगर में 39 आवंटित भूखण्ड जिन्हें निरस्त नहीं किया गया है, को दर्शाती हुई विवरणी	2.2.8.2	72
2.13	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण के व्यवसायों का विवरण	2.2.9	73
2.14	हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना में 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान 69 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा धनराशि के उपयोग की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	2.2.10.1	74
3.1	मोबिलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज की हानि की गणना को दर्शाती हुई विवरणी	3.1	76
3.2	ब्याज की हानि की गणना को दर्शाती हुई विवरणी	3.2	77
3.3	रायल्टी की कम वसूली को दर्शाती हुई विवरणी	3.4	78
3.4	ब्याज की हानि को दर्शाती हुई विवरणी	3.5	79
	शब्दावली		80

Filename: Toc.DOC
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: Table of contents
Subject:
Author: GOPAL SINGH
Keywords:
Comments:
Creation Date: 4/10/2014 12:00:00 PM
Change Number: 224
Last Saved On: 2/20/2015 6:09:00 PM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 345 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 6:09:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 735 (approx.)
Number of Characters: 4,195 (approx.)

प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के निष्पादन लेखा परीक्षा तथा अनुपालन लेखा परीक्षा के विशिष्ट परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि 2013–14 के दौरान किये गये नमूना लेखा परीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2013–14 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

.

Filename: Preface.DOC
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: GOPAL SINGH
Keywords:
Comments:
Creation Date: 10/10/2005 11:52:00 AM
Change Number: 90
Last Saved On: 2/17/2015 10:27:00 AM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 92 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 6:10:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 1
Number of Words: 111 (approx.)
Number of Characters: 634 (approx.)

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों के निष्पादन लेखा परीक्षा एवं वित्तीय संव्यवहारों के लेखा परीक्षा परिणामों से सम्बन्धित एक समीक्षा, एक दीर्घ प्रस्तर तथा पाँच प्रस्तर शामिल है। महत्वपूर्ण प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों ने वांछित उद्देश्यों को कम से कम लागत पर प्राप्त किया है और अभीष्ट लाभ पहुँचाया है या नहीं।

1.1 कानपुर विकास प्राधिकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा

कानपुर विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन सितम्बर 1974 में हुआ था। प्राधिकरण की निष्पादन लेखा परीक्षा 9 दिसम्बर 2013 से 15 जुलाई 2014 के मध्य सम्पादित की गयी जिसमें 2013–14 तक की पाँच वर्षों की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों पर चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

- प्राधिकरण ने बिना तर्कसंगतता को अभिलेखबद्ध किए नौ चालू बैंक खाते खोल रखे थे। इसके अलावा, यह चालू खातों पर आटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने में असफल रहा जिसके कारण प्राधिकरण अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के मध्य ₹ 3.61 करोड़ का ब्याज अर्जित करने से वंचित रहा।

(प्रस्तर 2.1.6.3)

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पनकी गंगागंज की भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु हर्जाने का निर्धारण न किए जाने के कारण ₹ 145.23 करोड़ की धनराशि का दण्डस्वरूप परिहार्य भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.1.7.1)

- 16.367 हेक्टेअर भूमि के अर्जन प्रस्ताव के लिए अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के पास जमा धनराशि ₹ 4.32 करोड़ अवरूद्ध रही और सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को वापस प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.7.2)

- छः मानचित्रों का अनुमोदन, भवन उपविधि के विपरीत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.75 करोड़ तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

- महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के विपरीत रेलवे भूमि के रूप में चिन्हित भूमि पर समूह आवास का मानचित्र अनुमोदित किया गया।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

● प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से ₹ 9.01 करोड़ का व्यय उन कार्यों पर किया जो कि अवस्थापना कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

● प्राधिकरण ने मानचित्रों के अनुमोदन पर ₹ 9.17 करोड़ का उपकर वसूल किया किन्तु उसने सितम्बर 2014 तक ₹ 5.19 करोड़ उपकर संग्राहक (श्रम विभाग) को जमा नहीं किये।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

● प्राधिकरण ने आवासीय भूमि की दर के स्थान पर कृषि भूमि के लिए लागू सर्किल दर पर भूखण्ड आवंटित किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुयी।

(प्रस्तर 2.1.10.1)

● उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण, चार मल्टीप्लेक्स आवश्यक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही संचालित हो रहे थे।

(प्रस्तर 2.1.11.2)

1.2 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर दीर्घ प्रस्तर

औद्योगिक नीति में प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था की गयी थी जो कुटीर एवं लघु उद्यमियों हेतु आवश्यक सेवायें एवं सहयोग प्रदान करें। इन केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा उचित वित्तीय एवं संगठनात्मक सहयोग प्रदान किया जाना था। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की निष्पादन लेखा परीक्षा का सम्पादन 2013–14 तक की चार वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए जुलाई 2013 से फरवरी 2014 के मध्य किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों पर चर्चा नीचे की गयी है :–

● प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, अभिलेख न बनाये जाने के कारण, 1996 लाभार्थियों को दी गयी ₹ 54.54 करोड़ की सब्सिडी की प्रमाणिकता की जाँच नहीं हो पायी।

(प्रस्तर 2.2.6.2)

● सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2009–10 में अनुमोदित साफ्ट इन्टरवेंशन – स्टील फर्नीचर क्लस्टर, लखनऊ को चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक (मार्च 2014) पूरा नहीं किया जा सका। पुनः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण लेदर क्लस्टर परियोजना, गोरखपुर रद्द हो गयी।

(प्रस्तर 2.2.7.2 एवं 2.2.7.3)

● औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे जिसके कारण नमूना जांच किये गये 15 में से 11 जिला उद्योग केन्द्रों में 614 भूखण्ड आवंटित नहीं हो पाये।

(प्रस्तर 2.2.8.1)

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना की दिशा–निर्देशों के उल्लंघन स्वरूप जिला उद्योग केन्द्र, 15 में से छः जिला उद्योग केन्द्रों में 33 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में असफल रहे।

(प्रस्तर 2.2.9.2)

• हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, योजना का व्यापक प्रसार करने में असफल रहे जिसके कारण ₹ 1.59 करोड़ की धनराशि का उपयोग नहीं हो सका।

(प्रस्तर 2.2.10.1)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा

• लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक ठेकेदार को अवरोध रहित स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण किये बिना ₹ 1.33 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम प्रदान कर, अनुचित लाभ दिया।

(प्रस्तर 3.1)

• आगरा विकास प्राधिकरण आवंटित भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल निर्धारित समय में आवंटी को प्रदान करने में असफल रहा और ₹ 20.11 लाख के ब्याज की हानि को वहन किया ।

(प्रस्तर 3.2)

• गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के शासनादेश के उल्लंघन के कारण कार्नर भूखण्डों पर शुल्क वसूल करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 98.38 लाख की धनराशि के राजस्व की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 3.3)

• रायल्टी की गणना के लिए काष्ठ के वास्तविक उत्पादन के स्थान पर अनुमानित उत्पादन को आधार मानने के परिणामस्वरूप ₹ 6.21 करोड़ की रायल्टी की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 3.4)

• उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अधिशेष निधियों को उच्च ब्याज दरों पर रखने में असफल रहा और ₹ 3.29 करोड़ के ब्याज की धनराशि की हानि को वहन किया।

(प्रस्तर 3.5)

Filename: Overview.docx
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: 31 ekpZ 2014 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, ys[kk ijh{kk izfrosnu ¼vkfFkZd {ks=&xSj lkoZtfud {ks= ds miØe½
Subject:
Author: sf
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/3/2015 11:16:00 AM
Change Number: 162
Last Saved On: 2/17/2015 3:36:00 PM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 161 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 6:13:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 875 (approx.)
Number of Characters: 4,992 (approx.)

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, राज्य के आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों के निष्पादन लेखा परीक्षा एवं संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकटित प्रकरणों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 बजट रूपरेखा, लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन तथा लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता का उल्लेख करता है। इस प्रतिवेदन का अध्याय 2 कानपुर विकास प्राधिकरण की निष्पादन लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों एवं जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर एक दीर्घ प्रस्तर से सम्बन्धित है। अध्याय 3 विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है।

1.2 बजट की रूपरेखा

राज्य के आर्थिक क्षेत्र में 18 विभाग एवं 73 स्वायत्त निकायें हैं जो महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ की लेखा परीक्षा परिधि में आते हैं। 2009–14 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान तथा उसके विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गयी है।

तालिका 1.1: 2009–14 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	41,055.82	40,641.30	48,363.47	48,019.17	52,787.37	52,946.91	62,175.69	59,906.72	66,342.70	61,983.49
समाजिक सेवाएँ	33,836.00	32,064.28	42,120.28	39,566.70	51,259.27	47,390.94	59,081.49	53,300.32	66,219.05	60,756.28
आर्थिक सेवाएँ	14,415.30	13,308.00	16,147.57	15,725.03	20,290.65	18,292.00	23,639.78	21,337.36	25,552.71	25,710.71
सहायता अनुदान एंव अंशदान	3,559.53	3,360.03	4,434.89	4364.71	5,308.25	5,255.10	6,244.67	6,179.24	9,777.74	9,696.38
योग (1)	92,866.65	89,373.61	1,11,066.21	1,07,675.60	1,29,645.54	1,23,884.95	1,51,141.63	1,40,723.64	1,67,892.20	1,58,146.86
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	24,204.70	25,091.23	22,942.96	20,272.80	25,959.73	21,573.96	26,978.26	23,834.29	32,767.40	32,862.60
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,270.95	941.85	1,025.26	968.22	1,240.15	975.57	1,324.78	1,003.24	1,953.73	1,473.34
लोक ऋण का प्रतिदान	15,254.68	7,668.59	18,164.95	7,383.08	18,356.25	8,287.61	18,843.96	8,909.04	18,587.86	8,166.74
आकस्मिक निधि	0.00	0.00	0.00	39.90	87.65	309.64	0.00	262.45	0.00	86.55
लोक लेखा संवितरण	1,98,141.05	1,01,780.30	2,33,621.79	1,17,472.99	2,41,622.91	1,30,970.76	2,64,609.27	1,29,471.51	2,84,702.18	4,49,188.03
अंतिम रोकड़ शेष	--	3,405.36	--	10,304.99	--	13,446.70	--	15,172.42	--	4,020.63
योग (2)	2,38,871.38	1,38,887.33	2,75,754.96	1,56,441.98	2,87,266.69	1,75,564.24	3,11,756.27	1,78,652.95	3,38,011.17	4,95,797.89
सकल योग	3,31,738.03	2,28,260.94	3,86,821.17	2,64,117.59	4,16,912.23	2,99,449.19	4,62,897.90	3,19,376.59	5,05,903.37	6,53,944.75

(स्रोतः सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

₹ 2,02,613.33 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध ₹ 1,92,483 करोड़ का कुल व्यय हुआ। 2013–14 में राज्य का कुल व्यय[1] ₹ 1,65,561 करोड़ (2012–13) से बढ़कर ₹ 1,92,483 करोड़ (16.26 प्रतिशत) तक हो गया, 2013–14 में राजस्व व्यय भी ₹ 1,40,723.64 करोड़ (2012–13) से बढ़कर ₹ 1,58,146.86 करोड़ (12.38 प्रतिशत) तक हो गया। 2013–14 में गैर योजनागत राजस्व व्यय 73,673 करोड़ (2009–10) से बढ़कर ₹ 1,26,489.47 करोड़ (71.69 प्रतिशत) हो गया तथा 2009–14 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 25,091.23 करोड़ (2009–10) से बढ़कर 2013–14 में ₹ 32,862.60 करोड़ तक (30.97 प्रतिशत) हो गया।

वर्ष 2009–14 के दौरान कुल व्यय का 77 से 85 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय का था एवं पूँजीगत व्यय 15 से 23 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय 14 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा जबकि 2009–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

1.4 सतत् बचतें

पिछले 5 वर्षों में 18 मामलों में, प्रत्येक वर्ष ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुयी जैसा कि **तालिका 1.2** में वर्णित है:

तालिका 1.2 : 2009–14 के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व दत्तमत						
1	**11 :** कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	720.33	217.67	766.37	644.92	596.10
2	**15:** कृषि एवं अन्य सम्बंद्ध विभाग (पशुपालन)	19.46	20.15	34.21	23.06	662.21
3	**32**: चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	414.68	203.62	145.70	403.79	471.33
4	**37:** नगरीय विकास विभाग	54.47	711.79	625.51	238.51	654.69
5	**42**: न्यायिक विभाग	191.88	230.59	172.36	178.52	223.31
6	**48:** अल्प संख्यक कल्याण विभाग	350.04	272.00	13.69	104.26	201.19
7	**54**: लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	442.11	396.56	238.54	681.45	1,041.27
8	**61**: वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	217.26	77.26	59.73	65.45	87.57
9	**73**: शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	93.50	571.89	745.76	816.09	348.28
10	**83:** समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	291.56	110.33	792.46	1762.10	1,315.74
	योग	2,795.29	2,811.86	3,594.33	4,918.15	5,601.69
पूँजीगत दत्तमत						
1	**11**: कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	32.74	50.30	100.86	177.73	470.53
2	**21:** खाद्य एवं जन आपूर्ति विभाग	627.50	3963.00	1811.78	1039.49	4,646.82
3	**32:** चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	151.78	39.30	147.14	230.68	283.83
4	**37:** नगरीय विकास विभाग	374.16	687.12	261.77	737.99	369.91
5	**42**: न्यायिक विभाग	107.22	96.09	78.43	21.23	336.17
6	**48:** अल्प संख्यक कल्याण विभाग	134.62	165.56	373.36	164.73	148.22
7	**73:** शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	20.55	27.27	19.28	123.76	185.35
8	**83:** समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	724.30	103.62	415.46	588.84	524.04
	योग	2,172.87	5,132.26	3,208.07	3,084.45	6,964.87

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन खाते)

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

1.5 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधि

2013–14 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को, राज्य बजट के माध्यम के बिना, सीधे, ₹ 12,282.27 करोड़ स्थानांतरित किया। राज्य में ऐसा कोई भी अभिकरण नहीं हैं जो भारत सरकार (भा.स.), द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधियों की निगरानी करें तथा निधि का किसी वर्ष विशेष में सर्वप्रमुख योजनाओं एवं अन्य प्रमुख योजनाओं पर वास्तव में कितना व्यय किया गया, जिनका कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों एवं वित्त–पोषण सीधे भा.स. द्वारा किया जा रहा है, से सम्बन्धित तैयार आकड़े उपलब्ध नहीं है।

1.6 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दर्शाए गए है:

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर–योजना अनुदान	3,947.97	3,092.99	4,396.73	4,341.00	7,933.79
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5,624.01	6,772.07	6,813.28	5,518.39	6,595.22
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	7,569.25	5,568.59	6,549.89	7,478.40	225.90
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.26
योग	17,141.23	15,433.65	17,759.90	17,337.79	22,405.17
पूर्व वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि / (कमी)	49	(-10)	15	(-2)	29.23
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	18	14	14	12	13.32

(स्रोतः सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)

1.7 लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन

लेखा परीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं / परियोजनाओं आदि का उनके क्रियात्मक जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों का रवैया एवं पिछले लेखा परीक्षा परिणामों के आधार पर जोखिम आकलन के साथ शुरू होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखा परीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखा परीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन में संकलित कर कार्यालय अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाता है कि इसके उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित किये जाये। जब भी उत्तर प्राप्त होते है, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को या तो निस्तारित कर दिया जाता है या पुनः अनुपालन की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समावेश के लिए कार्यवाही की जाती है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2013–14 में महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा राज्य के 18 विभागों से सम्बन्धित 497 इकाइयों में से 129 इकाइयों का अनुपालन लेखा परीक्षा किया गया, साथ ही एक निष्पादन लेखा परीक्षा भी किया गया।

1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) लेन–देनों के नमूना जाँच द्वारा सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों का आवधिक निरीक्षण करते है एवं महत्वपूर्ण लेखा–सम्बंधी एवं अन्य दस्तावेज/अभिलेख के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार रख–रखाव का सत्यापन करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखा परीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर निस्तारण नहीं हो पाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि अगले उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है। कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्चाधिकारी को अपने अनुपालन, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) को इन नि.प्र. की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है।

2013–14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें हुई जिनमें 14 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

मार्च 2014[2] तक 18 विभागों एवं 73 स्वायत्त निकायों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2014 तक 1105 नि.प्र. से सम्बन्धित लगभग ₹ 50,290.42 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 3911 प्रस्तर लम्बित थे। इसमें से पुराने मामले 2007–08 में निर्गत किये गये 129 नि.प्र. से सम्बन्धित थे तथा 317 प्रस्तर जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 154.92 करोड़ था पाँच वर्ष के अधिक समय से निस्तारित नहीं किये गये थे। इन 1105 नि.प्र. एवं 3911 प्रस्तर के लम्बित मामलों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल प्रेक्षणों पर विभागीय अधिकारी समयबद्ध कार्यवाही करने में असफल रहे जिससे जवाबदेही का अपरदन हुआ।

सरकार को सुझाव है कि वह मामले को देखें ताकि लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर तत्काल एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

1.9 महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकनों (प्रस्तरों/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कमी, जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, पर लेखा परीक्षा ने अपना प्रतिवेदन दिया है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखा परीक्षा कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाहीं एवं नागरिकों के सेवा प्रदेयता को सुधारने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करने पर केन्द्रित था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन/प्रस्तरों पर अपना प्रतिउत्तर एक महीने के भीतर भेजना होता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के प्रस्तरों को शामिल करने की संभाव्यता के दृष्टिकोण से इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार (ईएण्डआरएसए) के साथ निष्पादन लेखा परीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रस्तर विचार विर्मश के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गयी। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवदेनों एंव प्रस्तरों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके जवाब के लिए

[2] 30 सितम्बर 2013 तक निर्गत 1046 नि.प्र. से सम्बंधित ₹ 44,129.02 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 3593 प्रस्तर जो 31 मार्च 2014 को लम्बित थे, सम्मिलित है।

अग्रसारित भी किया गया। वर्तमान लेखा परीक्षा प्रतिवदेन के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को एक निष्पादन लेखा परीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन एवं 8 प्रस्तरों (एक दीर्घ प्रस्तर भी शामिल) को अग्रसारित किया गया। लेकिन केवल 2 मामलों पर सरकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं।

1.10 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्य–प्रणाली नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी प्रस्तर एवं समीक्षाओं पर स्वःविवेक से कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिये लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान सभा के समक्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उन पर किए गये सुधारात्मक कार्यवाही या किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही को इंगित करते हुए लेखा परीक्षा द्वारा उचित जाँचोपरान्त विस्तृत टिप्पणी भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जानी थी।

31 मार्च 2014 तक की अवधि में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों के संबंध में 31 अगस्त 2014 तक प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों (एटीएन) की स्थिति **तालिका 1.4** में दी गयी है:

तलिका 1.4: लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के प्राप्त होने की स्थिति

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2014 तक लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	प्रस्तुतीकरण की तिथि	व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त करने की निर्धारित तिथि
अर्थिक क्षेत्र (गैर–पीएसयू)	2012–13	आवासीय एवं नगरीय योजना विभाग	प्राप्त नहीं	1 जुलाई 2014	31 अक्टूबर 2014
		वन विभाग	प्राप्त नहीं	1 जुलाई 2014	31 अक्टूबर 2014
		अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	प्राप्त नहीं	1 जुलाई 2014	31 अक्टूबर 2014

(स्रोतः लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012–13, आर्थिक क्षेत्र.–गैर पीएसयू*)*

1.11 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन–देन, परिचालन सम्बन्धी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखा परीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया जाता है। राज्य में 73 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के लेखा परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखा परीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखा परीक्षा हेतु लेखाओं का समर्पण, पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का निर्गत तथा राज्य विधानमण्डल में इसका प्रस्तुतिकरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

एक स्वायत्त निकाय के वर्ष 2010–11 तथा एक अन्य स्वायत्त निकाय के लिए वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत किया गया जो अभी भी राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि के एसएआर वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लेखा, विलम्ब से प्राप्त होने के कारण, निर्गत नहीं किये गये है **(परिशिष्ट 1.2)**। इन्हें अतिशीघ्र राज्य विधान मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

Filename: Chapter 1.docx
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: sf
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/9/2015 1:11:00 PM
Change Number: 213
Last Saved On: 2/17/2015 3:55:00 PM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 128 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 6:23:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 5
Number of Words: 2,131 (approx.)
Number of Characters: 12,151 (approx.)

अध्याय 2

2.1 कानपुर विकास प्राधिकरण की निष्पादन लेखा परीक्षा

कार्यकारी सारांश

कानपुर विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन सितम्बर 1974 में हुआ था। प्राधिकरण की निष्पादन लेखा परीक्षा 9 दिसम्बर 2013 से 15 जुलाई 2014 के मध्य सम्पादित की गयी जिसमें 2013–14 तक की पाँच वर्षों की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर नीचे चर्चा की गयी है:–

वित्त अनुभाग

आटो स्वीप सुविधा का लाभ न उठाने से हानि

प्राधिकरण ने बिना तर्कसंगतता को अभिलेखबद्ध किए नौ चालू बैंक खाते खोल रखे थे। इसके अलावा, यह चालू खातों पर आटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने में असफल रहा जिसके कारण प्राधिकरण अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के मध्य ₹ 3.61 करोड़ का ब्याज अर्जित करने से वंचित रहा।

(प्रस्तर 2.1.6.3)

सम्पत्ति अनुभाग

दण्डस्वरूप हर्जाने का परिहार्य भुगतान

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पनकी गंगागंज की भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु हर्जाने का निर्धारण न किए जाने के कारण ₹ 145.23 करोड़ की धनराशि का दण्डस्वरूप परिहार्य भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.1.7.1)

विवादित भूमि का अर्जन

16.367 हेक्टेअर भूमि का अर्जन प्रस्ताव के लिए अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के पास जमा धनराशि ₹ 4.32 करोड़ अवरूद्ध रही और सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को वापस प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.7.2)

नियोजन अनुभाग

नई महायोजना की तैयारी में देरी

15 वर्ष की अवधि में नई महायोजना के अभाव में शहर का अनियोजित विकास, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के रूप में परिलक्षित हुआ।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की वसूली कम/न किया जाना

छः मानचित्रों का अनुमोदन भवन उपविधि के विपरीत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.75 करोड़ तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

रेलवे भूमि पर समूह आवासीय मानचित्र का अनुमोदन

महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन के विपरीत रेलवे के लिए चिन्हित भूमि पर समूह आवासीय मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

अभियंत्रण अनुभाग

अवस्थापना निधि से व्यय

प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से ₹ 9.01 करोड़ का व्यय उन कार्यों पर किया जो कि अवस्थापना कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

श्रम उपकर का न जमा किया जाना

प्राधिकरण ने मानचित्रों के अनुमोदन पर ₹ 9.17 करोड़ का उपकर वसूल किया किन्तु उसने सितम्बर 2014 तक ₹ 5.19 करोड़ उपकर संग्राहक (श्रम विभाग) को जमा नहीं किये।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

विक्रय अनुभाग

आवासीय भूखण्ड का कृषि दर पर अनियमित विक्रय

प्राधिकरण ने आवासीय भूमि की दर के स्थान पर कृषि भूमि के लिए लागू सर्किल दर पर भूखण्ड आवंटित किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुयी।

(प्रस्तर 2.1.10.1)

प्रर्वतन अनुभाग

बिना पूर्णता प्रमाणपत्र के मल्टीप्लेक्सों का संचालन

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण, चार मल्टीप्लेक्स आवश्यक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही संचालित हो रहे थे।

(प्रस्तर 2.1.11.2)

2.1.1 प्रस्तावना

शहर में आवासीय एवं विकास कार्यों का संचालन वर्ष 1945 तक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था, इसके बाद डेवलपमेण्ट बोर्ड ने कार्य प्रारम्भ किया तथा वर्ष 1960 तक कार्यरत रहा, जब नगर महापालिका की स्थापना हुयी। उत्तर प्रदेश सरकार (शासन) ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (अधिनियम) के अधीन विज्ञाप्ति (सितम्बर 1974 एवं मई 1975) के द्वारा निम्न मुख्य उद्देश्यों हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का गठन किया:

- कानपुर क्षेत्र का विकास प्रोत्साहित एवं सुरक्षित करना;
- निर्माण, अभियंत्रण, खनन एवं अन्य कार्यवाही संचालित करना;
- जल एवं विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य को निश्पादित करना;
- अपशिष्ट का निस्तारण करना तथा अन्य सेवायें एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना; और
- ऐसे विकास हेतु भूमि एवं अन्य सम्पत्ति को अधिगृहित करना, धारित करना, प्रबंध करना एवं निस्तारण करना।

प्राधिकरण की निष्पादन समीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा–13 के अधीन निष्पादित की गयी है।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

अधिनियम की धारा–4 के अनुसार, प्राधिकरण एक निगमित निकाय है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मोहर है जिसमें सम्पत्ति को अधिग्रहित करने, धारित करने और निस्तारित करने की शक्ति है।

2.1.2.1 प्राधिकरण बोर्ड का गठन

अधिनियम के अनुसार, प्राधिकरण बोर्ड के गठन (बीओए), एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, छः पदेन सदस्य (सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, सचिव वित्त विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, मुख्य नगर अधिकारी एवं कानपुर नगर और कानपुर देहात का जिलाधिकारी), कानपुर नगर निगम के चार सदस्य एवं राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, से मिलकर होगा।

2.1.2.2 प्राधिकरण की स्थिति

प्राधिकरण के दैनिक कार्यकलापों का नियन्त्रण उपाध्यक्ष के अधीन होता है जिसका संपादन एक सचिव, एक अपर सचिव, एक वित्त नियंत्रक, एक मुख्य नगर नियोजक एवं एक मुख्य अभियंता के माध्यम से होता है। प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा एवं अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है। प्राधिकरण के कार्यो का निष्पादन **तालिका 2.1.1** में दर्शित किये गये निम्न अनुभागों के द्वारा किया जाता है:–

तालिका 2.1.1 : विभिन्न अनुभागों एवं उनमें निहित कार्यों का वर्णन

अनुभाग	निहित कार्य	अनुभाग प्रमुख
सम्पत्ति	भू–अर्जन और ग्राम समाज, नजूल एवं सीलिंग भूमि से सम्बन्धित समस्त कार्य।	सचिव
नियोजन	महायोजना/भवन निर्माण उपविधि के अनुसार नियोजन एवं मानचित्रों का अनुमोदन।	मुख्य नगर नियोजक
अभियंत्रण	योजनाओं के विकास सम्बन्धी कार्य।	मुख्य अभियंता
विक्रय	योजनाओं में विकसित सम्पत्तियों का विक्रय।	संयुक्त/उपसचिव
प्रवर्तन	अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर अधिनियम के अधीन कार्यवाही।	सचिव/अपर सचिव
वित्त	प्राधिकरण के समस्त वित्त सम्बन्धी मामलों का प्रबंध करना।	सचिव

(स्रोतः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, वित्त एवं लेखा मैनुअल 2002 एवं प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

शासनादेश (जुलाई 2008) के अनुसार, अर्जन सम्बन्धी ऐसे प्रस्ताव जिसमें भूमि का क्षेत्रफल 25 एकड़ से अधिक है, में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन लिया जाना है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट, भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण और प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित समस्त नीतिगत मामलों पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन लिया जाना है।

2.1.3 लेखा परीक्षा उद्देश्य

निष्पादन समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्याः–

- भू–अर्जन की प्रक्रिया, भूमि की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के पश्चात् समय से पूर्ण की गयी थी और भूमि विकास व आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी थी।

- भूमि विकास के लिए पर्याप्त योजना बनाई गयी थी, योजनाएँ, महायोजना के अनुरूप थी और मानचित्र/तलपट मानचित्र भवन उपविधि एवं अन्य लागू नियमों के अनुरूप स्वीकृत किए गए थे।

- कार्यो का आवंटन एवं निष्पादन नियत कोडल प्रावधानों एवं निर्देशों के अनुरूप था।

2.1.4 लेखा परीक्षा मानदण्ड

निष्पादन समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा मानदण्ड के निम्नलिखित स्रोत थे :–

- उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973;
- राज्य आवास नीति 1995;
- भवन उपविधि 2008;
- महायोजना 2021 एवं क्षेत्रीय विकास अधिनियोजन;
- आवास एवं भाहरी नियोजन अनुभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश;
- प्राधिकरण बोर्ड की कार्य–सूची एवं कार्यवृत्त, प्रशासनिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन।

2.1.5 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

निष्पादन लेखा परीक्षा में वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि सम्मलित है। निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान भू–अर्जन के समस्त 9 प्रकरण, जिनमें हर्जाने का भुगतान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान हुआ था, का परीक्षण किया गया। प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सम्पत्ति के निर्माण एवं विकास के लिए ₹ 426.57 करोड़ मूल्य के निष्पादित किये गये 412 अनुबंधों में से ₹ 319.43 करोड़ मूल्य के 127 अनुबंधों (30.83 प्रतिशत), जो कुल मूल्य का 74.88 प्रतिशत था, का चयन नमूना परीक्षण हेतु *आइडिया* के द्वारा स्ट्रेटीफाइड रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 के मध्य सम्पत्ति के बल्क विक्रय के 43 प्रकरणों में 15 प्रकरणों के साथ 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली सम्पत्तियों के मानचित्र स्वीकृति के 135 प्रकरणों में से 40 प्रकरणों का परीक्षण किया गया।

हमने 14 मार्च 2014 को उपाध्यक्ष के साथ आयोजित 'इन्ट्री कान्फ्रेन्स' में प्रबंधन को लेखा परीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। लेखा परीक्षा का सम्पादन 9 दिसम्बर 2013 से 15 जुलाई 2014 के मध्य किया गया जिसमें प्राधिकरण के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। 'एग्जिट कान्फ्रेन्स' का आयोजन प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ 22 सितम्बर 2014 को किया गया।

निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राधिकरण (अगस्त 2014) और शासन (अक्टूबर 2014) को निर्गत किया गया। प्राधिकरण के उत्तर (सितम्बर 2014) में प्राप्त हुए और शासन के उत्तर अभी भी (नवम्बर 2014) प्रतीक्षित हैं। लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को अंतिम रूप देते समय प्राधिकरण के उत्तर एवं विचारों पर भलीभांति ध्यान दिया गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न अनुभागों से संबंधित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है :

2.1.6 वित्त अनुभाग

प्राधिकरण का वित्त अनुभाग प्राधिकरण के सभी प्रकार के वित्तीय मामलों का प्रबन्ध करता है। वित्त अनुभाग प्राधिकरण के सभी प्रकार के वित्तीय मामलों में समन्वय बनाये रखता है, यह वित्तीय प्रभाव वाले सभी प्रकार के मामलों तथा बोर्ड के समक्ष जाने वाले सभी ऐसे प्रस्तावों पर टिप्पणी तथा सुझाव देता है। यह बजट बनाता है, वित्तीय पुस्तकें एवं अन्य लेखा सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव भी करता है। सचिव/अपर सचिव इसका अनुभागीय प्रमुख होता है जो कि एक वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी, एक लेखाधिकारी, एक सहायक लेखाधिकारी, एक लेखाकार तथा दो सहायक लेखाकारों के माध्यम से कार्य करता है।

2.1.6.1 आय तथा व्यय

प्राधिकरण का अपना कोष होता है जिसका उपयोग अधिनियम के उपवाक्यों का अनुपालन करने में हुए व्यय हेतु किया जाता है अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं। प्राधिकरण के गत 5 वर्षों के आय और व्यय निम्न **तालिका 2.1.2** में दिये गये है:–

तालिका 2.1.2 : प्राधिकरण की आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	आय					
1	भूखण्डों/भवनों/बल्क विक्रय का आवंटन एवं नीलामी विक्रय	72.47	114.34	77.64	103.55	172.34
2	स्टाम्प ड्यूटी से आय	2.43	1.60	1.43	1.89	2.16
3	निवेश से आय	22.64	22.91	38.23	47.66	51.85
4	सम्पत्ति से अन्य आय	22.27	27.78	11.97	29.30	13.80
5	अन्य विविध आय	18.94	19.20	27.31	10.11	153.32
6	योग	138.75	185.83	156.68	192.51	393.47
	व्यय					
7	विकास सम्बन्धी व्यय	2.30	4.00	5.19	11.85	22.95
8	निर्माण कार्य	8.45	0.68	1.20	0.61	0.08
9	पार्क एवं पौध संरक्षण	1.77	1.70	1.37	0.79	2.27
10	विक्रय की लागत (विकसित भूमि की अनुपातिक लागत)	55.81	85.75	58.23	77.99	129.83
11	अन्य व्यय (ह्रास, स्थापना एवं विविध व्यय)	48.22	67.23	85.02	68.28	80.62
12	योग	116.55	159.36	151.01	159.52	235.75
13	व्यय पर आय का आधिक्य	22.20	26.47	5.57	32.99	157.72
	उप–योग (12+13)	138.75	185.83	156.68	192.51	393.47

(*स्रोत: पिछले पाँच वर्षों का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा*)

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से यह विदित है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के मध्य प्राधिकरण के कुल व्यय में 14.02 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक वृद्धि हुयी जबकि कुल आय में 24.56 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक वृद्धि हुयी।

अकुशल वित्तीय प्रबंधन पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है:

2.1.6.2 सावधि जमाओं में कम दरों पर निवेश करने के कारण ब्याज की हानि

प्राधिकरण अधिशेष निधि के निवेश हेतु कोई नीति बनाने में असफल रहा और अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित किये बिना विभिन्न बैंकों में अधिशेष निधि का निवेश किया। हमने एक ही दिन में किये गये सावधि जमाओं को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2009 से मार्च 2014 के दौरान किये गये विभिन्न सावधि जमाओं के ब्याज दरों की तुलना की और पाया कि ब्याज दरें 5.5 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक प्रसारित थी। प्राधिकरण अधिशेष निधि को उच्च दर पर निवेषित करने के अवसर को भुनाने में असफल रहा तथा ₹ 0.75 करोड़ की ब्याज की आय से वंचित रहा जो कि **परिशिष्ट 2.2** में वर्णित है।

प्राधिकरण ने कोई विशेष उत्तर नहीं दिया।

2.1.6.3 आटो स्वीप सुविधा का लाभ न उठाने से हानि

बैंक ग्राहकों के आग्रह पर चालू खातों में पड़े अधिशेष धन को सावधि जमा के रूप में स्वतः निवेश करने के लिए आटो स्वीप की सुविधा प्रदान करते है। जब आसन्न व्यय को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तब यह सावधि जमा को स्वतः नकदीकरण की भी अनुमति देता है। चालू खातों से सावधि जमा में हस्तान्तरित राशि पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। चालू खाते से सावधि

प्राधिकरण चालू बैंक खातों पर आटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने में असफल रहा जिसके कारण ₹ 3.61 करोड़ के ब्याज आय से वंचित रहा।

जमा में हस्तान्तरण के लिए प्रारम्भिक सीमा 2 लाख है और 2 लाख का औसत तिमाही शेष चालू खातें में बनाये रखना पड़ता है।

हमने देखा कि प्राधिकरण ने बिना तर्कसंगतता को अभिलेखबद्ध किये ही 9 चालू बैंक खाते खोल रखे थे। इसके अलावा यह चालू खातों पर आटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने में असफल रहा जिसके कारण प्राधिकरण अप्रैल 2009 से मार्च 2014 की अवधि में ₹ 3.61 करोड़ के ब्याज आय से वंचित रहा जो कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है।

उत्तर में, प्राधिकरण ने कम दरों पर अधिशेष निधि के निवेश के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया।

2.1.6.4 न्यून दर पर किराये की वसूली

न्यून दरों पर किराये की वसूली के कारण, प्राधिकरण को ₹ 1.40 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पूर्ववर्ती कानपुर नगर महापालिका ने भारतीय स्टेट बैंक की मोतीझील शाखा हेतु 812.32 वर्गमीटर के आच्छादित क्षेत्रफल को 11 दिसम्बर 1967 को किराये पर दिया था। प्राधिकरण की स्थापना (सितम्बर 1974) के पश्चात्, बैंक की किरायेदारी इसको हस्तान्तरित हो गयी। किराये के अनुबंध की प्रति न तो प्राधिकरण के पास उपलब्ध थी और न ही बैंक अधिकारियों के पास, इसलिए किराया आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किया गया था जो कि जिला अधिकारी, कानपुर द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराये की राशि से कम था। इस प्रकार, जनवरी 2007 से मार्च 2014 की अवधि के मध्य, न्यून दरों पर किराये की वसूली के कारण, प्राधिकरण को ₹ 1.40 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जो कि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित है।

प्राधिकरण ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2014) कि उन्होंने बैंक को किराये की शेष रकम जमा करने या परिसर खाली करने को (अप्रैल 2014) कहा है। इसके अलावा, बैंक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी शुरू की गयी है परन्तु बैंक अधिकारियों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.1.6.5 आतंरिक लेखा परीक्षा का अभाव

वित्त एवं लेखा मैनुअल भाग 12 के प्रावधान के अनुसार प्राधिकरण को पूरे वर्ष गहन लेखा परीक्षा किये जाने के लिए एक पूर्णरूपेण आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग बनाये रखना था।

हमने देखा कि प्राधिकरण में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य नहीं कर रहा था, जैसा कि प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा मैनुअल में प्रावधानित था। परिणामस्वरूप, प्राधिकरण द्वारा अधिनियम, महायोजना, लागू नियमों व विनियमों के उल्लंघन के प्रकरणों का पता नहीं लगाया जा सका।

प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित एवं लाभदायक ब्याज वाले विकल्पों में निधियों का निवेश किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को एक प्रभावी आतंरिक नियंत्रण ढ़ाँचे को भी रखना चाहिए।

2.1.7 सम्पत्ति अनुभाग

प्राधिकरण का सम्पत्ति अनुभाग, भू–अर्जन के साथ–साथ ग्राम समाज नजूल और सीलिंग भूमि से सम्बन्धित अन्य कार्यो को करता है। प्राधिकरण का सचिव, सम्पत्ति अनुभाग का अनुभागीय प्रमुख होता है जो कि एक संयुक्त सचिव, तीन तहसीलदार, दो लेखपाल, 24 अमीन और 9 सर्वेक्षक के माध्यम से कार्यो को संचालित करता है

भूमि का अर्जन

भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (भूअअ), प्राधिकरण को आवासीय योजनाओं के विकास एवं अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहीत करने के लिए सशक्त बनाता है।

उ.प्र. शासनादेश (जुलाई 2008) के अनुसार भू–अर्जन योजनाओं जिसमें भूमि का क्षेत्रफल 25 एकड़ से अधिक है, में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन अनिवार्य था। निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान, भू–अर्जन के समस्त 9 प्रकरण जिनमें हर्जाने का भुगतान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान किया गया था, का परीक्षण किया गया।

31 मार्च 2014 तक, प्राधिकरण के कब्जे में 5,296.41 हेक्टेयर भूमि थी जिसमें से केवल 2,888.02 हेक्टेयर भूमि का प्रयोग किया जा सका था जबकि 1,063.91 हेक्टेयर भूमि विवादित थी और 1,344.48 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होने के बावजूद निषप्रयोज्य रही।

160.745 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन का प्रस्ताव अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) द्वारा अंतिम आदेश हेतु प्रतीक्षित था। इसके अतिरिक्त, 67.417 हेक्टेयर भूमि के लिए फरवरी 2010 से जून 2013 तक केवल प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी की गयी थी। इस प्रकार, 228.162 हेक्टेयर भूमि के अर्जन सम्बन्धी प्रस्ताव भूमि पर विवाद एवं अतिक्रमण के कारण जुलाई 2014 तक प्रतीक्षित थे।

भूमि अर्जन संबंधित विशिष्ट प्रेक्षणों का वर्णन आगे के प्रस्तरों में किया गया है:

2.1.7.1 दण्ड स्वरूप हर्जाने का परिहार्य भुगतान

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 30 नवम्बर 1984 में पनकी गंगा गंज क्षेत्र के अर्जन को जारी रखा और अधिनियम की धारा–14 के अनुसार हर्जाने के निर्धारण का आदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कभी भी अनुपालन नहीं किया गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर 1984 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप हर्जाने का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पनकी गंगागंज की भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु हर्जाने का निर्धारण न किए जाने के कारण ₹ 145.23 करोड़ की धनराशि का दण्डस्वरूप परिहार्य भुगतान किया गया।

हमने देखा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10 जनवरी 2013 में पुनः पनकी गंगागंज क्षेत्र की भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु हर्जाने के निर्धारण और 3 माह के अंदर अवार्ड तैयार करने के लिए आदेशित किया। जनवरी 2013 के उत्तरगामी आदेश के अनुपालन में ₹ 174.43 करोड़ (₹ 60.33 करोड़ मई 2013 में और ₹ 114.10 करोड़ जून 2013 में) का भुगतान अपर जिला अधिकारी (भूमि अधियाप्ति) को उक्त प्रकरण में सम्मिलित 811–15–10 बीघा भूमि हेतु किया गया जिसमें ₹ 145.23 करोड़ दण्डस्वरूप हर्जाने की धनराशि शामिल थी।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (नवम्बर 1984) का अनुपालन न करने के कारण, ₹ 145.23 करोड़[1] की दण्डस्वरूप हर्जाने की धनराशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

पुनश्च, अराजी संख्या 62 (क्षेत्रफल 46.576 बीघा) की भूमि, जिसके सम्बन्ध में हर्जाने का भुगतान किया गया था को प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त भूमि का प्रयोग पहले से ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के पनकी ताप गृह के लिए राखी तालाब के रूप में किया जा रहा था। इस प्रकार यूपीआरवीयूएनएल के कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में भुगतान किये गये ₹ 10 करोड़[2] का हर्जाना निष्फल रहा। यूपीआरवीयूएनएल से भूमि को वापस प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा आक्षेप की पुष्टि करते हुए प्राधिकरण ने कहा (सितम्बर 2014) कि भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्तर से कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। तथ्य बना रहा कि प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश (नवम्बर 1984) पर समय पर कार्यवाही करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप हर्जाने का अधिक भुगतान करना पड़ा।

2.1.7.2 विवादित भूमि का अर्जन

भूअअ की धारा–16 के अनुसार कब्जा प्राप्त भूमि सभी अवरोधों से मुक्त होना चाहिए। प्राधिकरण ने महावीर नगर विस्तार आवासीय योजना के विकास के लिए पनकी गंगा गंज गाँव की 83 गाटा संख्या की 23.868 हेक्टेयर भूमि के अर्जन को प्रस्तावित (दिसम्बर 2002) किया। प्राधिकरण ने फरवरी 2003 से फरवरी 2006 के मध्य उक्त भूमि हेतु ₹ 6.87 करोड़ का भुगतान किया। अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्यापित) ने

[1] 281 बीघा भूमि के सम्बन्ध में ₹ 50.22 करोड़ और 530.15 बीघा भूमि के सम्बन्ध में ₹ 95.01 करोड़

[2] 46.576 बीघा x ₹ 21.50 लाख

प्रस्तावित 23.868 हेक्टेयर भूमि के विरूद्ध 8.11 हेक्टेयर भूमि का अवार्ड प्राधिकरण के पक्ष में घोषित (अप्रैल 2008) किया और अवशेष भूमि (15.758 हेक्टेयर) का स्वामित्व विवादित होने के कारण अवार्ड घोषित नहीं किया जा सका। पुनश्च अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापित) द्वारा प्राधिकरण को केवल 7.501 हेक्टेयर भूमि का कब्जा हस्तगत (जनवरी 2007) किया गया। प्राधिकरण ने अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्यापित) से अवशेष भूमि 0.609 हेक्टेयर (8.11 घटाया 7.501 हेक्टेयर) का कब्जा प्रदान करने हेतु आग्रह (अगस्त 2009) किया जो कि अभी तक (नवम्बर 2014) प्रतीक्षित है।

हमने देखा कि भू–अर्जन का उक्त प्रस्ताव, बिना इस तथ्य को सुनिश्चित किए कि भूमि सभी अवरोधो से मुक्त थी, भेजा गया था। पुनश्च यह पाया गया कि अर्जन हेतु प्रस्तावित 83 गाटा संख्याओं में से 4 गाटा संख्या जिनका क्षेत्रफल 0.763 हेक्टेयर था पर एक मैनेजमेण्ट कालेज स्थित था और 49 गाटा संख्यायें जिनका क्षेत्रफल 15.755 हेक्टेयर था, विवादित था। जिसके परिणामस्वरूप, प्रधिकरण 7.501 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करने के उपरान्त भी अपनी आवासीय योजना प्रारम्भ नहीं कर सका। इस प्रकार प्राप्त की गयी भूमि के सम्बन्ध में ₹ 1.98 करोड़ के भुगतान किए जाने के बाद अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सका।

पुनश्च, 16.367 हेक्टेयर (23.868 घटाया 7.501 हेक्टेयर) अवशेष भूमि के अर्जन प्रस्ताव (दिसम्बर 2002) के लिए अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के पास जमा धनराशि ₹ 4.32 करोड़ (फरवरी 2006) अवरूद्ध रही और सात वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को वापस प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि भूमि का एक जगह न होकर बिखरे हुए स्वरूप में होने तथा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापित) द्वारा समस्त विज्ञापित भूमि का कब्जा न प्रदान करने के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि भूमि अर्जन का प्रस्ताव प्रेषित (दिसम्बर 2002) करने से पूर्व अर्जित की जाने वाली भूमि की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.1.8 नियोजन अनुभाग

प्राधिकरण का नियोजन अनुभाग महायोजना व क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने और भवन उपविधि एवं शासनादेशों के अनुरूप सम्पत्तियों के मानचित्रों को स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत है। प्राधिकरण का मुख्य नगर नियोजक, नियोजन अनुभाग का प्रमुख होता है, जो कि एक नगर नियोजक, दो सहायक नगर नियोजकों और आठ अवर अभियन्ताओं के माध्यम से कार्यो का संचालन करता है। नियोजन अनुभाग से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गई है:

2.1.8.1 नई महायोजना की तैयारी में देरी

अधिनियम की धारा–8 के अनुसार प्राधिकरण को विकास क्षेत्र के लिए एक महायोजना तैयार करनी थी। धारा–10 के अनुसार इसके तैयार करने के उपरान्त प्रत्येक योजना प्राधिकरण द्वारा शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित की जानी थी।

15 वर्ष की अवधि में नई महायोजना के अभाव में शहर का अनियोजित विकास, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के रूप में परिलक्षित हुआ।

प्राधिकरण ने 1974 में अपनी स्थापना के समय से शासन की महायोजना 1991 (1970 से 1991 तक की अवधि के लिए लागू) को अंगीकृत किया जो कि 1991 तक प्रभावी रही। महायोजना 1991 के कालातीत हो जाने के उपरान्त नई महायोजना तैयार नहीं की गई और परिणामस्वरूप महायोजना 1991, नई महायोजना के अनुमोदन (नवम्बर 2006) तक प्रभावी रही। नई महायोजना 2021 को तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 2002 में प्रारम्भ की गयी और इसको नवम्बर 2006 में अनुमोदित किया जा सका। 15 वर्ष की समयावधि में पुनरीक्षित/नई महायोजना के अभाव में शहर का अनियोजित विकास, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के रूप में परिलक्षित हुआ जोकि अभी भी विवादित भू–उपयोग परिवर्तन और अवैध निर्माण के अनियमित शमन के रूप में प्रभावी है जिसकी चर्चा इस प्रतिवेदन के विभिन्न प्रस्तरों में की गई है।

पुनश्च, अधिनियम की धारा–9 के अनुसार महायोजना की तैयारी के साथ–साथ अथवा उसके तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र, प्राधिकरण को प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जिसमें विकास क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है, क्षेत्रीय विकास योजना बनानी थी। इस प्रकार, प्राधिकरण को कानपुर विकास क्षेत्र के 11 क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाओं को तैयार करना था लेकिन प्राधिकरण आज तक इसे तैयार करने में विफल रहा। क्षेत्रीय योजनाओं के अभाव में अव्यवस्थित निर्माण प्रभावी हुए और भू–उपयोग परिवर्तन के विभिन्न प्रकरण परिलक्षित हुए।

उत्तर में, (सितम्बर 2014) प्राधिकरण ने महायोजना–2021 की तैयारी में हुई देरी को स्वीकार किया। प्राधिकरण ने पुनः कहा कि जनवरी 2013 में तीन जोन के क्षेत्रीय विकास योजनाओं की तैयारी के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए जिसमें से एक जोन की क्षेत्रीय विकास योजना प्रक्रिया में है। तथ्य बना रहा कि अधिनियम की धारा–9 के अनुसार प्रत्येक जोन के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं।

2.1.8.2 मानचित्रों की स्वीकृति से सम्बन्धित अनियमितताएं

मानचित्रों की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित मानचित्रों की चार प्रतियाँ, आवश्यक शुल्क, स्वामित्व सम्बन्धी पट्टा/लाइसेंस डीड, एवं साइट प्लान के साथ जमा की जाती है। प्राधिकरण जमा मानचित्रों को स्वीकृति के समय लागू भवन उपविधि एंव अन्य विनियम के अनुसार स्वीकृत करता है। मई 1997 के शासनादेश के अनुसार मानचित्रों की स्वीकृति के लिए आवश्यक प्रक्रिया **तालिका 2.1.3** में दी गयी है:

तलिका 2.1.3: मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आवश्यकता

क्रम सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मानचित्र की स्वीकृति हेतु आवश्यकता
1	300 से अधिक	प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता
2	101 से 300 तक	वास्तुविद के प्रमाणपत्र के आधार पर स्वतः स्वीकृत माने जाएगे
3	100 से कम	प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता न होना बशर्ते महायोजना के प्रतिबन्धों का अनुपालन किया गया हो

(स्रोतः उत्तर प्रदेश शासनादेश सं. 1614 दिनांक 01 मई 1997)

पुनश्च 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाले भूखण्ड़ो के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति का अधिकार मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक को है, 500 वर्गमीटर से 1,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति का अधिकार सचिव/अपर सचिव को है, तथा 1,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति का अधिकार प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को है। निष्पादन लेखा परीक्षा में शामिल अवधि में प्राधिकरण ने 135 मानचित्रों (1,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले) को स्वीकृत किया। लेखा परीक्षा ने गहन परीक्षण हेतु इसमें से 40 मानचित्रों के प्रकरणों का परीक्षण किया और भवन उपविधि के उल्लंघन के प्रकरणों को पाया जैसा कि तल क्षेत्रफल अनुपात के लिए शुल्क की वसूली कम/न किया जाना, पार्किंग क्षेत्र के लिए अपर्याप्त प्रावधान, शमन इत्यादि जिसकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है:

छः मानचित्रों का अनुमोदन भवन उपविधि के विपरीत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.75 करोड़ तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की कम वसूली हुई।

2.1.8.3 भवन उपविधि का अनुपालन न किया जाना

भवन उपविधि के अनुपालन न किये जाने से सम्बन्धित अनियमितताएँ पायी गयीं जिसके परिणाम स्वरूप बिल्डरों को अनुचित लाभ हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गयी है :

तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की वसूली कम/न किया जाना

तल क्षेत्रफल अनुपात (तक्षेअ) वह अनुपात है जो किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त होता है। हमने पाया कि प्राधिकरण ने भवन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत, क्रययोग्य तक्षेअ पर उपयुक्त चार्जेस की वसूली किए बिना बिल्डर्स को अत्यधिक तक्षेअ दिए, सकल क्षेत्रफल से पार्क/खुले भाग/सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित क्षेत्रफलों को नहीं घटाया तथा नीलामीं शर्तों के विपरीत अत्यधिक तक्षेअ दिए, जिसके परिणामस्वरूप छः मानचित्रों की स्वीकृति

पर ₹ 7.75 करोड़ तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की कम वसूली हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.5 (अ)** में वर्णित है।

पार्किंग क्षेत्र के लिए अपर्याप्त प्रावधान किया जाना

भवन उपविधि 2008, के उपवाक्य 3.10.3 के अनुसार समूह आवासीय सम्पत्तियों के लिए 50 से 75 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर एक कार, 75 से 150 वर्गमीटर तक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.25 कार तथा 150 वर्गमीटर से अधिक तल क्षेत्रफल के प्रत्येक फ्लैट पर 1.5 कार क्षेत्र आवश्यक था। सितम्बर 2011 से प्रत्येक 100 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल पर 1.5 कार क्षेत्रफल पार्किंग क्षेत्रफल के रूप में आवश्यक था और कुल पार्किंग क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भाग विजिटर्स पार्किंग के लिए प्राविधानित किया जाना था।

हमने दो प्रकरणों में देखा कि उक्त प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत मानचित्र में पार्किंग क्षेत्रफल आवश्यकता से कम रहा जैसा कि **परिशिष्ट 2.5 (ब)** में वर्णित है।

पार्किंग क्षेत्र के अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण अनियोजित विकास हुआ।

प्राधिकरण को मानचित्रों की स्वीकृति के दौरान महायोजना एवं भवन उपविधि में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए।

2.1.8.4 रेलवे भूमि पर समूह आवासीय मानचित्र का अनुमोदन

महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन के विपरीत रेलवे भूमि के रूप में चिन्हित भूमि पर समूह आवास मानचित्र का अनुमोदन किया गया।

महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन के उपवाक्य 11.1.9.1 के अनुसार, महायोजना में विशिष्ट उपयोग हेतु चिन्हित भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु ही अनुमन्य था। हमने देखा कि भूखण्ड संख्या 84/250 झकरकटी, कानपुर को महायोजना 2021 के अनुसार रेलवे भूमि के रूप में चिहिन्त किया गया था। प्राधिकरण ने महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन के विपरीत उक्त भूमि पर समूह आवास के निर्माण हेतु मानचित्र अनुमोदित (मार्च 2012) किया। उक्त मानचित्र के अनुमोदन को निरस्त करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

एग्जिट कान्फ्रेंस में उपाध्यक्ष ने कहा कि रेलवे भूमि पर अनुमोदित मानचित्र के निरस्तीकरण के लिए शासन से अनुरोध किया गया है।

2.1.8.5 बिना भू–उपयोग परिवर्तन के मानचित्र की स्वीकृति

महायोजना 2021 के जोनिगं रेगुलेशन के उपवाक्य 11.1.9.1 के अनुसार, महायोजना में विशिष्ट उपयोग हेतु चिंन्हित भूमि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है।

पुनश्च, अधिनियम की धारा–13 के अनुसार, प्राधिकरण, महायोजना में ऐसा कोई भी संशोधन कर सकता है जो उसके विचार में योजना के चरित्र को परिवर्तित नहीं करता है। यह पुनः प्रदत्त करता है कि योजना में किसी प्रकार का संशोधन करने से पूर्व, प्राधिकरण विकास क्षेत्र में प्रसार वाले कम से कम एक समाचार पत्र में ऐसी दिनांक से पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करेगा तथा सभी आपत्तियों एवं सुझावों, जो प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार को प्राप्त हो, पर विचार करेगा।

निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि महायोजना 2021 में गाँव बैकुण्ठपुर को आवासीय' और गाँव ईश्वरीगंज को 'ग्रीन वर्ज/खुला स्थल' के रूप में चिन्हित किया गया था। जबकि हमने पाया कि गाँव ईश्वरीगंज के भूखण्ड संख्या 334 से 344 और 378 से 380 तथा गाँव बैकुण्ठपुर के भूखण्ड संख्या 308, 334, 315, 332, 375 तथा 381 को बिना भू उपयोग परिवर्तन किये ही, शमन मानचित्र में शैक्षिक उद्देश्यों के उपयोग हेतु भूमि के लिए मार्च 2012 में स्वीकृत किया गया।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में (सितम्बर 2014) बिना भू उपयोग परिवर्तन किए मानचित्र स्वीकृति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

2.1.8.6 विकास शुल्क का कम आरोपण किया जाना

शासनादेश (दिसम्बर 2001) के अनुसार विकास शुल्क का आरोपण, परियोजना के सम्पूर्ण आच्छादित क्षेत्रफल पर तत्समय प्रभावी दर से किया जाना था।

प्राधिकरण ने ₹ 5.01 करोड़ विकास शुल्क कम आरोपित किया।

हमने एक[3] प्रकरण में पाया कि प्राधिकरण ने आच्छादित क्षेत्रफल (76,112 वर्गमीटर) के स्थान पर निर्मित क्षेत्रफल (8,923.56 वर्गमीटर) पर विकास शुल्क का आरोपण (मार्च 2012) किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़[4] की कम वसूली हुई।

प्राधिकरण ने, इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की।

2.1.8.7 आर्थिक रूप से दुर्बल तथा अल्प आय वर्ग हेतु आवासों का प्रावधान न किया जाना

शासनादेश (सितम्बर 2011) के अनुसार, कुल अनुमोदित आवासीय इकाईयों के 10 प्रतिशत की सीमा तक आर्थिक रूप से दुर्बल तथा अल्प आय वर्ग हेतु आवासों का प्रावधान किया जाना था। हमने सात[5] प्रकरणों में पाया कि प्राधिकरण ने बिना उक्त प्रावधान को सुनिश्चित किए समूह आवास के मानचित्र स्वीकृत किए और प्राधिकरण ने एक प्रकरण जिसमें शासनादेश (सितम्बर 2011) के अनुसार आवश्यक 103 इकाईयों के स्थान पर केवल 24 इकाईयों का प्रावधान किया गया था, का समूह आवास (महावीर सहकारी आवास समिति) मानचित्र अनुमोदित किया।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया गया।

2.1.9 अभियंत्रण अनुभाग

प्राधिकरण के अभियंत्रण अनुभाग को प्राधिकरण की नयी एवं आगामी योजनाओं में निर्माण एवं विकास कार्यों के सम्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह विभिन्न सम्पत्तियों की लागत निर्धारित करता है। कार्यों के निश्पादन हेतु अनुबंधों का निष्पादन/कार्योदेश जारी करना, कार्यों एवं अन्य व्ययों से संबंधित बिलों की जाँच करना और भुगतानों हेतु स्वीकृति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी अनुभाग का है। प्राधिकरण का मुख्य अभियन्ता, अभियंत्रण विभाग का प्रमुख होता है जो नवम्बर 2014 की स्थिति के अनुसार चार अधिशाषी अभियन्ता, 12 सहायक अभियंता और 50 कनिष्ठ अभियंताओं के माध्यम से कार्यों का संचालन करता है। विकास कार्यों की स्वीकृति और निश्पादन के समस्त अधिकार, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष में निहित हैं।

अभियंत्रण अनुभाग द्वारा निष्पादित किये गये कार्यों से संबंधित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर चर्चा नीचे की गयी है:

2.1.9.1 भूमि के विकास एवं निर्माण कार्य में देरी

प्राधिकरण ने वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान 18 विकास योजनाओं में विभिन्न विकास कार्य जैसे–सड़क, जलापूर्ति लाइन, सीवर लाइन, अपशिष्ट निकासी और पार्क आदि किये। पिछले पाँच वर्षों के दौरान 18 विकास योजनाओं के सम्बन्ध में नियोजित कार्य एवं कार्य उपलब्धि का वर्णन **तालिका 2.1.4** में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.1.4: प्राधिकरण द्वारा नियोजित एवं प्रारम्भ किए गए कार्यों का विवरण

वर्ष	18 योजनाओं में प्रारम्भ किए गए कार्यों की संख्या	
	बजट में नियोजित	वास्तविक रूप में प्रारम्भ किए गए
2009-10	7	5
2010-11	उपलब्ध नहीं	14
2011-12	15	12
2012-13	16	3
2013-14	15	10
	53	44

(स्रोत: प्राधिकरण का अनुबंध बॉण्ड रजिस्टर एवं वार्षिक बजट)

[3] महाराणा प्रताप एजूकेशनल सेन्टर

[4] (76,112 वर्गमीटर–8923.56 वर्गमीटर)*₹746

[5] डिविनिटी हाउसिंग प्रा0 लि0, हरीओम अग्रवाल एण्ड अदर्स, सुखधाम इन्फ्रा, हरीगनेश प्रा0लि0, एमजी इन्फ्रा प्रा0लि0, श्रीमती तसलीम अशरफ तथा श्रीमती दुलारी देवी

सम्पत्तियों के निर्माण एवं विकास के लिए प्राधिकरण ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ₹ 426.57 करोड़ के 412 अनुबंधों का निश्पादन किया, जिनमें से ₹ 319.43 करोड़ के 127 अनुबंध (30.83 प्रतिशत) जो कि कुल निश्पादित अनुबंध मूल्यों का 74.88 प्रतिशत है, का चयन आइडिया के द्वारा स्ट्रेटीफाइड रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर किया साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के कार्यान्वयन का चयन किया गया।

उपरोक्त 18 विकास योजनाओं के समापन हेतु कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी थी। प्राधिकरण निर्धारित समयावधि के अभाव में सम्पादित योजनाओं के पूर्ण होने में हुयी देरी को नियंत्रित नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप 18 योजनाओं में से केवल 7 योजनाएं वर्ष 2009 से 2014 के मध्य पूर्ण की गयी और स्थानीय निकाय को हस्तगत की गयी। उपरोक्त 18 योजनाओं में से एक योजना ओ ब्लाक किदवई नगर जो कि वर्ष 1979 में प्रारम्भ हुयी थी अभी तक पूर्ण नहीं हुयी है और स्थानीय निकाय को हस्तगत नहीं हुयी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 से 2008–09 के मध्य प्रारम्भ की गयी 8 योजनाएँ पाँच वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अपूर्ण हैं। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2014 तक प्राधिकरण के वार्षिक बजट में नियोजित कार्यों में से केवल 44 निर्माण कार्य ही शुरू किये जा सके तथा शेष 9 कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया जा सका। पुनश्च, प्रारम्भ किये गये 44 कार्यों में से 12 कार्यों को ही वर्ष 2009–14 के मध्य पूर्ण किया जा सका। हालांकि, विकास योजनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी संभावित तिथि के निर्धारित न किये जाने के कारण कार्यों/योजनाओं के पूर्ण होने में हुयी देरी की गणना नहीं की जा सकी।

प्राधिकरण ने अनुबंध कार्यों के निष्पादन में हुयी देरी के लिए ठेकेदारों पर कम/कोई जुर्माना आरोपित न करके ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

- अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध को निर्धारित तिथि तक पूर्ण न करने की दशा में जुर्माने का आरोपण देरी के प्रतिदिन के लिए कार्य के कुल मूल्य का एक प्रतिशत, जो कि कार्य के कुल मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो, किया जाना था। लेखा परीक्षा हेतु चयनित अनुबंधों में हमने देखा कि 35 अनुबंधों के पूर्ण होने में देरी हुयी थी किन्तु चार प्रकरणों में ही प्राधिकरण ने सही जुर्माना आरोपित किया था। 19 अनुबंधों में कार्य पूर्ण होने में 9 माह की देरी हुयी जिसके लिए ₹ 26.78 लाख जुर्माना आरोपित किया जाना था किन्तु प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना आरोपित नहीं किया गया। शेष 12 अनुबंधों में ₹ 84.91 लाख के जुर्माने के विरुद्ध प्राधिकरण ने अभिलेखों में बिना किसी कारण को उल्लेख किए केवल ₹ 10.20 लाख का जुर्माना आरोपित किया। इस प्रकार, प्राधिकरण ने अनुबंध कार्यों के निष्पादन में हुयी देरी के लिए ठेकेदारों पर कम/कोई जुर्माना आरोपित न करके ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

2.1.9.2 मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना का निष्पादन

शहरी गरीब जनता को मुफ्त आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उ0प्र0 सरकार द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी आवास योजना (एमएसकेजेएसजीएवाई) प्रारम्भ (जून 2008) की गई। योजना का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया गया था। योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निश्पादन हेतु प्राधिकरण अन्य कार्यदायी संस्थाओं[6] में से एक थी। 5,400 आवासों के लक्ष्य जिसमें प्रथम चरण (जून 2008) में 1,500 आवास, द्वितीय चरण (जनवरी 2010) में 1,900 आवास तथा तृतीय चरण (अप्रैल 2011) में 2,000 आवास शामिल थे, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 126.80 करोड़ थी, के सापेक्ष प्राधिकरण प्रथम चरण में केवल 1,500 आवासों का निर्माण (दिसम्बर 2009) ₹ 29.35 करोड़ व्यय करते हुये कर सका। द्वितीय तथा तृतीय चरणों के 3,231 आवासों का निर्माण एवं विकास कार्य ₹ 96.89 करोड़ (नवम्बर 2014) व्यय करने के बावजूद अपूर्ण रहा।

जनवरी 2014 के शासनादेश के अनुसार योजना बन्द की जा चुकी थी तथा योजना के अंतर्गत कार्यों को 15 फरवरी 2014 तक पूरा किया जाना था तथा 16 फरवरी 2014

[6] राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण/जिला नगरीय विकास प्राधिकरण, तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अन्य कार्यदायी संस्थाएं थीं।

तक शासन को अप्रयुक्त अवशेष धनराशि सहित अनुपालन आख्या भेजी जानी थी। हमने देखा कि, ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का अप्रभावी पर्यवेक्षण व अनुश्रवण तथा ठेकेदारों के चयन में कमी के कारण, प्राधिकरण अवशेष कार्यों को 16 फरवरी 2014 तक पूर्ण कराने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, प्राधिकरण निर्धारित अवधि के अनुसार अनुपालन आख्या भेजने में असफल रहा।

- एमएसकेजेएसजीएवाई के दिशा–निर्देशों (जुलाई 2008) के अनुसार, कार्यों को स्वीकृत लागत के अंदर ही पूर्ण किया जाना था तथा किसी भी प्रकार मूल्य वृद्धि अनुमन्य नहीं थी। हमने देखा कि योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत प्राधिकरण ने, कार्यों के निष्पादन व पूर्ण होने में देरी के कारण, एमएसकेजेएसजीएवाई के (द्वितीय चरण) अंतर्गत कार्यों पर ₹ 9.27 करोड़ अतिरिक्त व्यय किए जो कि जनवरी 2014 में योजना के बंद होने के उपरान्त भी शासन से अप्राप्त रहे।

प्राधिकरण ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि शासन से कोष प्राप्त होने पर उसे योजना में समायोजित कर लिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन से एमएसकेजेएसजीएवाई के तहत धनराशि प्राप्त होने की संभावना नगण्य हैं क्योंकि शासन द्वारा योजना को आदेश दिनांक 27 जनवरी 2014 द्वारा बंद किया जा चुका है।

प्राधिकरण द्वारा व्यय को मौद्रिक सीमा के अन्दर ही सीमित करते हुए तथा कार्यों को योजना में निर्धारित की गयी समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

2.1.9.3 अवस्थापना निधि से अनियमित व्यय

शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या 152 (15 जनवरी 1998) के अनुसार नगर के अवस्थापना विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा अर्जित विकास शुल्क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, फ्री होल्ड शुल्क, पंजीकरण शुल्क की आय का 90 प्रतिशत और शमन शुल्क आय का 50 प्रतिशत एक कोष में रखा जाना था।

भारत के योजना आयोग द्वारा गठित अवस्थापना समिति की प्रदत्त उपसमिति ने अवस्थापना की विस्तृत परिभाषा का वर्णन (जनवरी एवं अप्रैल 2008) किया जिसमें विद्युत (उत्पादन, पारेषण व वितरण सहित), तथा विद्युत गृहों की मरम्मत व रख–रखाव, गैर–परम्परागत ऊर्जा (पवन एवं सौर ऊर्जा सहित), जलापूर्ति व स्वच्छता (ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल निकासी व मलमूत्र निस्तारण सहित) और मार्ग प्रकाश, दूरसंचार, सड़के व पुल, बंदरगाह, अर्न्तदेशीय जलमार्ग, हवाई अड्डा, रेलवे (रोलिंग स्टाक व विस्तृत आवागमन सुविधा सहित) सिंचाई (जलावरण विकास सहित), भण्डारण, तेल तथा गैस पाइपलाइन नेटवर्क शामिल हैं।

प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से ₹ 9.01 करोड़ का व्यय ऐसे कार्यों पर किये जो कि अवस्थापना कार्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे।

हमने देखा कि प्राधिकरण ने ₹ 9.01 करोड़ के व्यय किए जो कि योजना आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा परिभाषित अवस्थापना की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे:

व्यय की मदें	धनराशि (₹ करोड़ में)
चार कालोनियों[7] की सुविधायें हस्तगत करने पर किया गया भुगतान	7.87
आयुक्त कार्यालय के नवीनीकरण का कार्य	0.84
पुलिस के लिए साइकिलों का क्रय	0.30
योग	9.01

प्राधिकरण ने उत्तर में अवस्थापना निधि से इस कार्य को स्वीकृत किए जाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

2.1.9.4 श्रम उपकर का न जमा किया जाना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (राज्य में फरवरी 2009 से लागू) की धारा–3 के अनुसार नियोजक द्वारा व्यय की गई निर्माण लागत पर जो कि एक प्रतिशत की दर से कम नहीं होगा उपकर आरोपित एवं संग्रह किया जाता

[7] गौतम विहार, जरौली फेस–2, पनकी और बर्रा–6

है। पुनश्च शासकीय अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर 2010 के अनुसार ₹ 10 लाख से अधिक लागत वाले आवासीय भवनों के सम्बन्ध में, उपकर निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाना है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 वर्णित करता है कि उक्त अधिनियम की धारा–3(1) के अन्तर्गत आरोपित उपकर का भुगतान नियोजक द्वारा उपकर संग्राहक को, निर्माण कार्य के पूर्ण होने के 30 दिन के अन्दर या देय उपकर का निर्धारण पूर्ण होने की तिथि के 30 दिन के अन्दर, दोनो में जो पहले हो, किया जायेगा।

प्राधिकरण ने मानचित्रों के अनुमोदन पर ₹ 9.17 करोड़ उपकर वसूल किए किन्तु इसने ₹ 5.19 करोड़, उपकर संग्राहक (श्रम विभाग) के पास जमा नहीं किया।

हमने देखा कि प्राधिकरण ने वर्ष 2009–10 से 2010–11 की समयावधि में 47 अनुबंधों के सापेक्ष ठेकेदारों को ₹ 27.25 करोड़ का भुगतान, ₹ 27.25 लाख का श्रम उपकर कटौती किए बिना, कर दिया। पुनश्च, 18 अनुबंधों में ₹ 11.21 लाख की कम कटौती की गई। इस कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ तथा शासकीय कोष को हानि हुई।

पुनश्च प्राधिकरण ने मानचित्रों के अनुमोदन पर श्रम उपकर की वसूली हेतु आदेश (जनवरी 2011) किया। हमने देखा कि जनवरी 2011 से मार्च 2014 तक की समयावधि में प्राधिकरण ने मानचित्रों के अनुमोदन पर ₹ 9.17 करोड़ श्रम उपकर के रूप में वसूल किए किन्तु प्राधिकरण ने केवल ₹ 3.98 करोड़ जमा किया और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा–3(1) के अंतर्गत आवश्यक शेष ₹ 5.19 करोड़, उपकर संग्राहक (श्रम विभाग) को, जमा नहीं किया।

प्राधिकरण ने कहा (सितम्बर 2014) कि श्रम विभाग द्वारा माँग किये जाने पर धनराशि जमा कर दी जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वसूली गई धनराशि को सक्षम प्राधिकारी को नियमतः जमा की जानी थी।

2.1.10 विक्रय अनुभाग

प्राधिकरण का विक्रय अनुभाग प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विकसित सम्पत्तियों के विक्रय का कार्य करता है। विक्रय अनुभाग सम्पत्तियों के पंजीकरण, नामान्तरण एवं फ्री होल्ड से सम्बन्धित कार्य निष्पादित करता है। सम्पत्तियों का आवंटन/विक्रय खुली बोली या भावी क्रेताओं के पंजीकरण उपरान्त लाटरी के माध्यम से किया जाता है। उपर्युक्त प्रकिया के माध्यम से आवेदकों के चयन उपरान्त प्राधिकरण सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करता है और सम्पत्ति के विक्रय के लिए अनुबंध पंजीकृत करता है। प्राधिकरण का सचिव/अपर सचिव विक्रय अनुभाग का प्रमुख होता है जो कि दो संयुक्त सचिव, तीन उप सचिव, तीन लेखाकारों एवं पाँच प्रधान लिपिकों के माध्यम से संचालन करता है।

2.1.10.1 आवासीय भूखण्ड का कृषि दर पर अनियमित विक्रय

आवंटन नियमानुसार (वित्त एवं लेखा मैनुअल 2002 के अध्याय 17 के उपवाक्य 3.2), भूखण्ड का आवंटन लाटरी द्वारा या वृहद प्रसार के बाद नीलामी के माध्यम से किया जाना था। उपर्युक्त के उल्लंघन में 4,615.22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड (बैरी अकबरपुर बांगर में प्लाट संख्या 1283, 1284 एवं 1285) का एक हिस्सा, ₹ 10,000 प्रति वर्ग मीटर की आवासीय भूखण्ड की दर के स्थान पर, कृषि भूमि के लिए लागू ₹ 1200 प्रति वर्ग मीटर की सर्किल दर पर एक भवन निर्माता[8] को आवंटित (मई 2010) किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़[9] की कम वसूली हुई।

प्राधिकरण ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा कि अतिक्रमण रोकने के लिए भूखण्ड का विक्रय किया गया था। तथ्य बना रहा कि आवासीय भूखण्ड को कृषि भूखण्ड की दर पर विक्रय किया गया।

---

[8] रोहित रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

[9] (₹ 5,16,90,464 *घटाया* ₹ 62,02,856)

भूखण्ड के आवंटन/विक्रय के समय, प्राधिकरण द्वारा वित्त एवं लेखा मैनुअल में परिभाषित आवंटन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.11 प्रवर्तन अनुभाग

प्राधिकरण का प्रवर्तन अनुभाग अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। प्राधिकरण का सचिव/अपर सचिव प्रवर्तन अनुभाग का प्रमुख होता है जो कि दो अधिशासी अभियन्ताओं तथा चार सहायक अभियन्ताओं के साथ 20 अवर अभियन्ताओं की सहायता से कार्य करता है।

23 जून 1997 के शासनादेश के अनुसार, अतिक्रमण रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की होती है। अधिनियम की धारा–26 डी के अनुसार, जो कोई इस अधिनियम के अन्तर्गत अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने के विशेष कर्त्तव्य के अधीन होते हुए ऐसे अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने में जानबूझकर अथवा आवश्यपूर्वक उपेक्षा करता है अथवा जानबूझकर लोप करता है, उसको साधारण कारावास जो एक माह तक का हो सकता है अथवा जुर्माना जो ₹ 10,000 तक का हो सकता है अथवा दोनो से दण्डनीय होगा।

हमने देखा कि प्राधिकरण का प्रवर्तन अनुभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहा तथा हमें दृष्टान्त मिले कि प्राधिकरण अवैध निर्माण रोकने में असफल रहा जिसको आगे के प्रस्तरों में उल्लिखित किया गया है :

2.1.11.1 समूह आवास मानचित्रों का शमन

शमन उपविधि 2009 के उपवाक्य 3.3.5 एवं 3.3.6 के अनुसार, शमन, अवैध निर्माण अनुमेय आच्छादित क्षेत्रफल तथा तल क्षेत्रफल अनुपात (तक्षेअ) के 10 प्रतिशत सीमा तक इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगा कि अवैध निर्माण को आगे जारी नहीं रखा जायेगा।

हमने देखा कि उक्त प्रावधानों के अतिक्रमण में प्राधिकरण द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल तथा तल क्षेत्रफल अनुपात की 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा का अतिक्रमण करते हुए समूह आवास मानचित्र (फरवरी 2007 से मार्च 2010) स्वीकृत किये गये।

एक भूखण्ड[10] के लिये 582.83 वर्ग मीटर की मूल स्वीकृति के विरूद्ध 715.27 वर्ग मीटर (जून 2008 से मार्च 2010 तक) शमन अनुमोदित किया गया जो कि अनुमन्य आच्छादित क्षेत्रफल का 22.72 प्रतिशत था तथा 2,309.08 वर्ग मीटर की मूल स्वीकृति के विरूद्ध 4,989.53 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल अनुपात अनुमोदित किया गया जो कि अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात का 116.08 प्रतिशत था। इसी प्रकार दूसरे भूखण्ड[11] के सम्बंध में, 3,062.20 वर्ग मीटर की मूल स्वीकृति के विरूद्ध 5,436.55 वर्ग मीटर (जुलाई 2008 से दिसम्बर 2009) तल क्षेत्रफल अनुपात अनुमोदित किया गया जो कि अनुमन्य तल क्षेत्रफल अनुपात का 77.60 प्रतिशत था। दोनों प्रकरणों में प्रवर्तन अनुभाग अनुमन्य सीमा से अधिक निर्माण को रोकने में असफल रहा।

प्राधिकरण ने कहा (सितम्बर 2014) कि शमन 10 प्रतिशत की सीमा तक ही किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवैध भाग का शमन तथा तक्षेअ शमन उपविधि 2009 के उपवाक्यों 3.3.5 एवं 3.3.6 के अतिक्रमण में अनुमन्य आच्छादित क्षेत्रफल तथा तल क्षेत्रफल अनुपात की तय सीमा 10 प्रतिशत से अधिक किया गया था।

2.1.11.2 बिना पूर्णता प्रमाणपत्र के मल्टीप्लेक्सों का संचालन

अधिनियम की धारा–27 के अनुसार, जहाँ कोई निर्माण, महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना के विपरीत अथवा प्राधिकरण की बिना स्वीकृति/अनुमोदन के किया गया हो, ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने, हटाने व गिराने का अधिकार प्राधिकरण को है।

[10] पार्वती बंगला रोड पर स्थित 2112.57 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल का भूखण्ड सं0 4/276 पी
[11] पार्वती बंगला रोड पर स्थित 2438.61 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल का भूखण्ड सं0 4/276

अधिनियम की धारा–15अ के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी वाणिज्यिक भवन को न तो अध्यासित करेगा और न ही किसी को अध्यासित करने की अनुमति देगा और न ही ऐसे भवन अथवा उसके भाग का उपयोग करेगा या किसी को उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाये।

शहर में चार मल्टीप्लेक्स प्राधिकरण से 15अ के अंतर्गत आवश्यक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना, संचालित किये जा रहे थे।

हमने देखा कि प्राधिकरण ने शहर में चार मल्टीप्लेक्सों[12] के मानचित्र अनुमोदित किये जो कि अधिनियम की धारा–15अ के अंतर्गत आवश्यक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त किये बिना, मानचित्र स्वीकृति की तिथि से 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी, संचालित किये जा रहे थे। किंतु प्राधिकरण का प्रवर्तन अनुभाग अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही करने में असफल रहा।

प्राधिकरण ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि पूर्णता प्रमाण पत्र अभी तक निर्गत नही किये गये हैं। पुनश्च एक्जिट कांफ्रेन्स में, अध्यक्ष ने कहा कि वाणिज्यिक भवनो के संचालन के पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु बैंक गारण्टी लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। तथ्य बना रहा कि प्रवर्तन अनुभाग अपनी प्राथमिक कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहा।

प्रवर्तन अनुभाग को अवैध निर्माण को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिये स्थलों की नियमित जाँच हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता है।

2.1.12 निष्कर्ष

- प्राधिकरण अधिशेष निधि को उच्च दर पर निवेशित करने के अवसर को भुनाने में असफल रहा और ₹ 0.75 करोड़ की ब्याज की आय से वंचित रहा। प्राधिकरण ने बिना तर्कसंगतता को अभिलेखबद्ध किए नौ चालू बैंक खाते खोल रखे थे। इसके अलावा, यह चालू खातों पर आटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने में असफल रहा जिसके कारण प्राधिकरण अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के मध्य ₹ 3.61 करोड़ का ब्याज अर्जित करने से वंचित रहा।

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पनकी गंगागंज की भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु हर्जाने का निर्धारण न किए जाने के कारण ₹ 145.23 करोड़ की धनराशि का दण्डस्वरूप परिहार्य भुगतान किया गया।

- 15 वर्ष की अवधि में नई महायोजना के अभाव में शहर का अनियोजित विकास, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के रूप में परिलक्षित हुआ। छः मानचित्रों का अनुमोदन भवन उपविधि के विपरीत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.75 करोड़ तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की कम वसूली हुई। इसके अलावा, महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के विपरीत रेलवे भूमि के रूप में चिन्हित भूमि पर समूह आवास का मानचित्र अनुमोदित किया गया।

- प्राधिकरण ने मानचित्रों के अनुमोदन पर ₹ 9.17 करोड़ का उपकर वसूल किए किन्तु उसने सितम्बर 2014 तक ₹ 5.19 करोड़ उपकर संग्राहक (श्रम विभाग) को जमा नहीं किया।

- प्राधिकरण ने आवासीय भूमि की दर के स्थान पर कृषि भूमि के लिए लागू सर्किल दर पर भूखण्ड आवंटित किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुयी।

- उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, की धारा 27 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किए जाने में असफल रहने के कारण आवश्यक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही चार मल्टीप्लेक्स संचालित हो रहे थे।

[12] रेव–3 (मई 2000), रेव–@ मोती (अक्टूबर 2005), जेड स्कावयर मॉल (अप्रैल 2006) तथा साउथ एक्स मॉल (मार्च 2011)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

2.2 जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर दीर्घ प्रस्तर

2.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार के नये औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 ने कुटीर एवं लघु उद्योगों, जो ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों में व्यापक रूप से फैले हुये हैं, के प्रभावी संवर्धन पर जोर दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, औद्योगिक नीति में हर जिले में उद्योग केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था की गई जो कुटीर एवं लघु उद्यमियों हेतु आवश्यक सेवायें एवं सहयोग प्रदान करें। इन केन्द्रों को राज्य सरकार के माध्यम से उचित वित्तीय एवं संगठनात्मक सहयोग प्रदान किया जाना था।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1978–79 के दौरान 69 जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की, जो वर्तमान में राज्य के सभी 75[13] जिलों के काम को आच्छादित करते हैं।

लेखा परीक्षा में ली गई अवधि (2010–11 से 2013–14) के मध्य, जिला उद्योग केन्द्रों ने ₹ 347.14 करोड़ लागत की 29 योजनाओं को क्रियान्वित किया जिनमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित चार योजनायें (₹ 264.23 करोड़) एवं राज्य सरकार से वित्त पोषित 25 योजनायें (₹ 82.91 करोड़) शामिल हैं जिसका विस्तृत उल्लेख **परिशिष्ट 2.6** में तथा सारांश नीचे दी गयी **तालिका 2.2.1** में वर्णित है:

तालिका 2.2.1: भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर 69 जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से सम्प्रेक्षा अवधि 2010–11 से 2013–14 के मध्य किया गया कुल व्यय।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
1	भारत सरकार द्वारा प्रायोजित चार योजनायें	114.79	9.61	26.24	113.59	264.23
2	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित 25 योजनायें	16.03	17.13	20.91	28.84	82.91
	योग	**130.82**	**26.74**	**47.15**	**142.43**	**347.14**

(स्रोत: उद्योग निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

उद्योग निदेशालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश की एक कार्यात्मक शाखा है। जिला उद्योग केन्द्रों का प्रशासनिक नियंत्रण, उद्योग निदेशालय में निहित है। प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में महाप्रबन्धक मुख्य अधिकारी होता है एवं प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक तथा सहायक कर्मचारी महाप्रबन्धक की सहायता करते हैं **(परिशिष्ट–2.7)**। जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

2.2.3 लेखा परीक्षा उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- योजनाओं हेतु आवंटित बजट तथा आवंटन के सापेक्ष किये गये खर्चे का प्रभावी उपयोग किया गया है;

[13] नवनिर्मित 6 जिलों को शामिल करते हुए यथा – औरैया (इटावा), संतकबीर नगर (बस्ती), शामली, (मुजफ्फरनगर), सम्भल (मुरादाबाद), हापुड़ (गाजियाबाद) एवं अमेठी (सुल्तानपुर)

- भारत सरकार/राज्य सरकार के आदेशों, योजना सम्बंधित दिशा–निर्देशों इत्यादि का अनुपालन किया गया है;
- अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण किया गया है।

2.2.4 लेखा परीक्षा मानदण्ड

जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर दीर्घ प्रस्तर निम्न स्रोतों से प्राप्त मानदण्डों के सापेक्ष मानकीकृतः–

- औद्योगिक नीति वक्तव्य (भारत सरकार), 1977;
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006;
- उत्तर प्रदेश सरकार एवं उद्योग निदेशालय द्वारा जारी आदेशों एवं योजनाओं के दिशा–निर्देश।

2.2.5 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

लेखा परीक्षा के अन्तर्गत 2010–11 से 2013–14 की अवधि आच्छादित की गयी। लेखा परीक्षा, जुलाई 2013 से फरवरी 2014 तक सम्पादित की गई। नमूना जाँच हेतु गयी 69 में से 15 जिला उद्योग केन्द्रों में व्यय की गयी धनराशि के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित चार में से दो योजनायें एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 25 में से चार योजनायें चयनित की गईं।

नमूना जांच में शामिल 15 जिला उद्योग केन्द्रों की चयनित योजनाओं पर वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान योजनावार खर्च का विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है तथा इसका सारांश **तालिका 2.2.2** में इस प्रकार है :–

तालिका 2.2.2: 15 नमूना जांच किये गये जिला उद्योग केन्द्रों की चयनित योजनाओं पर 2010–11 से 2013–14 की अवधि में किया गया कुल व्यय।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
1	भारत सरकार द्वारा प्रायोजित दो योजनायें	44.83	1.65	0.00	29.50	75.98
2	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित चार योजनायें	0.88	0.96	1.08	1.26	4.18
	योग	**45.71**	**2.61**	**1.08**	**30.76**	**80.16**

(स्रोतः उद्योग निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

हमने 31 जनवरी 2014 को आयोजित 'इंट्री कान्फ्रेंस' के दौरान, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग को लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मानदण्डों एवं कार्यविधि से अवगत कराया। 'एक्जिट कान्फ्रेंस' 28 अगस्त, 2014 को आयोजित हुई जिसमें आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश से लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर चर्चा की गई। शासन के उत्तरों को संज्ञान में लिया गया एवं प्रतिवेदन में सुसंगत तरीके से शामिल किया गया।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों को दो वर्गों में बाँटा गया हैं यथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें और इनकी चर्चा निम्नवत् की गयी है:

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित चार योजनाओं के कार्यान्वयन में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 264.23 करोड़ का व्यय किया गया। योजनावार व्यय का विवरण **परिशिष्ट–2.6** में दिया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित चार में से दो योजनायें यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम की नमूना जाँच की गयी।

योजनावार लेखा परीक्षा प्रेक्षण निम्नानुसार है :

2.2.6 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार ने 2008–09 में ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'' नामक एक नई 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम' की शुरूआत की। योजना का उद्देश्य देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नयें स्वरोजगार उद्यम/परियोजनाओं/सूक्ष्म ईकाइयाँ जैसे प्रिंटिंग प्रेस, स्टील फैब्रीकेशन इकाई इत्यादि लगाकर रोजगार अवसरों का सृजन करना था। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जानी थी। राष्ट्र स्तर पर खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी), मुम्बई, योजना की नोडल संस्था थी तथा राज्य स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र कार्यदायी संस्था थी।

सब्सिडी हेतु अनुमन्य अधिकतम परियोजना लागत, ₹ 25 लाख व ₹ 10 लाख क्रमशः निर्माण क्षेत्र (ईंट उद्योग, कारपेट उद्योग इत्यादि) और सेवा क्षेत्र (फोटोग्राफी, मोबाइल मरम्मत इत्यादि) के लिये थी। सब्सिडी की धनराशि, परियोजना लागत की 15 से 35 प्रतिशत के मध्य थी जो क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) तथा लाभार्थियों के संवर्ग (सामान्य/विशिष्ट जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला इत्यादि शामिल थे) पर आधारित थी।

सब्सिडी के बकाया को पूरा करने हेतु सम्प्रेक्षा की अवधि में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से केवल वर्ष 2010–11 एवं 2013–14 में योजना संचालित की गई एवं 2011–12 और 2012–13 में यह योजना निष्क्रिय रही। योजना के अंतर्गत 69 जिला उद्योग केन्द्रों ने 6,591 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 6,656 लाभार्थियों को ऋण संवितरित किये। वर्ष 2008–09 और 2009–10 में वितरित ऋण ₹ 338.70 करोड़ के सापेक्ष, तीन वर्ष के 'लॉक इन पीरियड' के बाद, ₹ 163.19 करोड़ की सब्सिडी 6,761 लाभार्थियों को संवितरित की जानी थी परन्तु मार्च 2014 तक ₹ 135.94 करोड़ की सब्सिडी 5,629 लाभार्थियों को ही संवितरित की गयी।

2.2.6.1 रोजगार सृजन

योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित करना था। मुख्य उद्देश्य की परिपूर्ति को मापने हेतु, दो वर्षों के लिये, जिनमें योजना चलाई गयी, वर्षवार लक्ष्य, निर्धारित किये गये। रोजगार सृजन के लक्ष्य एवं इसकी उपलब्धि की स्थिति नीचे दी गयी **तालिका 2.2.3** में वर्णित है:

तालिका 2.2.3: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति

वर्ष	रोजगार सृजन का लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	उपलब्धि (प्रतिशत में)
2010–11	33280	18694	56.17
2013–14	26104	18118	69.40

(स्रोत : उद्योग निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

तालिका से देखा जा सकता है कि दोनों वर्षों में लक्ष्य के अनुसार रोजगार सृजित नहीं किये जा सके।

सम्प्रेक्षा प्रेक्षण

लेखा परीक्षा के अन्तर्गत शामिल 15 जिला उद्योग केन्द्रों की नमूना जाँच में निम्न अनियमित्ताएं पायी गयीं, जिनकी विवेचना निम्नवत है:

2.2.6.2 पूँजीगत व्यय के वास्तविक उपयोग का अभिलेख न बनाया जाना

योजना के दिशा–निर्देश के उपवाक्य 8.3 के अनुसार, बैंकों को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रावधानित पूँजीगत व्यय जिसका अनुमोदन किया गया हो, के आधार पर सब्सिडी की माँग करनी थी। केवल वास्तविक पूँजीगत व्यय उपयोग पर ही बैंकों को सब्सिडी अपने पास रखना था व शेष सब्सिडी 'केवीआईसी' को, प्रोजेक्ट के उत्पादन/व्यापार प्रारम्भ करने के तुरन्त बाद, वापस करना था। कार्यदायी संस्था के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों को योजना का अनुश्रवण करना था। इसके अतिरिक्त केवीआईसी ने निर्देशित किया था कि, जिला उद्योग केन्द्र, लाभार्थियों द्वारा किये गये पूँजीगत व्यय और बैंक से सब्सिडी के उपभोग की धनराशि की सूचना लेकर आँकड़े तैयार करें जिससे बैंकों द्वारा सब्सिडी की अनुपातिक अवरुद्ध/वापसी सुनिश्चित की जा सके।

अभिलेख न बनाये जाने के कारण, 1996 लाभार्थियों को ₹ 54.54 करोड़ की सब्सिडी अवमुक्त करने की प्रमाणिकता की जाँच नहीं की जा सकी।

15 जिला उद्योग केन्द्रों की नमूना जाँच में पाया गया है कि बैंकों द्वारा सब्सिडी की अनुपातिक अवरुद्ध/वापसी सुनिश्चित करने हेतु वास्तविक पूँजीगत व्यय उपयोग के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं बनाये गये थे। इसके फलस्वरूप, 1996 लाभार्थियों को ₹ 54.54 करोड़ की सब्सिडी अवमुक्त करने की प्रमाणिकता की जाँच नहीं की जा सकी।

उत्तर में शासन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि उद्योग निदेशालय ने महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को योजना के दिशा–निर्देशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी किया है।

2.2.6.3 सब्सिडी की वापसी सुनिश्चित करने में असफलता

योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सब्सिडी की धनराशि लाभार्थी के खाते में ऋण की पहली किस्त को अवमुक्त किये जाने के तीन वर्ष बाद क्रेडिट की जानी थी, अन्यथा सब्सिडी की धनराशि 'केवीआईसी' को वापस किया जाना था। पुनश्च, संयुक्त निदेशक, उद्योग ने महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों, को निर्देशित किया (अगस्त 2011) कि योजनान्तर्गत लगाई गई इकाइयों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाये जिससे कि बन्द/मृतप्राय इकाइयों की सब्सिडी की वापसी केवीआईसी को सुनिश्चित की जा सके।

जिला उद्योग केन्द्रों ने उद्यमियों द्वारा स्थापित नहीं की गयी इकाइयों को दी गयी सब्सिडी को बैंकों द्वारा वापस किया जाना सुनिश्चित नहीं किया।

हमने पाया कि नमूना जाँच में शामिल 15 में से चार[14] जिला उद्योग केन्द्रों के अन्तर्गत 62 इकाइयां, जिनको 2008–09 और 2009–10 में वित्तपोषित किया गया था, 31 मार्च 2014 को या तो बन्द पड़ी थीं अथवा निर्माणाधीन थीं। लेकिन जिला उद्योग केन्द्रों ने 62 इकाइयां, जो उद्यमियों द्वारा स्थापित नहीं की गयीं, को दी गई ₹ 92.31 करोड़ की सब्सिडी को बैंकों द्वारा 'केवीआईसी' को वापस किया जाना सुनिश्चित नहीं किया।

उत्तर में सरकार ने कहा (अक्टूबर 2014) कि उपर्युक्त प्रकरणों में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों, को निर्देश दिये गये हैं कि वे सब्सिडी की वापसी हेतु बैंकों से वार्ता करें।

2.2.7 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम–क्लस्टर विकास कार्यक्रम

भारत सरकार ने वर्ष 2006 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम–क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) लागू किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादन क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मिकता को बढ़ाने के साथ–साथ क्षमता निर्माण करना था। योजना के अन्तर्गत क्लस्टर को ऐसे औद्योगिक

[14] सन्त कबीर नगर (भदोही), आजमगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर

समुदायों में परिभाषित किया गया, जो एक दूसरे से बहुत पास हों और समान वस्तुओं/सेवाओं का उत्पादन कर रहे हों जैसे : कार्पेट क्लस्टर भदोही, पाटरी क्लस्टर खुर्जा इत्यादि। किसी क्लस्टर परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु एक अलग संस्था नामतः स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) बनाया जाना था, जो एक सहकारी समिति, पंजीकृत समिति, ट्रस्ट अथवा एक कम्पनी हो सकती थी।

उत्तर प्रदेश में, जिला उद्योग केन्द्र, क्लस्टर कार्यकलापों के संतोषजनक एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था थी। योजना के संशोधित दिशा–निर्देर्शों (2010) के अनुसार, क्लस्टर इकाइयों को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना था :

- तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, बाजार विकास इत्यादि, जिसे 'सॉफ्ट इंटरवेंशन' क्रियाकलाप कहा गया। इन 'क्रियाकलापों' हेतु भारत सरकार का अनुदान योजना की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख के 75 प्रतिशत तक सीमित था;

- कामन फैसिलिटी सेंटर' जैसे डिजाइन सेंटर, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि का निर्माण जिसे 'हार्ड इंटरवेंशन' कहा गया। इस हेतु भारत सरकार का अनुदान अधिकतम परियोजना लागत ₹ 15 करोड़ के 70 प्रतिशत तक सीमित था;

- अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसे भूमि का विकास, जल आपूर्ति का प्रावधान, ड्रेनेज इत्यादि जिसके लिए भारत सरकार का अनुदान अधिकतम परियोजना लागत ₹ 10 करोड़ के 60 प्रतिशत तक सीमित था।

2.2.7.1 क्लस्टर परियोजनाओं का अनुमोदन :

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा समस्त 69 जिला उद्योग केन्द्रों में, प्रारम्भ से (2006), कुल 37 परियोजनायें, जिनकी लागत ₹ 95.42 करोड़ थी, अनुमोदित की गयी **(परिशिष्ट 2.9)**। उपरोक्त में से 25 परियोजनाओं में, जिनकी लागत ₹ 14.17 करोड़ थी, 2013–14 तक ₹ 11.62 करोड़ प्राप्त हुए। दो परियोजनायें जिनकी परियोजना लागत ₹ 11.28 करोड़ थी, निरस्त की गईं और शेष 10 परियोजनायें जिनकी परियोजना लागत ₹ 69.97 करोड़ थी, मार्च 2014 तक प्रगति पर थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जिससे नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में ₹ 157.44 करोड़ लागत की चिन्हित क्लस्टर परियोजनाओं का अनुमोदन नहीं हो सका तथा प्रदेश में औद्योगीकरण के उददे्श्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

15 जिला उद्योग केन्द्रों की नमूना जाँच में पाया गया कि 63 चिन्हित परियोजनाओं में से, जिनकी परियोजना लागत ₹ 207.81 करोड़ थी (32 सॉफ्ट इंटरवेंशन जिनकी लागत ₹ 4.62 करोड़ तथा 31 हार्ड इंटरवेंशन जिनकी लागत ₹ 203.19 करोड़), भारत सरकार ने 19 परियोजनायें (12 सॉफ्ट इंटरवेंशन और 7 हार्ड इंटरवेंशन) वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान अनुमोदित की, जिनकी परियोजना लागत ₹ 50.38 करोड़ थी। शेष 44 परियोजनाओं (20 सॉफ्ट इंटरवेंशन तथा 24 हार्ड इंटरवेंशन) जिनकी परियोजना लागत ₹ 157.44 करोड़ थी, के अनुमोदित न होने के मुख्य कारण प्रस्ताओं का ऑनलाइन प्रार्थना–पत्र न जमा करना, दिशा–निर्देश का अनुपालन न किया जाना, एसपीवी के सदस्यों द्वारा एक्शन प्लान का अनुमोदन प्राप्त न किया जाना इत्यादि था **(परिशिष्ट–2.10)**। हमने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस) ने भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जिससे प्रदेश में औद्योगीकरण के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

शासन (उप्रस) ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2014) कि जिला उद्योग केन्द्रों को निर्देशित किया गया है कि एसपीवी को प्रस्तावों के ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने हेतु जागरूक किया जाय और आगे यह भी कहा कि कमियों का निराकरण करा कर संशोधित प्रस्ताव भेजने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

नमूना जाँच की गयीं 15 जिला उद्योग केन्द्रों में पाये गये लेखा परीक्षा प्रेक्षण आगे दिये प्रस्तरों में वर्णित हैं :

2.2.7.2 क्लस्टर विकास कार्यकलापों का पूर्ण न किया जाना

2009–10 में अनुमोदित 'साफ्ट इंटरवेंशन' परियोजना – स्टील फर्नीचर क्लस्टर, लखनऊ को चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक (मार्च 2014) पूरा नहीं किया जा सका है।

योजना के दिशा–निर्देशों के 'उपवाक्य' 7 के अनुसार 'सॉफ्ट इंटरवेंशन' कार्यों को 18 महीनों में पूर्ण किया जाना था। हमने पाया कि अनुमोदित 12 'सॉफ्ट इंटरवेंशन' परियोजनाओं में से एक स्टील फर्नीचर क्लस्टर, लखनऊ की परियोजना में सॉफ्ट इंटरवेंशन का कार्यान्वयन जो 2009–10 में ₹ 7.80 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया था, को चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, अब तक (मार्च 2014) पूरा नहीं किया गया है।

शासन ने तथ्यों को माना (अक्टूबर 2014) और कहा कि शेष बचे हुये कार्य कराये जायेंगे और धनराशि का उपयोग भविष्य में कर लिया जायेगा। तथ्य बना रहा कि 'सॉफ्ट इंटरवेंशन' प्रक्रिया को तय अवधि में पूरा नहीं कर पाने के कारण योजना का उद्देश्य, जो कि स्टील फर्नीचर क्लस्टर यूनिट को उसकी निरन्तरता एवं संवृद्धि हेतु सहायता देना है, को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.2.7.3 क्लस्टर विकास परियोजना का निरस्तीकरण

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण लेदर क्लस्टर परियोजना, गोरखपुर रद्द हो गयी।

भारत सरकार ने 2009–10 में लेदर क्लस्टर परियोजना, गोरखपुर हेतु कामन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) जिसकी परियोजना लागत ₹ 2.53 करोड़ थी को अनुमोदित किया। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एसपीवी के अंश क्रमशः ₹ 1.52 करोड़, ₹ 76.03 लाख व ₹ 25.34 लाख थे। उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस) ने ₹ 76.03 लाख का अपना अंश अवमुक्त (अक्टूबर 2010) कर दिया था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, टैनरी उद्योगों को जनसंख्या क्षेत्र से कम से कम 1.5 किमी. की दूरी पर स्थापित किया जाना था।

हमने पाया कि जिला उद्योग केन्द्र, गोरखपुर ने इस दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया और लेदर क्लस्टर सीएफसी को जनसंख्या क्षेत्र से 1.2 किमी. की दूरी पर प्रस्तावित किया। अतः प्रस्तावित सीएफसी के स्थल निरीक्षण में, यूपीपीसीबी ने पाया कि स्थान की वास्तविक दूरी न्यूनतम प्राविधानित 1.5 किमी. की दूरी से कम थी। यह वास्तव में दक्षिण–पश्चिम में 0.12 किमी., पूर्व में 0.50 किमी., उत्तर में 1.2 किमी., पूर्व–दक्षिण में 0.50 किमी. तथा पश्चिम–उत्तर में 1.2 किमी. थी। यूपीपीसीबी ने सितम्बर 2011 में अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) देने से मना कर दिया जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने सीएफसी हेतु अपने अंश को अवमुक्त नहीं किया और राज्य सरकार का अंश भी जनवरी 2013 में वापस कर दिया गया। अन्ततः लेदर क्लस्टर सीएफसी विकसित नहीं की जा सकी तथा योजना के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

कार्ययोजना एवं विषयक भवन की लागत को 'एप्रूव्ड वैल्यूअर' द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट को प्रस्तुत न किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार, सीज़र क्लस्टर मेरठ हेतु कामन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए, भारत सरकार के अंश ₹ 1.98 करोड़ को प्राप्त करने में असफल रहीं।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में माना (अक्टूबर 2014) कि यूपीपीसीबी से एनओसी न मिलने के कारण लेदर क्लस्टर सीएफसी प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।

तथ्य बना रहा कि जनसंख्या क्षेत्र से 1.5 किमी. की न्यूनतम दूरी की आवश्यकता का अनुपालन न करने के कारण एनओसी नहीं मिली। स्थल निरीक्षण के दौरान यूपीपीसीबी ने भी पाया कि जनसंख्या क्षेत्र से वास्तविक दूरी न्यूनतम निर्धारित 1.5 किमी. की सीमा से कम थी। यूपीपीसीबी के दिशा–निर्देशों को न मानने के कारण योजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

2.2.7.4 योजना के दिशा–निर्देशों की अवहेलना

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2010 में ₹ 5.11 करोड़ की लागत से सीजर क्लस्टर, मेरठ हेतु कामन फैसीलिटी सेंटर (सीएफसी), का अनुमोदन किया गया था। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व एसपीवी का अंश क्रमशः ₹ 1.98 करोड़, ₹ 1.49 करोड़ तथा ₹ 1.64 करोड़ था। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएफसी का परिचालन भारत सरकार से अनुमोदन मिलने के दो साल की अवधि के अन्दर, जो कि फरवरी 2012 में

समाप्त हो चुकी थी, प्रारम्भ हो जाना चाहिए था। यह अवधि भारत सरकार द्वारा आगे जून 2014 तक के लिये बढ़ा दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार तथा एसपीवी ने अपने अंश अवमुक्त कर दिये थे लेकिन कार्य सम्पादन की कार्य योजना एवं एसपीवी द्वारा निर्मित भवन की लागत का 'एप्रूव्ड वैल्युअर' द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट, न भेजने के कारण भारत सरकार ने अपना अंश अवमुक्त नहीं किया (सितम्बर 2014)। सीएफसी भवन का निर्माण पूरा हो चुका था (मार्च 2014) तथा मशीनरी अभी लगनी बाकी थी।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में कहा कि एसपीवी द्वारा कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश शासन को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रभावी अनुश्रवण करना चाहिये जिससे परियोजना को संतोषजनक एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें

वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि में, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 25 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटित ₹ 92.01 करोड़ के सापेक्ष, 69 जिला उद्योग केन्द्रों ने ₹ 82.91 करोड़ का व्यय किया। योजनाओं पर व्यय, उनके आवंटित बजट का 90.11 प्रतिशत था। योजनावार किये गये व्यय का विवरण **परिशिष्ट–2.6** में दिया गया है।

लेखा परीक्षा की अवधि में हमने, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित 25 में से चार योजनाओं की नमूना जाँच की। यथा :–

- औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण;
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना;
- अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना, एवं
- हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना।

योजनावार लेखा परीक्षा प्रेक्षण नीचे वर्णित हैं:

2.2.8 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में, लघु स्तरीय उद्योगों की स्थापना, विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने हेतु, विकसित भूमि/शेड और अवस्थापना जैसे रोड, बिजली, पानी, नाली इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये एक औद्योगिक आस्थान (आईई) योजना, लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत पाँच एकड़ से ज्यादा क्षेत्र वाले औद्योगिक भूमि जो जनपद स्तर पर विकसित किये गये, वृहद औद्योगिक आस्थान कहे गये और तहसील स्तर पर विकसित किये गये दो एकड़ के औसत क्षेत्र वाले औद्योगिक क्षेत्रों को लघु औद्योगिक आस्थान कहा गया।

प्रारम्भ से अप्रैल 2014 तक, 69 जिला उद्योग केन्द्रों में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की स्थिति **तालिका 2.2.4** में वर्णित है।

तालिका 2.2.4: औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों/शेडों के आवंटन की स्थिति

क्रम सं.	विवरण	स्थापना की अवधि	स्थापित औद्योगिक आस्थानों की सं.	उपलब्ध भूखण्डों/शेडों की संख्या	आवंटित भूखण्डों/शेडों की संख्या	रिक्त पड़े भूखण्डों/शेडों की संख्या	रिक्त भूखण्डों/शेडों का प्रतिशत
1	वृहद औद्योगिक आस्थान	1960–1970	80	4786	4703	83	1.73
2	लघु औद्योगिक आस्थान	1985–1992	170	7961	6086	1875	23.55
		योग	250	12747	10789	1958	15.36

(स्रोत: उद्योग निदेशालय के अभिलेख)

वर्ष 2007–08 में विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधायें जैसे रोड, नाली, पीने के पानी की सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु, उ0प्र0 सरकार ने ''औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण'' नामक योजना की शुरूआत की।

वर्ष 2007–08 से 2013–14 के बीच अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 45 जिला उद्योग केन्द्रों के 46 औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु ₹ 9.40 करोड़, अवमुक्त किये।

नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में, जिला उद्योग केन्द्र, आजमगढ़ व अमरोहा को केवल ₹ 39.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसमें से ₹ 20 लाख (2010–11) और ₹ 19.83 लाख (2012–13) इन दो जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा क्रमशः रोड तथा नाली बनाने व मरम्मत करने में प्रयोग किये गये।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में निम्नलिखित प्रेक्षण पाये गये :

2.2.8.1 अवस्थापना सुविधाओं का अभाव

जिला उद्योग केन्द्र विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रहे जिसके कारण नमूना जाँच किये गये 15 में से 11 जिला उद्योग केन्द्रों में 614 भूखण्ड आवंटित नहीं हो पाये।

नमूना जाँच के 15 जिला उद्योग केन्द्रों में हमने पाया कि 11 जिला उद्योग केन्द्रों के 3732 उपलब्ध भूखण्डों में से 614 भूखण्ड रिक्त पड़े थे (अप्रैल 2014)। 11 जिला उद्योग केन्द्रों के रिक्त भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 45.67 एकड़ था जिसकी कीमत ₹ 5.43 करोड़ थी **(परिशिष्ट–2.11)**। भूखण्डों के आवंटन न हो पाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण अवस्थापना सुविधाओं यथा–सड़क, नाली, पीने का पानी इत्यादि, का अभाव होना था। अतः जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा समुचित अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित न करने के कारण विद्यमान भूखण्ड अनावंटित रहे, जिसके कारण लघु स्तरीय उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर में (अक्टूबर 2014) अपर्याप्त अवस्थापना सुविधायें एवं परिणामतः स्थानीय उद्यमियों के, भूखण्डों के आवंटन में, रूचि न लेने के तथ्यों को माना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे कहा कि सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों, को रिक्त भूखण्डों का आवंटन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तथ्य बने रहे कि जिला उद्योग केन्द्र स्थापित आईई में 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल रहे।

2.2.8.2 अस्थापित इकाइयों के भूखण्डों का निरस्तीकरण न होना

आवंटन से तीन वर्श के भीतर आवंटियों द्वारा इकाई स्थापित न करने के बाद भी 1983 से 2010 की अवधि में आवंटित 39 भूखण्डों का आवंटन रद्द नहीं किया गया।

औद्योगिक आस्थान योजना के संशोधित निर्देशों (अप्रैल 1992) के अनुसार, यदि लाभार्थी भूखण्ड के आवंटन होने के तीन वर्ष अथवा कब्जा लेने के दो वर्ष, जो भी पहले हो, में इकाई स्थापित नहीं करता है, तो आवंटित भूखण्ड निरस्त किये जा सकते हैं। 15 जिला उद्योग केन्द्रों के नमूना जाँच में हमने पाया कि, 13 जिला उद्योग केन्द्रों ने उन इकाइयों, जिन्हें भूखण्ड आवंटित किये गये थे, के कार्यरत होने की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाले अभिलेख नहीं बनाये। शेष दो जिला[15] उद्योग केन्दों में, ₹ 4.62 करोड़ मूल्य के उन 39 भूखण्डों जिनका आवंटन 1983 से 2010 की अवधि **(परिशिष्ट–2.12)** में किया गया था, आवंटन के तीन वर्ष के अन्दर इकाई की स्थापना न किये जाने के बावजूद, आवंटन निरस्त नहीं किया गया ।

औद्योगिक निदेशालय (डीआई) ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2014) में कहा कि भूखण्डों के निरस्त न किये जाने के कारण सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों से मांगे गये हैं।

2.2.8.3 विद्यमान औद्योगिक आस्थान में भूखण्डों का विकास न होना

निदेशक, उद्योग ने नये लघु औद्योगिक आस्थानों के स्थापना पर रोक हेतु निर्देशित किया (1991), परन्तु विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों को विकसित करने पर

[15] जिला उद्योग केन्द्र बरेली एवं जिला उद्योग केन्द्र कानपुर नगर

कोई रोक नहीं थी। प्रत्येक विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों/शेडों की स्थापना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। उद्योग निदेशालय के अभिलेखों के अनुसार हमने देखा कि जिला उद्योग केन्द्र, बरेली का एक मिनी औद्योगिक आस्थान, आँवला अपने स्थापना के वर्ष (1992) से अविकसित पड़ा हुआ था। यद्यपि भूखण्डों के अविकसित होने का कारण पूछा गया (दिसम्बर 2013) पर यह अभिलेखों में नहीं मिला।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

शासन द्वारा विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों का विकास/अवस्थापना सुविधायें सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे सृजित सम्पत्तियों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।

2.2.9 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को शत प्रतिशत स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक योजना का आरम्भ किया। यह योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एससीपी) के तहत चलाई जानी थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित की जानी थी। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों हेतु शत प्रतिशत स्वरोजगार का अनुश्रवण करना था। योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को कार्यदायी संस्था बनाया गया। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चुने गए ट्रेड्स जैसे कारपेन्ट्री, प्लम्बरिग इत्यादि में, सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, जो जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चुने जाने थे, के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना था **(परिशिष्ट 2.13)**।

69 जिला उद्योग केन्द्रों में, 2010–11 से 2013–14 की अवधि में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये ₹ 15.21 करोड़ के बजट आवंटन के सापेक्ष ₹ 15.20 करोड़ का व्यय किया गया। प्रशिक्षण के प्रति सत्र की लागत ₹ 2.64 लाख (अनुमानित) थी जिसमें ₹ 15,500 जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय के अनुरक्षण हेतु तथा ₹ 1.80 लाख प्रशिक्षणार्थियों को 'स्टाईपेन्ड' हेतु, सम्मिलित थे।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

लेखा परीक्षा की अवधि में पायी गयी प्रेक्षण नीचे वर्णित हैं :

2.2.9.1 शत–प्रतिशत स्वरोजगार सृजित न होना

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के स्वरोजगार सृजन की निगरानी हेतु रजिस्टर नहीं बनाया गया।

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित अभ्यर्थियों हेतु शत–प्रतिशत रोजगार सृजित करने पर केन्द्रित था। अवधि 2010–14 में 69 जिला उद्योग केन्द्रों ने ₹ 15.20 करोड़ के व्यय करने के उपरान्त 20,819 अभ्यर्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 20,807 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया था, परन्तु इनमें से केवल 7,013 अभ्यर्थियों (34 प्रतिशत) को स्वरोजगार मिला।

हमने स्वरोजगार सृजन करने के कम प्रतिशत के कारणों का विश्लेषण किया व पाया कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र को एक रजिस्टर बनाना था जिसमें प्रशिक्षणार्थियों का विवरण जैसे नाम, पता, ट्रेड इत्यादि तथा स्वरोजगार की स्थिति दर्ज करना था जिससे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों हेतु स्वरोजगार की स्थिति अनुश्रवण को सुनिश्चित किया जा सके। हमने पाया कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के स्वरोजगार की स्थिति के अनुश्रवण हेतु, जिससे योजना के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके, नमूना जाँच किये गये सभी 15 जिला उद्योग केन्द्रों में कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया। अनुश्रवण रजिस्टर के अभाव में जिला उद्योग केन्द्र यह नहीं जान पाये कि किन ट्रेडों में स्वरोजगार सृजित हो रहा है व किन ट्रेडों में रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। यह सूचना भविष्य में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ट्रेडों के चयन

हेतु अतिआवश्यक थी। परिणामस्वरूप, पिछले चार वर्षों की प्रशिक्षण अवधि में जिला उद्योग केन्द्र, केवल 34 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों हेतु स्वरोजगार सृजित करा पाये।

उत्तर में शासन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को स्वरोजगार सृजन की निगरानी हेतु, अनुश्रवण रजिस्टर बनाने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.2.9.2 महिला भागीदारी के मानकों का अनुपालन न होना

योजना के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन स्वरूप जिला उद्योग केन्द्र, नमूना जाँच किये गये 15 में से 6 जिला उद्योग केन्द्रों में 33 प्रतिशत महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने में असफल रहे।

योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष अभ्यर्थियों के चयन के दौरान महिला अभ्यर्थियों की भागेदारी कम से कम 33 प्रतिशत सुनिश्चित की जानी थी। यह देखा गया कि 15 में से छः[16] जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक वर्ष में महिला प्रतिभागियों की 33 प्रतिशत भागेदारी सुनिश्चित रखने में असफल रहे। इन छः जिला उद्योग केन्द्रों में वास्तविक महिला प्रशिक्षणार्थी 5 से 32 प्रतिशत रही।

उत्तर में शासन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को माना (अक्टूबर 2014) और कहा कि निदेशालय द्वारा महिला अभ्यर्थियों की प्रतिभागिता 33 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी महाप्रबन्धकों, जिला उद्योग केन्द्रों को निर्देशित किया जा चुका है।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि योजना के दिशा–निर्देशों के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार उपलब्ध हों।

2.2.10 हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2013 में ''उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना 2012'' का शुभारम्भ, प्रदेश के हस्तशिल्पियों को मेले/प्रदर्शनियों में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किया। योजना का उद्देश्य हस्तशिल्पियों को सीधे मेले और प्रदर्शनियों में भाग दिलाना जिससे इन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके तथा उनकी कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

योजना के कार्यान्वयन पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण नीचे वर्णित हैं :

2.2.10.1 निधियों का कम उपयोग

69 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त धनराशि तथा इसके सापेक्ष उपयोग **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है तथा सारांश **तालिका 2.2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.2.5: डीआईसी द्वारा प्राप्त निधियां एवं उनका उपयोग

(₹ लाख में)

वर्ष	अवमुक्त धनराशि	धनराशि का उपयोग	प्रतिशत उपयोग
2012–13	122.65	23.88	19.47
2013–14	150.00	89.61	59.74
योग	272.65	113.49	41.62

(स्रोतः डीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह विदित है कि योजना के अन्तर्गत ₹ 2.73 करोड़ अवमुक्त धनराशि में से 69 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा केवल ₹ 1.14 करोड़ का ही उपयोग किया गया और शेष ₹ 1.59 करोड़ का मार्च 2014 तक उपयोग नहीं हुआ। उपयोग की गई धनराशि, अवमुक्त धनराशि की केवल 41.62 प्रतिशत थी। 69 में से 14 जिला उद्योग केन्द्रों में वर्ष 2012–13 व 2013–14 की अवधि में कोई व्यय नहीं हुआ था।

15 जिला उद्योग केन्द्रों की नमूना जाँच में, 2012 से 2014 की अवधि में अवमुक्त किये गये ₹ 70.79 लाख के सापेक्ष उपयोग की गई धनराशि मार्च 2014 तक केवल ₹ 43.61 लाख (62 प्रतिशत) थी।

[16] जिला उद्योग केन्द्र – मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, आगरा एवं भदोही

अग्रेतर, योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अपने जिलों में हस्तशिल्पियों के मध्य योजना की जानकारी का व्यापक प्रसार किया जाना था। जिला उद्योग केन्द्रों को उद्योग निदेशालय द्वारा अधिसूचित मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु हस्तशिल्पियों को पत्र जारी किया जाना था।

यद्यपि, जिला उद्योग केन्द्र योजना का व्यापक प्रसार करने में विफल रहे और भाग लेने हेतु हस्तशिल्पियों को पत्र नहीं भेजा परिणामस्वरूप, हस्तशिल्पी योजना हेतु आकर्षित नहीं हुये और धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2014), धनराशि के कम उपयोग और हस्तशिल्पी के आकर्षित न होने को माना और कहा कि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है। तथ्य बने रहे कि हस्तशिल्पियों को शिल्प पहचान दिलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने विषयक योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका और हस्तशिल्पियों द्वारा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग न ले पाने के कारण उनको उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो सका।

2.2.11 निष्कर्ष

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, अभिलेख न बनाये जाने के कारण, 1996 लाभार्थियों को दी गयी ₹ 54.54 करोड़ की सब्सिडी की प्रमाणिकता की जाँच नहीं हो पायीं। आगे भी, जिला उद्योग केन्द्रों ने, उद्यमियों द्वारा अस्थापित इकाइयों पर दी गयी सब्सिडी को बैंकों द्वारा वापस लिया जाना सुनिश्चित नहीं किया।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2009–10 में अनुमोदित साफ्ट इन्टरवेंशन – स्टील फर्नीचर क्लस्टर, लखनऊ को चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक (मार्च 2014) पूरा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, राज्य के स्टील फर्नीचर क्लस्टर यूनिटों को उनकी निरन्तरता एवं संवृद्धि हेतु सहायता देने की योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। पुनश्च उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण लेदर क्लस्टर परियोजना, गोरखपुर रद्द हो गयी।

- औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे जिसके कारण नमूना जांच किये गये 15 में से 11 जिला उद्योग केन्द्रों में 614 भूखण्ड आवंटित नहीं हो पाये। पुनश्च आवंटन के तीन वर्ष के भीतर आवंटियों द्वारा इकाई स्थापित न करने के बाद भी 1983–2010 की अवधि में आवंटित 39 भूखण्डों का आवंटन रद्द नहीं किया गया।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना के दिशा–निर्देशों के उल्लंघन स्वरूप जिला उद्योग केन्द्र, 15 में से छः जिला केन्द्रों में 33 प्रतिशत महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने में असफल रहे।

- हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, योजना का व्यापक प्रसार करने में असफल रहे जिसके कारण ₹ 1.59 करोड़ की धनराशि का उपयोग नहीं हो सका।

Filename: Chapter 2.docx
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: Audit Report (Economic Sector-Non PSUs) for the year ended 31 March 2014
Subject:
Author: Anil Kumar Gupta
Keywords:
Comments:
Creation Date: 12/25/2014 4:30:00 PM
Change Number: 2,214
Last Saved On: 2/20/2015 6:34:00 PM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 4,945 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 6:36:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 27
Number of Words: 11,784 (approx.)
Number of Characters: 67,169 (approx.)

अध्याय 3

3. अनुपालन लेखा परीक्षा

शासकीय विभागों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों तथा स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखा परीक्षा ने संसाधनों के प्रबन्धन में चूक, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के दृष्टान्त प्रकट किये। इन्हें निम्नलिखित प्रस्तरों में प्रस्तुत किया गया है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.1 ठेकेदार को अनुचित लाभ

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक ठेकेदार को अवरोध रहित स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये बिना ₹ 1.33 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम प्रदान कर, अनुचित लाभ दिया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने बसंतकुंज योजना, लखनऊ (नवम्बर 2003 में प्रारम्भ) में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण के लिए ज्योति बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (जेवीपीएल) एवं हिन्दुस्तान डॉर ओलिवर लिमिटेड (एचडीओएल) की एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी को कार्य प्रदान किया (फरवरी 2009)। उक्त कार्य हेतु जेबीपीएल एवं एचडीओएल के साथ ₹ 21.11 करोड़ मूल्य का अनुबन्ध 7 मार्च 2009 को निष्पादित किया गया। अनुबन्ध के उपवाक्य 8 में यह प्राविधानित था कि 15 प्रतिशत की ब्याज दर पर अनुबन्ध मूल्य के 10 प्रतिशत तक मोबलाइजेशन अग्रिम इतने ही धनराशि की बैंक गारंटी के सापेक्ष, जो कि योजना के सम्पूर्ण निर्माण अवधि के लिये वैध होगा, दिया जाना था।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त (एनओसी) किया जाना आवश्यक था।

लेखा परीक्षा ने देखा (जनवरी 2013) कि प्राधिकरण ने यूपीपीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से पूर्व जेबीपीएल और एचडीओएल को 16 मार्च 2009 को ₹ 2.11 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम मार्च 2010 तक वैद्य बैंक गारण्टी के सापेक्ष (वैद्यता सितम्बर 2014 तक बढ़ाई गयी) अवमुक्त किया। पुनश्च यह देखा गया कि बहाव के उचित निस्तारण के प्राविधान के आभाव में, जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक था, प्राधिकरण, यूपीपीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी, एसटीपी के निर्माण का कार्य अवरुद्ध रहा (सितम्बर 2014) और 16 मार्च 2009 को जेबीपीएल एवं एचडीओएल को भुगतान किया गया ₹ 2.11 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम तथा उस पर ₹ 1.33 करोड़ का ब्याज **(परिशिष्ट 3.1)** वसूल नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, बिना स्थल कि उपलब्धता सुनिश्चित किये और बिना यूपीपीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये, जो कि कार्य को प्रारम्भ किये जाने के लिए पूर्वापेक्षित था, प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को मोबलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किये जाने के कारण, ₹ 1.33 करोड़ के ब्याज का अनुचित लाभ दिया गया तथा ₹ 2.11 करोड़ के मोबलाइजेशन अग्रिम की धनराशि, सितम्बर 2014 तक, 66 माह से अवरुद्ध रही।

प्राधिकरण ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2014) कि प्राधिकरण ने कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यूपीपीसीबी से एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन (दिसम्बर 2008) किया था। लेकिन बहाव (एसटीपी से उपचारित जल) का अंतिम निस्तारण उचित न होने के कारण

यूपीपीसीबी द्वारा एनओसी निर्गत नहीं की गयी तथा स्थल की उपलब्धता न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। पुनश्च यह कहा गया कि ₹ 2.11 करोड़ की बैंक गारण्टी 15 सितम्बर 2014 तक की बढ़ी हुई अवधि तक प्राप्त कर ली गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकरण ने यूपीपीसीबी से एनओसी प्राप्त किये बिना और कार्य प्रदान करने से पूर्व स्थल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किये बिना, ठेकेदार को मोबलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किया। इस प्रकार प्राधिकरण को सितम्बर 2014 तक, ₹ 1.33 करोड़ के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2014) और उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2014) था।

3.2 सम्पत्ति का कब्जा हस्तगत करने में देरी के कारण हानि

आगरा विकास प्राधिकरण आवंटित भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल निर्धारित समय में आवंटी को प्रदान करने में असफल रहा और ₹ 20.11 लाख के ब्याज की हानि को वहन किया।

आगरा विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने, 22 जनवरी 1999 को आयोजित 85वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 32 (12) में यह संकल्पित किया कि यदि आवंटी द्वारा सम्पत्ति के कब्जे के लिए आवश्यक धनराशि जमा कर दी जाती है परन्तु प्राधिकरण कुछ भौतिक अथवा वैधानिक कारणों से आवंटी को कब्जा हस्तगत करने की स्थिति में नहीं होता है तो आवंटी से वसूल की जाने वाली बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।

प्राधिकरण ने नीलामी (फरवरी 2011) के माध्यम से अशोका हाउसिंग, आगरा को ताज नगरी द्वितीय चरण योजना के अंतर्गत 7,383.93 वर्गमीटर क्षेत्रफल का एक समूह आवास भूखण्ड संख्या जीएच–4 सेक्टर बी–2 में आवंटित (मार्च 2011) किया। 12 प्रतिशत की दर से फ्री होल्ड शुल्क को सम्मिलित करते हुए, भूखण्ड की कुल लागत ₹ 16.54 करोड़[1] थी। आवंटन की शर्तों में यह शामिल था कि आवंटी को 10 अप्रैल 2011 तक सम्पत्ति के आवंटन हेतु ₹ 3.99 करोड़ जमा करने थे। पुनश्च आवंटन पत्र क्रमांक 1680/डी/ए.ई.(पी) 2010–11 दिनांक 5 मार्च 2011 की शर्त संख्या 10 के अनुसार आवंटी को सम्पत्ति के आवंटन की तिथि से 60 दिन के अंदर सम्पत्ति की संपूर्ण लागत ब्याज रहित जमा करनी थी।

आवंटी ने 9 अप्रैल 2011 को आवंटन के लिए आवश्यक ₹ 3.99 करोड़ जमा किये और प्राधिकरण से भूखण्ड का कब्जा लेने हेतु भूखण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल को सूचित करने के लिए अनुरोध किया। परन्तु प्राधिकरण ने समय से भूखण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल को सूचित नहीं किया और 60 दिन के अंदर भूखण्ड को कब्जा देने में असफल रहा। प्राधिकरण द्वारा 6 सितम्बर 2011 को भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल (7,382.93 वर्ग मीटर) आवंटी को सूचित किया गया। प्राधिकरण की ओर से देर होने के कारण आवंटी से ₹ 11.08 करोड़ की शेष लागत समय से वसूल नहीं की जा सकी। आवंटी ने अवशेष धनराशि 11 मई 2011 से 31 अक्टूबर 2011 के मध्य 8 से 139 दिनों की देरी से ब्याज रहित जमा किया।

इस प्रकार आवंटी को भूखण्ड के कब्जे के साथ–साथ वास्तविक क्षेत्रफल को समय से सूचित करने में असफल रहने के कारण प्राधिकरण को ₹ 11.08 करोड़ **(परिशिष्ट 3.2)** के अवशेष धनराशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 20.11 लाख की धनराशि के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

उत्तर में (सितम्बर 2014) प्राधिकरण ने साइट प्लान तैयार होने और वास्तविक क्षेत्रफल उपलब्ध कराने में हुई देरी को स्वीकार किया और कहा कि अवैध कब्जा के कारण देरी हुई थी। तथ्य बना रहा कि भूखण्ड के कब्जे के साथ साथ वास्तविक क्षेत्रफल उपलब्ध

[1] (भूखण्ड लागत ₹ 14.77 करोड़ जोड़ा 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क ₹ 1.77 करोड़)

कराने में असफल रहने के कारण प्राधिकरण ने ₹ 20.11 लाख के ब्याज की धनराशि की हानि उठायी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2014) किया गया और उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2014) था।

3.3 कार्नर भूखण्डों पर अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण), राज्य सरकार के शासनादेश के उल्लंघन के कारण कार्नर भूखण्डों पर शुल्क वसूल करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 98.38 लाख की धनराशि के राजस्व की कम वसूली हुई।

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 780/8–1–09–16 कमेटी/98 दिनांक 27 फरवरी 2009 और स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञापन संख्या–1762/8–1–9–16 कमेटी/98 दिनांक 18 जून 2009 के अनुसार कार्नर भूखण्डों पर आवंटियों से 10 प्रतिशत की दर से कार्नर शुल्क की वसूली अतिरिक्त लागत के रूप में की जानी थी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिए एक तीन ओर से सड़क सम्मुख भूखण्ड विकसित (फरवरी 2013) किया। पुनश्च सामुदायिक केन्द्र के उक्त भूखण्ड के सन्निकट एक ओर, प्राधिकरण द्वारा नर्सिंग होम के निर्माण के लिए दो कार्नर भूखण्ड भी विकसित किये गये।

लेखा परीक्षा ने देखा (मार्च 2014) कि उक्त विकसित दो भूखण्डों में से 875 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला एक भूखण्ड संख्या एनएच–2, 29 अप्रैल 2013 को आयोजित नीलामी के माध्यम से ₹ 56,000 प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित (अप्रैल 2013) किया गया तथा 823 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला दूसरा भूखण्ड संख्या एनएच–1, 20 अगस्त 2013 को आयोजित नीलामी के माध्यम से ₹ 60,000 प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित (अगस्त 2013) किया गया। उक्त दोनों भूखण्ड कार्नर पर स्थित होने के बावजूद, प्राधिकरण द्वारा उक्त दोनों भूखण्डों पर कोई कार्नर शुल्क नहीं लगाया गया। उक्त भूखण्डों पर कार्नर शुल्क न लगाये जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 98.38[2] लाख के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में प्राधिकरण ने कहा (जुलाई 2014) कि उपाध्यक्ष के आदेशानुसार (जुलाई 2013) अनिस्तारित सम्पत्तियों को निस्तारित करने के लिए उक्त भूखण्डों का विक्रय किया गया था और कार्नर शुल्क की वसूली इसलिए नहीं की गयी थी क्योंकि विक्रय/नीलामी के लिए प्रकाशित ब्रोसर/पंजिका में कार्नर शुल्क की वसूली की कोई शर्त शामिल नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार शासनादेश संख्या (जीओ 780/8–1–09 तथा जीओ 1762/8–1–9 दिनांक 27 फरवरी 2009) के अनुसार कार्नर शुल्क लगाया जाना था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2014) किया गया तथा उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2014) था।

वन विभाग

3.4 रायल्टी की कम वसूली के कारण हानि

रायल्टी की गणना के लिए काष्ठ के वास्तविक उत्पादन के स्थान पर अनुमानित उत्पादन को आधार मानने के परिणामस्वरूप ₹ 6.21 करोड़ की रायल्टी की कम वसूली हुई।

वन संहिता के अध्याय 2 के प्रस्तर 2.7, सहपठित अपर मुख्य वन संरक्षक (प्रबंधन) यूपी नैनीताल 333–टीसी/37–71(1), 26.06.1978 के शासकीय आदेश के अनुसार उत्तर

[2] (823*60,000*10 प्रतिशत) जोड़ा (875*6,000*10 प्रतिशत) = ₹ 98.38 लाख

प्रदेश वन निगम (यूपीएफसी) काष्ठ के आवंटन पर आयतन गुणांक[3] के आधार पर संगणित करके, रायल्टी का भुगतान उत्तर प्रदेश, वन विभाग (वन विभाग) को करता है।

लेखा परीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2013) कि काष्ठ लाटों के दोहन के उपरान्त यूपीएफसी वन विभाग को सर्मपण प्रपत्र प्रेषित करता है जिसमें काष्ठ के अनुमानित आयतन के साथ–साथ वास्तविक काष्ठ के उत्पादन का विवरण होता है तथा जिस पर रायल्टी की गणना की जाती है। काष्ठ के वास्तविक उत्पादन के आकड़ों की उपलब्धता होने के बावजूद रायल्टी की गणना, काष्ठ के अनुमानित आयतन (7,111.28 घन मी.) **(परिशिष्ट 3.3)** पर की गई।

इस प्रकार रायल्टी की गणना काष्ठ के वास्तविक उत्पादन (11,827.45 घन मी.) के स्थान पर अनुमानित उत्पादन पर करने के परिणामस्वरूप, वन विभाग के छः प्रभागों में ₹ 6.21 करोड़ की रायल्टी (4,716.17 घन मी.) की कम वसूली हुई।**(परिशिष्ट 3.3)**

वन विभाग ने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि वास्तविक उत्पादन के आधार पर रायल्टी की वसूली किये जाने के लिए कोई शासनादेश नहीं है। इस प्रकार रायल्टी की वसूली अनुमानित उत्पादन के आयतन के आधार पर की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश वन विभाग का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा आयतन निर्धारण और रायल्टी की दरों के निर्धारण के लिए आदेश निर्गत करता है। अतः राज्यहित को ध्यान में रखते हुए, रायल्टी निर्धारण हेतु काष्ठ के अनुमानित आयतन के स्थान पर वास्तविक उत्पादन को आधार मानना चाहिए था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (जुलाई 2014) किया गया तथा उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2014) था।

ऊर्जा विभाग

3.5 अधिशेष निधियों का अविवेकपूर्ण रूप से रखा जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) अधिशेष निधियों को उच्च ब्याज दरों पर रखने में असफल रहा और ₹ 3.29 करोड़ के ब्याज की धनराशि की हानि को वहन किया।

नियमावली (कार्य संचालन) 2010 की धारा 3 एवं 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी), प्रतिवर्ष विद्युत कम्पनियों से विभिन्न शुल्क एवं अर्थ दण्ड प्राप्त करता है। विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 की धारा 33 के अनुसार यूपीईआरसी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय एवं व्यय के लिए बजट तैयार करना था।

हमने देखा कि यूपीईआरसी ने वित्तीय वर्षों 2012–14 के लिए आवश्यक बजट तैयार नहीं किया था इसलिए हमने निधियों की उपलब्धता एवं उसके अनुप्रयोग कि स्थिति का निरीक्षण किया। हमने लेखा परीक्षा के दौरान देखा कि वर्ष 2012–14 के मध्य सभी व्ययों हेतु भुगतान करने के पश्चात् यूपीईआरसी के बचत खातों में न्यूनतम ₹ 26 करोड़, ₹ 24 करोड एवं ₹ 47 करोड़ क्रमशः अप्रयुक्त रहें। इस प्रकार यूपीईआरसी के पास उक्त अप्रयुक्त निधि, वर्ष 2012–14 के मध्य, 9.25 प्रतिशत से 10.99 प्रतिशत की दर पर सावधि जमा के रूप में विनियोग करने के लिए उपलब्ध थी। किन्तु यूपीईआरसी विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन अपनाने में असफल रहा और उक्त अवधि में निधियों को 6.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अर्जित करने वाले आटो स्वीप सुविधायुक्त बचत खातें में रखा।

[3] पत्र संख्या पी–398/4 आयतन गुणांक/गोरखपुर क्षेत्र, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 10, 2012

उत्तर में प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि नये भवन निर्माण हेतु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों को बचत खाते में रखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियाँ तीन वर्षों तक अप्रयुक्त पड़ी रहीं तथा कोई भी निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ। इसके अलावा, अप्रयुक्त निधि के बेहतर विनियोग को चिन्हित करने हेतु यूपीईआरसी द्वारा बजट तैयार नहीं किया गया।

इस प्रकार उच्च ब्याज दर पर अधिशेष निधियों को रखने में असफल रहने के कारण यूपीईआरसी को ₹ 3.29 करोड़ के ब्याज की धनराशि की हानि हुई **(परिशिष्ट 3.4)**।

विनीता मिश्रा

लखनऊ
दिनांक

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा),
उत्तर प्रदेश

23 फरवरी 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक
25 फरवरी 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1

(प्रस्तर 1.8 में सन्दर्भित)

अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	31 मार्च 2014 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	सम्मिलित कुल राशि	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित है	31 मार्च 2014 की समाप्ति पर 5 वर्षों से अधिक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	31 मार्च 2014 की समाप्ति पर 5 वर्षों से अधिक अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवास एवं शहरी नियोजन	92	709	33251.80	2008-09	21	149
2	औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास	90	221	256.78	2007-08	39	102
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग	5	21	107.26	2008-09	1	9
4	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	0	0	0.00	--	--	--
5	वन	651	2126	2643.87	2007-08	210	564
6	ऊर्जा	12	27	3743.20	2003-08	2	2
7	सहकारिता	26	56	1789.82	2007-08	5	7
8	गन्ना विकास	53	133	2228.88	2008-09	10	27
9	पर्यटन	11	40	510.76	2007-08	2	9
10	पर्यावरण	6	27	859.59	2008-09	1	4
11	खादी एवं ग्रामोद्योग	5	35	2891.11	2008-09	1	7
12	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	18	55	195.10	2008-09	5	19
13	दुग्धशाला विकास	98	334	1020.38	2008-09	18	60
14	विज्ञान एवं प्रौघोगिकी	5	37	224.17	2008-09	1	6
15	नागरिक उड्डयन	5	19	166.50	2009-10	0	0
16	मद्य निषेध	5	5	13.18	2008-09	1	1
17	राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	19	34	329.09	2008-09	4	10
18	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/ गैर–परम्परागत ऊर्जा	4	32	58.93	2007-08	1	5
	योग	**1105**	**3911**	**50290.42**		**322**	**981**

परिशिष्ट 1.2

(प्रस्तर 1.11 में सन्दर्भित)

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	स्वायत्त निकायों का नाम	वर्ष जब तक एसएआर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिसकी एसएआर विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया		एसएआर के न रखे जाने का कारण
			एसएआर के वर्ष	शासन को निर्गत करने की तिथि	
1	2	3	4	5	6
1	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ	2009-10	2010-11	08.09.2014	कारण उपलब्ध नहीं कराये गये
2	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	स्थापना के बाद से (2003–04) कोई भी पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में नहीं रखा गया।	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	19.10.2006 05.10.2007 05.10.2007 03.10.2008 17.08.2009 15.02.2010 26.05.2011 08.06.2012 24.09.2014	कारण उपलब्ध नहीं कराये गये

परिशिष्ट 2.1

संगठनात्मक चार्ट

(प्रस्तर 2.1.2.2 में संदर्भित)

'

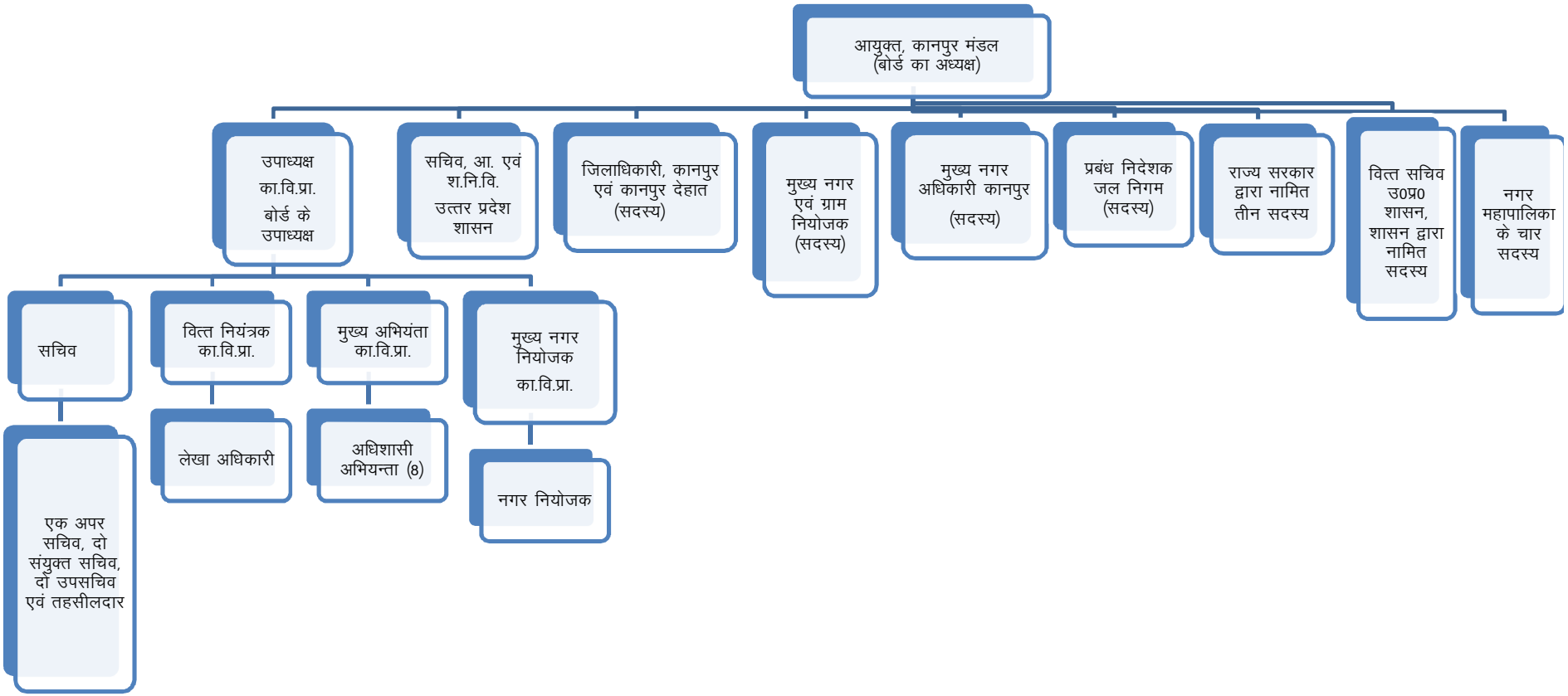

क्रमशः.....

पदाधिकारियों के कर्तव्यों का चार्टर

1. **उपाध्यक्ष** प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पास प्राधिकरण के समस्त कार्यकलापों, इसके स्टाफ, निधि एवं व्यय के समग्र पर्यवेक्षण, अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियां होंगी।
2. **प्राधिकरण का सचिव**, शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन, प्राधिकरण के अभिलेखों एवं कार्यवाहियों का रख–रखाव सुनिश्चित करेगा। (उपाध्यक्ष के अधीन)
3. **वित नियंत्रक** प्राधिकरण के लेखा विभाग के स्टाफ एवं कोषागार पर उचित एवं पर्याप्त नियंत्रण रखेगा। (उपाध्यक्ष के अधीन)
4. **मुख्य नगर नियोजक** के पास मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करना एवं नक्शा अनुमोदन में मास्टर प्लान की शर्तों का अनुपालन कराने की शक्ति होंगी। (उपाध्यक्ष के अधीन)
5. **मुख्य अभियन्ता** के पास प्राधिकरण की नई एवं आगामी योजनाओं में निर्माण एवं विकास कार्य निष्पादन कराने की शक्ति होगी। (उपाध्यक्ष के अधीन)
6. **तहसीलदार** योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये भूमि अर्जन से सम्बन्धित मामले देखता है। (सचिव के अधीन)

क्रमशः.....

उ0प्र0 शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 51 (2) के अंतर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन

क्रम सं.	पदनाम	प्रत्यायोजित शक्तियों एवं दायित्वों का संक्षिप्त विवरण	उ0प्र0 शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा	प्रत्यायोजन की सीमा
1	2	3	4	5
1	उपाध्यक्ष	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति (केन्द्रीकृत सेवा एवं प्रतिनियुक्ति से संबन्धित पदों को छोड़कर)	5 (2)	सभी शक्तियां एवं कार्य
		• संपत्तियों का धारण एवं प्रबंधन • भूमि एवं अन्य संपत्तियों का निस्तारण (ऐसे मामलों के अलावा जो प्राधिकरण के मानदंडों एवं कार्यों से सम्बन्धित नहीं है) • बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवेज का निष्पादन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं रखरखाव के सम्बन्ध में निर्माण, अभियांत्रिकी, खनन एवं अन्य क्रियाकलापों का निष्पादन।	7	सभी शक्तियां एवं कार्य
		विकास क्षेत्र के नागरिक सर्वेक्षण एवं मास्टर प्लान की पहल करना	8	निर्णायक चरण तक सभी शक्तियां एवं कार्य
		जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करवाना	9	निर्णायक चरण तक सभी शक्तियां एवं कार्य
		मास्टर प्लान में संशोधन की कार्यवाही जो कि भू उपयोग या जनघनत्व के मानकों को प्रभावित ना करे	13 (1)	निर्णायक चरण तक सभी शक्तियां एवं कार्य
		भू–निस्तारण (आवंटन, निरस्तीकरण एवं बहाली का अनुमोदन)	18	सभी शक्तियां एवं कार्य
		भवन/भूखण्डों पर पुनः प्रवेश की कार्यवाही करना	18	
		प्राधिकरण की निधि का रखरखाव	20 (1)	सभी शक्तियां एवं कार्य
		प्राधिकरण के बजट में प्राविधानित खर्चों को उसी वर्ष, जिसमें वास्तविक खर्चा हुआ है, हेतु निधि का प्रयोग करना।	20 (2)	विस्तृत आगणन तैयार करना, आगणन का अनुमोदन, निविदा, अनुबंधों का निष्पादन एवं प्राधिकरण के सभी विभागों के ₹ 1 लाख से अधिक के खर्चों की स्वीकृति।
		सुविधाएं प्रदान करने की शक्ति या भूस्वामी के खर्चे पर विकास कार्य एवं कुछ मामलों में उपकर लगाना	33	सभी शक्तियां एवं कार्य
		कुछ मामलों में स्थानीय प्राधिकारी से जिम्मेदारी वहन करवाना	34	सभी शक्तियां एवं कार्य
		बकाया रकम को प्रमाणित करने की शक्ति एवं वसूली सुनिश्चित करना	40	सभी शक्तियां एवं कार्य
2	सचिव	विक्रय अनुमति एवं नामांतरण	18	
		वसूली प्रमाण पत्र तथा डिसट्रेस वारंट निर्गत करना	18	

1	2	3	4	5
		प्राधिकरण के बजट में प्राविधानित खर्चों को उसी वर्ष, जिसमें वास्तविक खर्च हुआ है हेतु निधि का प्रयोग करना	20 (2)	विस्तृत आगणन तैयार करवाना, आगणन का अनुमोदन, निविदा अनुबन्धों का निष्पादन एवं प्राधिकरण के सभी विभागों के ₹ 1 लाख तक के खर्चों की स्वीकृति
			20 (2)	प्राधिकरण के सभी विभागों के ₹ 25,000 से अधिक के विविध खर्चों की स्वीकृति।
			20 (2)	मुख्य लेखाधिकारी के साथ चैक पर हस्ताक्षर करना
			20 (2)	₹ 10,000 तक के सभी प्रकार के अग्रिम
3	संयुक्त सचिव	• गिरवी/बंधक रखने की अनुमति • मांगपत्र जारी करना • अनुबन्ध एवं पट्टा विलेख का क्रियान्वयन • भवनों एवं भुखण्डों का कब्जा प्रदान करवाना	18	
		प्राधिकरण के बजट में प्राविधानित खर्चों को उसी वर्ष, जिसमें वास्तविक खर्च हुआ है हेतु निधि का प्रयोग करना।	20 (2)	भवन/फ्लैट्स/दुकानों के भूखण्डों का ₹ 10,000 तक प्रत्येक प्रकरण में बयाना वापसी के संबंध में आदेश पारित करना।
4	मुख्य अभियन्ता	प्राधिकरण के बजट में प्राविधानित खर्चों को उसी वर्ष, जिसमें वास्तविक खर्च हुआ है, हेतु निधि का प्रयोग करना।	20 (2)	विस्तृत आगणन तैयार करवाना, आगणन का अनुमोदन निविदा अनुबंधों का निष्पादन एवं प्राधिकरण के सभी विभागों के कुल ₹ 20,000, प्रत्येक मामले में, तक के खर्चों की स्वीकृति।
5	अधिशाषी अभियन्ता	भवनों एवं भूखण्डों का कब्जा प्रदान करवाना।	18	
		प्राधिकरण के बजट मे प्राविधानित खर्चों को उसी वर्ष, जिसमें वास्तविक खर्च हुआ है, हेतु निधि का प्रयोग करना	20 (2)	विस्तृत आगणन तैयार करवाना, आगणन का अनुमोदन, निविदा अनुबंधों का निष्पादन एवं प्राधिकरण के सभी विभागों के कुल 10,000, प्रत्येक मामले में, तक के खर्चों की स्वीकृति।
6	विधि अधिकारी	प्राधिकरण के बजट मे प्राविधानित खर्चों को उसी वर्ष, जिसमें वास्तविक खर्च हुआ है, हेतु निधि का प्रयोग करना	20 (2)	क्रय, व्यय का अनुमोदन एवं अधिवक्ता एवं शपथ तथा न्यायालय आयुक्त सार्वजनिक नोटरी एवं अन्य मुकदमों के प्रति केस के ₹ 1,000 तक शुल्क का भुगतान।

.1	2	3	4	5
7	मुख्य लेखा अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी / मुख्य अभियन्ता सभी संयुक्त सचिव, सभी अधिशासी अभियन्ता	प्राधिकरण के बजट में प्राविधानित खर्चों को उसी वर्ष जिसमें वास्तविक खर्च हुआ है, हेतु निधि का प्रयोग करना	20 (2)	सम्बन्धित विभाग के इम्प्रेस्ट से प्रत्येक प्रकरण में ₹ 500 तक का आकस्मिक व्यय करना एवं भुगतान का अनुमोदन करना, कार्यालय के सभी विभागों के प्रमुखों के कुल ₹ 5,000 प्रत्येक माह तक के विविध व्यय का अनुमोदन

परिशिष्ट 2.2

(प्रस्तर 2.1.6.2 में सन्दर्भित)

सावधि जमा में कम दरों पर विनियोजन को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	एफडीआर संख्या	एफडीआर निर्गत होने की तिथि	एफडीआर निर्गत करने वाले बैंक	शाखा नाम	विनियोजित धनराशि	ब्याज की दर जिसपर एफडीआर किये गये	उच्चतर ब्याज दर का प्रस्ताव देने वाले बैंक	शाखा नाम	प्रस्तावित ब्याज दर	ब्याज दरों में अन्तर	हानि की राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	487901	21.01.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	54787900	7.5	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	8.5	1	547879.00
2	659087	10.02.09	इण्डियन बैंक	कानपुर कैण्ट	9000000	8	इलाहाबाद बैंक	बर्रा	8.77	0.77	69300.00
3	659088	10.02.09	इण्डियन बैंक	कानपुर कैण्ट	9000000	8	इलाहाबाद बैंक	बर्रा	8.77	0.77	69300.00
4	659089	10.02.09	इण्डियन बैंक	कानपुर कैण्ट	9000000	8	इलाहाबाद बैंक	बर्रा	8.77	0.77	69300.00
5	659090	10.02.09	इण्डियन बैंक	कानपुर कैण्ट	9000000	8	इलाहाबाद बैंक	बर्रा	8.77	0.77	69300.00
6	659091	10.02.09	इण्डियन बैंक	कानपुर कैण्ट	9000000	8	इलाहाबाद बैंक	बर्रा	8.77	0.77	69300.00
7	659092	10.02.09	इण्डियन बैंक	कानपुर कैण्ट	9000000	8	इलाहाबाद बैंक	बर्रा	8.77	0.77	69300.00
8	659093	10.02.09	इण्डियन बैंक	कानपुर कैण्ट	9210987	8	इलाहाबाद बैंक	बर्रा	8.77	0.77	70924.60
9	665969	20.02.09	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	माल रोड	6000000	8.25	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	8.77	0.52	31200.00
10	665970	20.02.09	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	माल रोड	8800000	8.25	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	8.77	0.52	45760.00
11	665971	20.02.09	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	माल रोड	9500000	8.25	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	8.77	0.52	49400.00
12	665972	20.02.09	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	माल रोड	9000000	8.25	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	8.77	0.52	46800.00
13	665973	20.02.09	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	माल रोड	7500000	8.25	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	8.77	0.52	39000.00
14	665974	20.02.09	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	माल रोड	9200000	8.25	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	8.77	0.52	47840.00
15	970511	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
16	970512	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	970513	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
18	970514	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
19	970515	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
20	970516	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
21	970517	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
22	970518	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
23	970519	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
24	970520	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9500000	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	47500.00
25	970521	25.02.09	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	2529902	8.5	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	9	0.5	12649.51
26	499	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी	5000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	50000.00
27	उपलब्ध नहीं	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी	5000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	50000.00
28	457	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी	5000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	50000.00
29	462	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी	5000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	50000.00
30	505	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी	5000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	50000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	471	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी	5000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	50000.00
32	377526	31.03.09	बैंक ऑफ बड़ोदा	गोविन्द नगर	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
33	377527	31.03.09	बैंक ऑफ बड़ोदा	गोविन्द नगर	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
34	177826	31.03.09	बैंक ऑफ बड़ोदा	गोविन्द नगर	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
35	177827	31.03.09	बैंक ऑफ बड़ोदा	गोविन्द नगर	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
36	133828	31.03.09	बैंक ऑफ बड़ोदा	गोविन्द नगर	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
37	133829	31.03.09	बैंक ऑफ बड़ोदा	गोविन्द नगर	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
38	168763	31.03.09	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	मेन ब्रान्च	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
39	168764	31.03.09	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	मेन ब्रान्च	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
40	169143	31.03.09	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	मेन ब्रान्च	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
41	169144	31.03.09	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	मेन ब्रान्च	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	669935	31.03.09	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	मेन ब्रान्च	5000000	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25000.00
43	669936	31.03.09	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	मेन ब्रान्च	5133479	8.5	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	0.5	25667.40
44	37537	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	9000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	90000.00
45	37555	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	7805045	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	78050.45
46	37546	31.03.09	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	9000000	8	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	9	1	90000.00
47	819175	27.11.09	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	9000000	6	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	6.5	0.5	45000.00
48	819176	27.11.09	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	9000000	6	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	6.5	0.5	45000.00
49	819177	27.11.09	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	9000000	6	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	6.5	0.5	45000.00
50	819178	27.11.09	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	9000000	6	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	6.5	0.5	45000.00
51	819179	27.11.09	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	7813326	6	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	6.5	0.5	39066.63
52	58420	24.12.09	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	भूसा टोली	5000000	6.25	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	6.75	0.5	25000.00
53	339380	17.02.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	4311751	6	इलाहाबाद बैंक	किदवई नगर	6.5	0.5	21558.76
54	915531	26.02.10	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	काल्पी रोड	13609108	6	इलाहाबाद बैंक	शक्कर पट्टी	6.5	0.5	68045.54
55	3276	09.03.10	आन्ध्रा बैंक	सिविल लाइन्स	10164523	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	50822.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	340328	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
57	340329	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
58	340330	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
59	340331	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
60	340332	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
61	340333	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
62	340334	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
63	340335	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	9000000	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	45000.00
64	340336	10.03.10	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	1157844	6	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	6.5	0.5	5789.22
65	12	31.03.10	पंजाब नेशनल बैंक	कर्रराही	10000000	6	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	टी पी नगर	6.75	0.75	75000.00
66	46586	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287295	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
67	46595	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287294	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
68	46601	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287294	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
69	46610	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287296	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.72
70	46629	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287294	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	46638	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287294	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
72	46647	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287295	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
73	46656	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287294	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
74	46665	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287295	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
75	46674	27.11.10	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	5287294	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8	0.75	39654.71
76	4970	02.12.10	पंजाब नेशनल बैंक	केडीए ब्रान्च	5000000	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	8.5	1.25	62500.00
77	4989	02.12.10	पंजाब नेशनल बैंक	केडीए ब्रान्च	5000000	7.25	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	8.5	1.25	62500.00
78	7311	04.02.11	पंजाब नेशनल बैंक	बिरहाना रोड	5760988	5.5	बैंक ऑफ बड़ोदा	चुन्नीगंज	9.65	4.15	239081.00
79	7320	04.02.11	पंजाब नेशनल बैंक	बिरहाना रोड	5760990	5.5	बैंक ऑफ बड़ोदा	चुन्नीगंज	9.65	4.15	239081.09
80	7339	04.02.11	पंजाब नेशनल बैंक	बिरहाना रोड	5760989	5.5	बैंक ऑफ बड़ोदा	चुन्नीगंज	9.65	4.15	239081.04
81	7348	04.02.11	पंजाब नेशनल बैंक	बिरहाना रोड	5760991	5.5	बैंक ऑफ बड़ोदा	चुन्नीगंज	9.65	4.15	239081.13
82	339380	17.02.11	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	4548950	8.25	बैंक ऑफ बड़ोदा	चुन्नीगंज	9.65	1.4	63685.30
83	82290	21.02.11	आन्ध्रा बैंक	आर के नगर	10000000	9	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी कालेज	9.5	0.5	50000.00
84	15535	11.03.11	पंजाब नेशनल बैंक	रावतपुर	5266960	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	बिरहाना रोड	9.85	0.85	44769.16
85	15544	11.03.11	पंजाब नेशनल बैंक	रावतपुर	5266960	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	बिरहाना रोड	9.85	0.85	44769.16
86	1017466	30.03.11	इलाहाबाद बैंक	रायपुरवा	5333008	8.75	कैनरा बैंक	माल रोड	10	1.25	66662.60
87	1017467	30.03.11	इलाहाबाद बैंक	रायपुरवा	5333008	8.75	कैनरा बैंक	माल रोड	10	1.25	66662.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	21	30.03.11	पंजाब नेशनल बैंक	जनरलगंज	13728516	9.5	कैनरा बैंक	माल रोड	10	0.5	68642.58
89	124026	30.03.11	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	मीरपुर कैण्ट	5299697	9.25	कैनरा बैंक	माल रोड	10	0.75	39747.73
90	124027	30.03.11	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	मीरपुर कैण्ट	7949547	9.25	कैनरा बैंक	माल रोड	10	0.75	59621.60
91	124028	30.03.11	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	मीरपुर कैण्ट	7949547	9.25	कैनरा बैंक	माल रोड	10	0.75	59621.60
92	1017468	30.03.11	इलाहाबाद बैंक	रायपुरवा	5333008	8.75	कैनरा बैंक	माल रोड	10	1.25	66662.60
93	1017469	30.03.11	इलाहाबाद बैंक	रायपुरवा	5333008	8.75	कैनरा बैंक	माल रोड	10	1.25	66662.60
94	10	30.03.11	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	50000000	9.5	कैनरा बैंक	माल रोड	10	0.5	250000.00
95	168764	31.03.11	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	गोविन्द नगर	5777066	9	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	9.5	0.5	28885.33
96	168763	31.03.11	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	गोविन्द नगर	5776803	9	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	9.5	0.5	28884.02
97	59937	31.03.11	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	8850443	9	पंजाब नेशनल बैंक	किदवई नगर	9.5	0.5	44252.22
98	50068503038	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	गोविन्द नगर	4192602	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	20963.01
99	50068503152	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	गोविन्द नगर	10244836	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	51224.18
100	50068503083	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	गोविन्द नगर	10244836	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	51224.18
101	1009790	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9539471	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	47697.36
102	1009791	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9539471	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	47697.36
103	1009792	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9539471	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	47697.36
104	1009793	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9539471	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	47697.36
105	1009794	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9539471	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	47697.36
106	1009795	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	9539471	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	47697.36
107	1009796	27.06.11	इलाहाबाद बैंक	स्वरूप नगर	4623561	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	9.5	0.5	23117.81
108	51786	19.08.11	इलाहाबाद बैंक	लखनपुर	10182661	9	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	टी पी नगर	9.5	0.5	50913.31
109	32143209242	14.01.12	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	खपरा मोहाल	22357621	9	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	लैण्डमार्क	9.75	0.75	167682.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	26456	21.03.12	ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	लैण्डमार्क	20000000	9.75	बैंक ऑफ बड़ोदा	सर्वोदय नगर	10.25	0.5	100000.00
111	34	22.03.12	पंजाब नेशनल बैंक	केडीए ब्रान्च	11535607	9.5	बैंक ऑफ बड़ोदा	पटेल नगर	10.25	0.75	86517.05
112	43	22.03.12	पंजाब नेशनल बैंक	केडीए ब्रान्च	11533445	9.5	बैंक ऑफ बड़ोदा	पटेल नगर	10.25	0.75	86500.84
113	58	31.03.12	पंजाब नेशनल बैंक	जुहारी देवी	37140034	9.5	बैंक ऑफ बड़ोदा	तिलक नगर	10.3	0.8	297120.27
114	203076	03.05.12	बैंक ऑफ बड़ोदा	फजलगंज	11478812	8.75	इलाहाबाद बैंक	लखनपुर	9.5	0.75	86091.09
115	933065	22.12.12	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8957011	8.5	इलाहाबाद बैंक	लखनपुर	9	0.5	44785.06
116	929435	22.12.12	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8957011	8.5	इलाहाबाद बैंक	लखनपुर	9	0.5	44785.06
117	931411	22.12.12	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मोतीझील	8957011	8.5	इलाहाबाद बैंक	लखनपुर	9	0.5	44785.06
118	1388535	14.03.13	इण्डसइण्ड बैंक	स्वरूप नगर	10971995	9	बैंक ऑफ बड़ोदा	गोविन्द नगर	9.51	0.51	55957.17
119	79295	21.03.13	इलाहाबाद बैंक	गुमटी नं0 5	4991883	9	इलाहाबाद बैंक	लाजपत नगर	9.5	0.5	24959.42
योग											**7516463.93**

परिशिष्ट 2.3

(प्रस्तर 2.1.6.3 में सन्दर्भित)

आटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण हुई ब्याज की हानि को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	बैंकों के नाम	ब्याज धनराशि (₹)
1	2	3
1	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मोतीझील, चालू खाता नं0 10500637173	19482647.98
2	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आर्य नगर, चालू खाता नं0 30192716962	344321.84
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नौबस्ता, चालू खाता नं0 30192148826	2846733.65
4	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रतन लाल नगर, चालू खाता नं0 30192728060	3252852.60
5	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, उसमानपुर, चालू खाता नं0 30192749295	1246566.76
6	आईसीआईसीआई बैंक, अशोक नगर, चालू खाता नं0 083205001222	1358460.21
7	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मोतीझील, चालू खाता नं0 10500637195	6588754.09
8	पंजाब नेशनल बैंक, माल रोड, चालू खाता नं0 255002100678031	646598.34
9	इण्डसइण्ड बैंक, कानपुर शाखा, चालू खाता नं0 200004159524	355410.26
योग		**36122345.73**

परिशिष्ट 2.4

(प्रस्तर 2.1.6.4 में सन्दर्भित)

भारतीय स्टेट बैंक से किराये की कम वसूली को दर्शाती हुई विवरणी

बैंक को उपलब्ध कराया गया कुल आच्छादित क्षेत्रफल = 8744 वर्ग फिट (812.32 वर्ग मी0)

(अ) जनवरी 2007 से जुलाई 2008 तक प्रभावी डीएम सर्किल दर के अनुसार किराया = ₹ 130 प्रति वर्ग मी0 प्रति माह = ₹ 105602 (812.32x130 प्रति वर्ग मी0)
(ब) अगस्त 2008 से जुलाई 2010 तक प्रभावी डीएम सर्किल दर के अनुसार किराया = ₹ 250 प्रति वर्ग मी0 प्रति माह = ₹ 203080 (812.32x250 प्रति वर्ग मी0)
(स) अगस्त 2010 से जुलाई 2011 तक प्रभावी डीएम सर्किल दर के अनुसार किराया = ₹ 300 प्रति वर्ग मी0 प्रति माह = ₹ 243696 (812.32x300 प्रति वर्ग मी0)
(द) अगस्त 2011 से जुलाई 2013 तक प्रभावी डीएम सर्किल दर के अनुसार किराया = ₹ 350 प्रति वर्ग मी0 प्रति माह = ₹ 284312 (812.32x350 प्रति वर्ग मी0)
(य) अगस्त 2013 से मार्च 2014 तक प्रभावी डीएम सर्किल दर के अनुसार किराया = ₹ 400 प्रति वर्ग मी0 प्रति माह = ₹ 324938 (812.32x400 प्रति वर्ग मी0)

क्रम संख्या	अवधि	कुल माह	सर्किल दर के अनुसार किराया	बैंक से वसूल किया गया किराया	अन्तर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)	(7=3x6)
1	जनवरी 2007 से मई 2008 तक	19	105602	43513	62089	1179691
2	जून 2008 से जुलाई 2008 तक	2	105602	65270	40332	80664
3	अगस्त 2008 से जुलाई 2010 तक	24	203080	65270	137810	3307440
4	अगस्त 2010 से जुलाई 2011 तक	12	243696	65270	178426	2141112
5	अगस्त 2011 से जुलाई 2013 तक	24	284312	65270	219042	5257008
6	अगस्त 2013 से मार्च 2014 तक	08	324938	65270	259668	2077344
					कुल योग	14043259

परिशिष्ट 2.5 (अ)

(प्रस्तर 2.1.8.3 में संदर्भित)

तल क्षेत्र अनुपात (तक्षेअ) प्रभार की कम वसूली से सम्बन्धित प्रेक्षण

क्रम सं.	निर्माता (बिल्डर) का नाम	लेखा परीक्षा निष्कर्ष	वित्तीय प्रभाव (₹ करोड़)
1	2	3	4
1	*महावीर सहकारी आवास समिति*	पुनरीक्षित भवन उपविधि (सितम्बर 2011) के उपवाक्य 3.5.1 (VII) के अनुसार नये/अविकसित क्षेत्र में निजी भूमि पर स्थित सामूहिक आवास योजनाओं को 2.5 तक्षेअ की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि 2.5 एवं 1.5 तक्षेअ के अंतर की वसूली क्रय योग्य तक्षेअ के रूप में की जाएगी। हमने पाया कि बैरी अकबरपुर कच्छार क्षेत्र में जून 2013 में सामूहिक आवास नक्शा अनुमोदित करते समय, 2.5 एवं 1.5 तक्षेअ शुल्क का अंतर आरोपित किये बिना ही 111557.54 वर्गमीटर तक्षेअ की अनुमति दे दी गई। अतः 45194.26 वर्गमीटर अंतर के क्रय योग्य तक्षेअ पर ₹ 8.40[1] करोड़ मूल्य का तक्षेअ शुल्क नहीं वसूला गया। बजाय इसके, प्राधिकरण ने ₹ 6.90 करोड़ वसूले जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.50 करोड़ की कम वसूली हुई। प्राधिकरण ने अपने उत्तर में तक्षेअ की कम वसूली की कोई वजह स्पष्ट नहीं की।	1.50
2	*रतन कोलोनाइजर्स*	भवन उपविधि के उपवाक्य 3.3.6(x) के अनुसार, सामूहिक आवास योजना के लिए तक्षेअ, रोड, पार्क एवं खुला क्षेत्र एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए क्षेत्रफल घटा कर शुद्ध क्षेत्रफल पर दिया जाना था। हमने पाया कि एक सामूहिक आवास मानचित्र नरामऊ (18846 वर्गमीटर भूखंड पर) जून 2009 में अनुमोदित किया गया था। प्राधिकरण ने शुद्ध क्षेत्रफल (15571.10 वर्गमीटर, सड़क चौड़ीकरण क्षेत्रफल घटाने के बाद परिकल्पित) के बजाय सकल क्षेत्रफल (18846 वर्गमीटर) पर 46421.42 वर्गमीटर तक्षेअ की अनुमति दी। इसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त तक्षेअ देने से ₹ 0.96[2] करोड़ की कम वसूली हुई। आगे, भवन उपविधि के उपवाक्य 3.3.5 के अनुसार, सकल क्षेत्रफल से भूखण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत पार्क के लिए घटाया जाना था।	1.32

[1] (111557.54 - 67791.37 वर्गमीटर)/2.5*₹ 12000*0.40.
[2] (46421.42 - 38927.75 वर्गमीटर)/2.5*₹ 8000*0.40.

1	2	3	4
		हमने पाया कि तक्षेअ क्षेत्रफल की अनुमति देते समय सकल क्षेत्रफल से पार्क का क्षेत्रफल नहीं घटाया गया जो कि उपवाक्य 3.3.5 के तहत घटाना चाहिए था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 36.18[3] लाख मूल्य का 2826.90 वर्गमीटर अतिरिक्त तक्षेअ अनुमित किया गया। प्राधिकरण ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) मे कहा कि निर्णय तकनीकी समिति द्वारा लिया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्ष को संबोधित नहीं करता है।	
3	*संजय अग्रवाल केशवपुरम*	भवन उपविधि के उपवाक्य 3.3.5 के अनुसार तक्षेअ की अनुमति हेतु, सकल क्षेत्रफल से भूखण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत पार्क के लिए घटाया जाना था। हमने पाया कि दिसम्बर 2010 में विनायकपुर में (8108 वर्ग मीटर भूखण्ड पर) एक सामूहिक आवास मानचित्र अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण ने शुद्ध क्षेत्रफल (6891.80 वर्ग मीटर) के स्थान पर सकल क्षेत्रफल (8108 वर्ग मीटर) पर पार्क का क्षेत्रफल घटाए बिना 11769.73 वर्ग मीटर का तक्षेअ अनुमित किया। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 43.92[4] लाख की कम वसूली हुई। प्राधिकरण ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि व्याप्ति क्षेत्र एवं तक्षेअ इसलिये प्रदान किये गए क्योंकि भूखंड प्राधिकरण की योजनाओं से लगा हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन उपविधि के उपवाक्य 3.3.5 में प्राधिकरण से सटे भूखंड पर शिथिलता का प्रावधान नहीं है।	0.44
4	*सृष्टि डवैलिंग लिमिटेड*	पार्वती बगला रोड पर मार्च 2010 में भूखंड सं. 4/276पी जिसकी माप 2112.57 वर्ग मीटर थी, का संशोधित सामूहिक आवास मानचित्र अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण ने अनुमत 3709.58 वर्ग मीटर त.क्षे.अ. (रोड चौड़ीकरण/विस्तारीकरण घटाने के पश्चात एवं 33 प्रतिशत क्रय योग्य तक्षेअ एवं 10 प्रतिशत शमनीकरण के पश्चात 1690.40 वर्ग मीटर का 1.5 गुना) के विरुद्ध बिल्डर को 4989.53 वर्ग मीटर का तक्षेअ अनुमोदित किया। इसके परिणामस्वरूप अनुचित लाभ दिया गया एवं अतिरिक्त तक्षेअ के रूप में ₹ 0.96[5] करोड़ की कम वसूली की गई। उसी बिल्डर के दूसरे भूखंड के लिए (नं0 4/276 माप 2438.60 वर्गमीटर) प्राधिकरण ने संशोधित सामूहिक आवास मानचित्र दिसम्बर 2009 में अनुमोदित किया। प्राधिकरण ने अनुमत 4981.29 वर्ग मीटर तक्षेअ (रोड चौड़ीकरण एवं 33	0.78

[3] (18846*0.15)/2.5*₹ 8000*0.40.
[4] (11769.73 – 10337.70)/1.5*₹ 11500*0.40.
[5] (4989.53 वर्गमीटर - 3709.58 वर्गमीटर)/1.5*₹ 28000*0.40.

1	2	3	4
		प्रतिशत क्रय योग्य तक्षेअ एवं 10 प्रतिशत शमन को घटाने के पश्चात 2269.90 वर्ग मीटर का 1.5 गुना) के विरूद्ध बिल्डर को 5436.55 वर्गमीटर का तक्षेअ अनुमोदित कर बिल्डर को ₹ 33.99[6] लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया। ₹ 1.30 करोड़ के वसूली योग्य प्रभार के विरूद्ध प्राधिकरण ने ₹ 51.87 लाख वसूला जिसके फलस्वरूप ₹ 0.78 लाख की कम वसूली हुई। प्राधिकरण ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि क्षतिपूरक तक्षेअ रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गई भूमि पर अनुमित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूरक तक्षेअ प्राप्त करने के लिए रोड चौड़ीकरण की भूमि को निःशुल्क प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होता है जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया।	
5	एम0वी0आर0 हाउसिंग प्रा0 लिमिटेड	भवन उपविधि के उपवाक्य 3.3.6 (x) के अनुसार, सामूहिक आवास योजनाओं के लिए तक्षेअ की गणना रोड, पार्क एवं खुला क्षेत्र एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए क्षेत्रफल घटा कर शुद्ध क्षेत्रफल पर की जानी थी। जून 2011 में तिलक नगर में (3640.81 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर) एक संशोधित समूह आवास मानचित्र अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण ने अनुमत तक्षेअ 6307.68 वर्गमीटर (सड़क चौड़ीकरण घटाने के पश्चात शुद्ध क्षेत्रफल 2867.13 वर्ग मीटर पर) के विरूद्ध तक्षेअ 7942.02 वर्ग मीटर बिल्डर को अनुमित किया। इसके परिणाम स्वरूप अनुचित लाभ दिया गया एवं प्रदान किये गये अतिरिक्त तक्षेअ के कारण ₹ 1.62[7] करोड़ की कम वसूली की गई। आगे भवन उपविधि के उपवाक्य 3.3.5 के अनुसार सकल भूखंड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत पार्कों के लिए घटाया जाना था। हमने पाया कि तक्षेअ अनुमित करते समय नियमानुसार भूखण्ड क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत पार्क के लिए नहीं घटाया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 54.47[8] लाख मूल्य का 546.12 वर्ग मीटर अतिरिक्त तक्षेअ अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण द्वारा उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की गई।	2.16
6	रोहित सर्फेकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	नीलामी सूचना दिनांक 29 अगस्त 2007 की शर्त के अनुसार, नीलामी द्वारा बेचे गए भूखण्डों के लिए 1.2 तक्षेअ के साथ 40 प्रतिशत भू–आच्छादन अनुमत था। किन्तु प्राधिकरण ने नीलामी की शर्तों के विरुद्ध रोहित सर्फेकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 तक्षेअ स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप बिल्डर को ₹ 1.55[9] करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया। प्राधिकरण द्वारा अपने उत्तर में औचित्यपूर्ण टिप्पणी नहीं दी गयी।	1.55
		योग	**7.75**

[6] (5436.55- 4981.29)/1.5*₹ 28000*0.40.
[7] (7942.02 वर्गमीटर – 6307.68 वर्गमीटर)/1.5*₹ 37400*0.40.
[8] 546.12/1.5*₹ 37400*0.40.
[9] (5154.14 - 3092.49/1.2*₹ 18000*0.50.

परिशिष्ट 2.5 (ब)

(द्वितीय प्रस्तर 2.1.8.3 में संदर्भित)

पार्किंग क्षेत्र के अपर्याप्त प्रावधान से सम्बन्धित प्रेक्षण

क्रम सं.	निर्माता (बिल्डर) का नाम	अनियमितता की प्रकृति
1	2	3
1	*महावीर सहकारी आवास समिति*	बैरी अकबरपुर कच्छार क्षेत्र में जून 2013 में 111420.34 वर्गमीटर तल क्षेत्र का एक ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत किया गया। भवन उपविधि के अनुसार योजना के लिए 1672 कार पार्किंग क्षेत्र (111420.34 / 100 X 1.5) की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध योजना के लिए 1143 कार पार्किंग क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया। प्राधिकरण ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि मानचित्र स्वीकृति होने के समय प्रावधान लागू नहीं था। उत्तर स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि मानचित्र जून 2013 में स्वीकृत किया गया था, तब संशोधित भवन उपविधि 2011 के प्रावधान लागू थे।
2	*सुखधाम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स*	सिंहपुर कच्छार क्षेत्र में जनवरी 2012 में तल क्षेत्र 11618.64 वर्ग मीटर का एक ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत किया गया। फ्लैट्स के भू–आच्छादित क्षेत्र के आधार पर 107 कार पार्किंग क्षेत्र का प्रावधान किया गया था जबकि संशोधित उपविधि के अनुसार 1.5 कार पार्किंग क्षेत्र प्रति 100 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्र के लिए प्राविधानित किया जाना था जो कि इस मामले में 174 (11618.64 / 100 X 1.5) आगणित किया गया जिसके विरुद्ध 114 का प्रावधान स्वीकृत किया गया। प्राधिकरण ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014) में कहा कि मानचित्र की स्वीकृति तत्समय लागू मानकों के आधार पर की गयी थी। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि संशोधित उपविधि सितम्बर 2011 में अनुमोदित की गयी थी जबकि मानचित्र जनवरी 2012 में अनुमोदित किया गया था।

परिशिष्ट 2.6

(प्रारम्भिक प्रस्तर एवं प्रस्तर 2.2.7.4 में सन्दर्भित)

2010–11 से 2013–14 की अवधि में 69 जिला उद्योग केन्द्रों में भारत सरकार की चार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित 25 योजनाओं का योजनावार, बजट आवंटन एवं किये गये व्ययों को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजनाओं के नाम	2010-11	2010-11	2011-12	2011-12	2012-13	2012-13	2013-14	2013-14	योग	योग
		बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ	**भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें**										
1	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0)	उपलब्ध नहीं	9839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	8122.90	उपलब्ध नहीं	17962.00
2	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम0एस0ई0–सी0डी0पी0)	उपलब्ध नहीं	610.46	उपलब्ध नहीं	172.80	उपलब्ध नहीं	44.74	उपलब्ध नहीं	224.56	उपलब्ध नहीं	1052.56
3	निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों हेतु राज्य को सहायता (ए0एस0आई0डी0) योजना	उपलब्ध नहीं	956.04	उपलब्ध नहीं	765.40	उपलब्ध नहीं	2460.31	उपलब्ध नहीं	3011.19	उपलब्ध नहीं	7192.94
4	जनगणना योजना के अंतर्गत न्यूक्लियस सेल की स्थापना योजना	उपलब्ध नहीं	73.24	उपलब्ध नहीं	22.98	उपलब्ध नहीं	119.43	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नही	215.65
	योग (अ)		**11478.84**		**961.18**		**2624.48**		**11358.65**		**26423.15**
	₹ करोड़ में		**114.79**		**9.61**		**26.24**		**113.59**		**264.23**
ब	**उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें**										
1	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण की योजना	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	42.46	400.00	342.46
2	एस0सी0पी0 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	7.00	7.00
3	एस0सी0पी0 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना	317.00	316.81	450.00	449.38	350.00	350.00	397.00	397.00	1514.00	1513.19
4	हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	125.40	23.87	300.00	89.60	425.40	113.47
	योग (क्रम सं. 1 से 4)	**419.00**	**418.81**	**55*2.00**	**551.38**	**576.90**	**475.37**	**798.50**	**530.56**	**2346.40**	**1976.12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद में मूढ़ा हस्तशिल्पियों का तकनीकी उन्नयन	33.00	33.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00
6	सी0जी0आर0आई0 खुर्जा को अनुदान	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00
7	उद्यमकर्ता विकास योजना	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	5.99	6.00	6.00	23.00	22.99
8	लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	40.00
9	अखिल भारतीय प्रादेशिक हस्तशिल्प सप्ताह	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.68	3.00	2.70	11.00	10.38
10	जिला उद्योग बंधु एवं जिला स्तर पर सिंगल विंडो	17.50	17.48	17.50	17.50	35.00	34.92	35.00	35.00	105.00	104.90
11	तकनीकी उन्नयन योजना	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	200.00	200.00	700.00	700.00
12	हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाईन वर्कशाप	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	59.40	120.00	117.00	300.00	296.40
13	विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार	2.00	2.00	6.00	4.00	26.00	15.60	20.00	20.00	54.00	41.60
14	राज्य पूँजी उपादान योजना	13.44	13.44	42.70	4.98	63.00	63.00	67.42	41.72	186.56	123.14
15	उद्यमिता विकास संस्थान को ग्रांट	0.02	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	54.02	54.00
16	ब्लाक स्तरीय पायनियर इकाईयों के लिए विशेष राज्य पूँजी अनुदान योजना	56.40	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	56.39
17	शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना	15.60	15.60	18.00	18.00	30.00	18.38	30.00	20.58	93.60	72.56
18	त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना	563.00	563.00	597.70	597.70	924.50	924.50	1709.50	1709.50	3794.70	3794.70
19	वायुयान भाड़ा सहायता योजना	26.57	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	71.57	65.00
20	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों में भाग लेने सम्बन्धी योजना	65.00	65.00	65.00	65.00	70.00	70.00	95.00	95.00	295.00	295.00
21	उद्यमिता विकास कार्यक्रम की विशेष सम्प्रेक्षा से सम्बन्धित योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	6.23	0.00	0.00	6.23	6.23
22	ए0एम0यू0 में हस्तकला के उन्नयन सम्बन्धी योजना	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	28.00
23	महिला उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.45	0.00	257.45	0.00
24	जिला उद्योग केन्द्रों का भवन निर्माण	94.30	94.30	115.50	83.63	106.36	106.36	120.00	26.74	436.16	311.03
25	रामपुर में हस्तशिल्प सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	129.13	129.13	50.00	0.00	179.13	129.13
	योग (क्रम सं. 1 से 25) (ब)	**1609.83**	**1603.02**	**1785.40**	**1713.19**	**2215.12**	**2090.56**	**3590.87**	**2883.80**	**9201.22**	**8290.57**
	₹ करोड़ में	**16.10**	**16.03**	**17.85**	**17.13**	**22.15**	**20.91**	**35.91**	**28.84**	**92.01**	**82.91**
	कुल योग (अ + ब) ₹ करोड़ में		**130.82**		**26.74**		**47.15**		**142.43**		**347.14**

परिशिष्ट 2.7
(प्रस्तर 2.2.2 में संदर्भित)
संगठनात्मक ढाँचा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) तथा निर्यात प्रोत्साहन (ई0पी0) विभाग

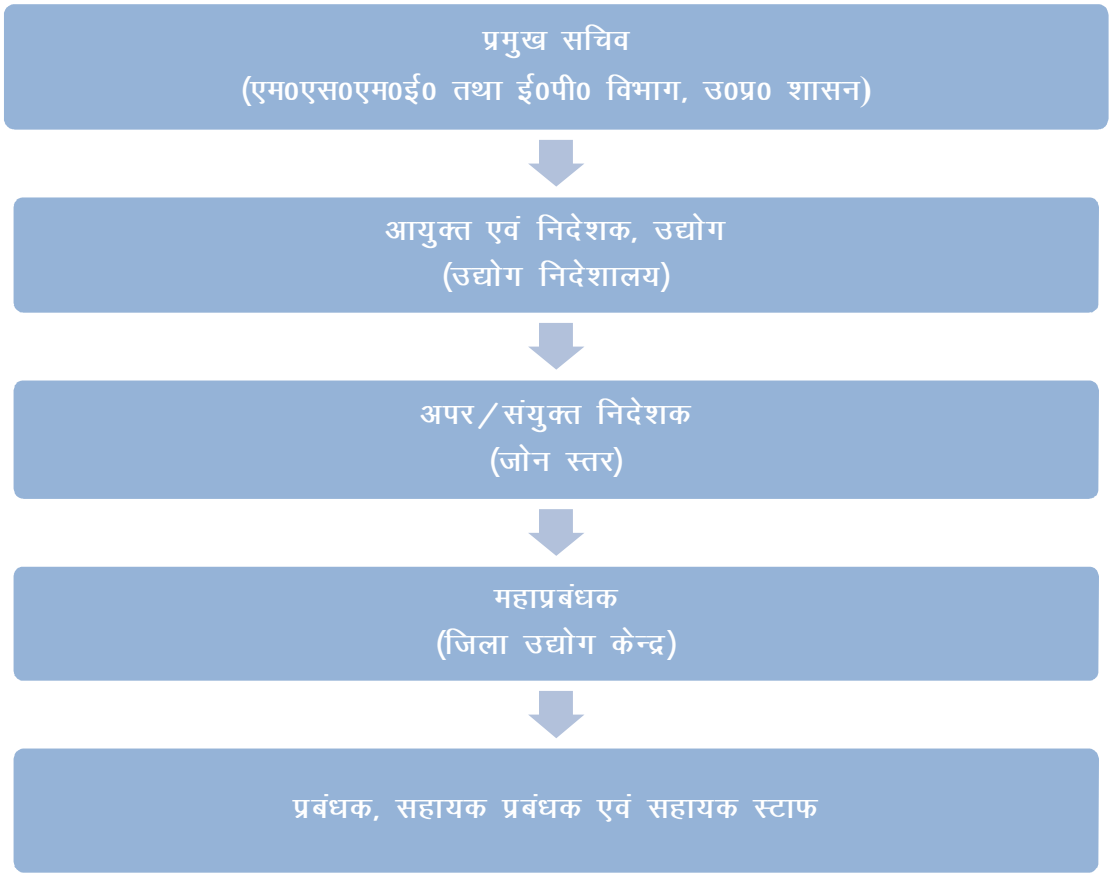

परिशिष्ट 2.8

(प्रस्तर 2.2.5 में सन्दर्भित)

2010–11 से 2013–14 की अवधि में नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित दो चयनित योजनाओं एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित चार योजनाओं पर योजनावार किये गये व्यय को दर्शाती हुयी विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजनाओं के नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
(अ)	भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें					
1	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0)	4049.04	0.00	0.00	2734.61	6783.65
2	सूक्ष्म एवं लद्यु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम0एस0ई0–सी0डी0पी0)	434.57	165.11	0.00	215.18	814.86
	योग (अ)	4483.61	165.11	0.00	2949.79	7598.51
	₹ करोड़ में	44.83	1.65	0.00	29.50	75.98
(ब)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें					
1	औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण की सुविधायें	20.00	0.00	19.83	0.00	39.83
2	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना	67.23	95.79	79.89	90.88	333.79
3	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना	0.39	0.06	0.09	0.09	0.63
4	हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	7.92	35.69	43.61
	योग (ब)	87.62	95.85	107.73	126.66	417.86
	₹ करोड़ में	0.88	0.96	1.08	1.26	4.18
	कुल योग (अ + ब)	4571.23	260.96	107.73	3076.45	8016.37
	₹ करोड़ में	45.71	2.61	1.08	30.76	80.16

परिशिष्ट 2.9

(प्रस्तर 2.2.7.1 में सन्दर्भित)

2008–09 से 2013–14 की अवधि में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कलस्टर प्रस्ताव, अनुमोदित परियोजना लागत एवं इसके सापेक्ष प्राप्त धनराशि को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत				प्राप्त धनराशि			
			भारत सरकार	राज्य सरकार	एस0पी0वी0	कुल	भारत सरकार	राज्य सरकार	एस0पी0वी0	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(अ) हार्ड इन्टर्वेशन									
1	माडंन कार्पेट बैंकिंग प्लांट फॉर टफ्टेड कार्पेट, भदोही	2008-09	360.37	83.75	73.38	517.50	333.00	83.75	73.38	490.13
2	ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी	2008-09	525.00	126.50	223.50	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	लेदर क्लस्टर, गोरखपुर	2009-10	152.06	76.03	25.34	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सीज़र क्लस्टर, मेरठ	2009-10	198.19	148.64	164.59	511.42	0.00	148.64	163.68	312.32
5	होज़री क्लस्टर, कानपुर	2013-14	392.37	112.10	56.06	560.53	0.00	0.00	0.00	0.00
6	टैक्सटाइल प्रिंटिंग, पिलखुआ, गाजियाबाद	2013-14	347.50	198.50	115.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	टूल्स एवं ट्रेनिंग सेंटर, मुरादाबाद	2013-14	1050.00	300.00	187.24	1537.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	15 नमूना जॉच की गयी डी0आई0सी0 का उप योग		**3025.49**	**1045.52**	**845.61**	मात्रा **4916.62** **49.17 करोड़**	**333.00**	**232.39**	**237.06**	**802.45**
8	पॉटरी क्लस्टर, खुर्जा	2009-10	109.74	36.58	36.58	182.90	109.74	36.58	36.58	182.90
9	स्टेनलेस स्टील, ब्रास एवं जर्मन सिल्वर यूटेन्सिल्स क्लस्टर, मिर्जापुर	2012-13	1350.00	0.00	319.00	1669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कार्पेट क्लस्टर, शाहजहाँपुर	2013-14	275.00	0.00	155.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	चिकनकारी क्लस्टर, बाराबंकी	2013-14	104.67	22.42	22.42	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)		**4864.90**	**1104.52**	**1378.61**	**7348.03**	**442.74**	**268.97**	**273.64**	**985.35**
	(ब) अवस्थापना विकास									
12	औद्योगिक अवस्थापना, नुनहाई, आगरा	2013-14	638.96	159.74	0.00	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	औद्योगिक अवस्थापना, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	2013-14	258.86	64.71	0.00	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
14	औद्योगिक अवस्थापना, परतापुर, मेरठ	2013-14	681.90	170.48	0.00	852.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (ब)		**1579.72**	**394.93**	**0.00**	**1974.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	(स) साफ्ट इन्टर्वेशन									
15	ग्लास बीड्स क्लस्टर, वाराणसी	2010-11	3.70	0.42	0.00	4.12	3.70	0.42	0.00	4.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	कार्पेट क्लस्टर, भदोही	2008-09	9.00	1.00	0.00	10.00	9.00	1.00	0.00	10.00
17	स्टील फर्नीचर, लखनऊ	2009-10	7.00	0.80	0.00	7.80	7.00	0.80	0.00	7.80
18	फैन इन्जीनियरिंग क्लस्टर, वाराणसी	2009-10	6.48	0.72	0.00	7.20	6.48	0.72	0.00	7.20
19	सिल्क ब्रोकेड क्लस्टर, वाराणसी	2009-10	6.48	0.72	0.00	7.20	6.48	0.72	0.00	7.20
20	टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर, गाजियाबाद	2009-10	7.00	0.80	0.00	7.80	7.00	0.80	0.00	7.80
21	राइस क्लस्टर, बरेली	2010-11	8.10	0.00	0.90	9.00	8.10	0.00	0.90	9.00
22	ग्लास एवं वुडेन बीड्स क्लस्टर, मेरठ	2010-11	14.00	0.00	1.00	15.00	11.00	0.00	1.00	12.00
23	इम्ब्राइडरी क्लस्टर, मेरठ	2011-12	13.99	0.00	2.18	16.17	10.68	0.00	1.68	12.36
24	आर्टिफीशियल ज्वैलरी क्लस्टर, मेरठ	2012-13	10.32	0.00	2.20	12.52	5.00	0.00	2.20	7.20
25	ब्लैक पाटरी क्लस्टर, आजमगढ़	2010-11	9.54	1.96	1.30	12.80	9.54	1.96	1.30	12.80
26	रेडीमेड गारमेन्ट क्लस्टर, गोरखपुर	2013-14	10.25	0.00	1.15	11.40	5.25	0.00	0.73	5.98
	15 नमूना जॉच की गयी डी0आई0सी0 का उप योग		**105.86**	**6.42**	**8.73**	**मात्रा 121.01 1.21 करोड़**	**89.23**	**6.42**	**7.81**	**103.46**
27	वुलेन दरी क्लस्टर, जौनपुर	2009-10	6.70	0.75	0.00	7.45	6.70	0.75	0.00	7.45
28	जूट वॉल हैंगिग क्लस्टर, गाजीपुर	2009-10	7.11	0.79	0.00	7.90	7.11	0.79	0.00	7.90
29	चिकन इम्ब्राइडरी क्लस्टर, बाराबंकी	2009-10	5.40	0.60	0.00	6.00	5.40	0.60	0.00	6.00
30	मिंट क्लस्टर, बदॉयू	2010-11	4.50	0.00	0.50	5.00	4.50	0.00	0.50	5.00
31	स्क्रीन प्रिटिंग क्लस्टर, फरूंखाबाद	2010-11	4.50	0.00	0.50	5.00	4.50	0.00	0.50	5.00
32	कार्पेट क्लस्टर, शॉहजहापुर	2010-11	9.87	2.06	1.47	13.40	9.87	2.06	1.47	13.40
33	पावरलूम क्लस्टर, मऊ	2010-11	6.79	0.00	1.16	7.95	6.79	0.00	1.16	7.95
34	पावरलूम क्लस्टर, झॉसी	2010-11	4.98	0.56	0.84	6.38	4.98	0.56	0.84	6.38
35	जरी जरदोज़ी क्लस्टर, उन्नाव	2011-12	9.86	0.00	1.58	11.44	6.65	0.00	1.04	7.69
36	गौरा स्टोन क्लस्टर, महोबा	2012-13	10.53	0.00	3.13	13.66	7.05	0.00	0.00	7.05
37	ब्रासवेयर क्लस्टर, संत कबीर नगर	2013-14	11.35	0.00	2.86	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (स)		**187.45**	**11.18**	**20.77**	**219.40**	**152.78**	**11.18**	**13.32**	**177.28**
	37 क्लस्टर प्रस्ताव का महायोग (अ+ब+स)		**6632.07**	**1510.63**	**1399.38**	**9542.08**	**595.52**	**280.15**	**286.96**	**1162.63**
	₹ करोड़ में		**66.32**	**15.11**	**13.99**	**95.42**	**5.95**	**2.80**	**2.87**	**11.62**
	25 परियोजनाओं की लागत जिनमें निधि प्राप्त हुयी (₹ करोड़ में)									**14.17**
	क्रम संख्या 2 एवं 3 पर निरस्त परियोजनाओं की लागत (₹ करोड़ में)									**11.28**

परिशिष्ट 2.10

(प्रस्तर 2.2.7.1 में सन्दर्भित)

नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में मार्च 2014 तक जिला उद्योग केन्द्र वार कुल चिन्हित क्लस्टर प्रस्तावों में से अनुमोदित प्रस्तावों एवं अनुमोदित नहीं हुए प्रस्तावों को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम सख्या	जिला उद्योग केन्द्र के नाम	चिन्हित क्लस्टर प्रस्ताव				अनुमोदित क्लस्टर प्रस्ताव				अनुमोदित न हुए क्लस्टर प्रस्ताव				
		साफ्ट इन्टरवेन्शन	हार्ड इन्टरवेन्शन	योग	धनराशि (₹ लाख में)	साफ्ट इन्टरवेन्शन	हार्ड इन्टरवेन्शन	योग	धनराशि (₹ लाख में)	साफ्ट इन्टरवेन्शन	हार्ड इन्टरवेन्शन	योग	धनराशि (₹ लाख में)	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	लखनऊ	3	1	4	107.60	1	0	1	7.80	2	1	3	99.80	ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों की हस्ताक्षरित प्रति, भूमि एवं भवन का विवरण तथा वित्तीय मानकों एवं यूजर चार्जेज का विवरण न जमा किया जाना
2	अमरोहा	3	2	5	1338.44	0	0	0	0.00	3	2	5	1338.44	क्लस्टर प्रस्तावों का संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार न होना
3	आजमगढ़	1	4	5	3303.53	1	0	1	12.80	0	4	4	3290.73	क्लस्टर प्रस्तावों का संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार न होना एवं प्रार्थना पत्रों को ऑनलाइन जमा न किया जाना
4	बरेली	3	3	6	607.16	1	0	1	9.00	2	3	5	598.16	डी0पी0आर0 एवं एस0पी0वी0 का विवरण न जमा किया जाना
5	मुरादाबाद	3	3	6	4193.14	0	1	1	1537.24	3	2	5	2655.90	राज्य सरकार एवं क्लस्टर के सदस्यों द्वारा कार्य योजना मान्य न किया जाना
6	वाराणसी	5	4	9	4086.49	3	1	4	893.52	2	3	5	3192.97	संशोधित डी0एस0आर0 न जमा किया जाना, डी0पी0आर0 का संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार न होना तथा ऑनलाइन प्रार्थना–पत्र की प्रति न भेजा जाना
7	इलाहाबाद	2	1	3	32.00	0	0	0	0.00	2	1	3	32.00	राज्य सरकार एवं क्लस्टर सदस्यों द्वारा डी0एस0आर0 का मान्य न किया जाना, एक्सन प्लान दिशा–निर्देश के अनुसार न होना एवं डी0पी0आर0 को संशोधित करके न भेजा जाना
8	मेरठ	3	3	6	1040.97	3	1	4	555.1	0	2	2	485.86	डी0पी0आर0 न भेजा जाना
9	गोरखपुर	1	2	3	373.74	1	1	2	264.83	0	1	1	108.91	डी0पी0आर0 राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी स्तर पर है।
10	सीतापुर	2	2	4	961.12	0	0	0	0.00	2	2	4	961.12	डी0पी0आर0 दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	गाजियाबाद	2	2	4	2049.42	1	1	2	669.30	1	1	2	1380.12	डी0एस0आर0 एवं डी0पी0आर0 राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी स्तर पर है।
12	फिरोजाबाद	0	1	1	634.18	0	0	0	0.00	0	1	1	634.18	डी0एस0आर0 एवं डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।
13	भदोही	2	1	3	547.10	1	1	2	527.50	1	0	1	19.60	उद्योग निदेशालय, कानपुर स्तर पर लम्बित है।
14	आगरा	2	1	3	946.25	0	0	0	0.00	2	1	3	946.25	अनुमोदन हेतु भारत सरकार स्तर पर लम्बित है।
15	कानपुर नगर	0	1	1	560.53	0	1	1	560.53	0	0	0	0.00	––
कुल प्रस्तावों की संख्या		**32**	**31**	**63**	**20781.67**	**12**	**7**	**19**	**5037.63**	**20**	**24**	**44**	**15744.04**	
परियोजना लागत (₹ करोड़ में)		**4.62**	**203.19**	**207.81**		**1.21**	**49.17**	**50.38**		**3.41**	**154.03**	**157.44**		

परिशिष्ट 2.11

(प्रस्तर 2.2.8.1 में संदर्भित)

नमूना जाँच किये गये 15 जिला उद्योग केन्द्रों में मार्च 2014 तक औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड आवंटन की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम सं0	जिला उद्योग केन्द्र का नाम	औद्योगिक आस्थान का नाम	वृहत/लघु	क्षेत्रफल (एकड़)	डी0आई0 दर (₹/वर्गमीटर)	मूल्य (1 एकड़ = 4046.86 वर्ग मी0) (₹ लाख में)	उपलब्ध भूखण्ड	आवंटित भूखण्ड	रिक्त भूखण्ड	रिक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल (एकड़ में)	रिक्त भूखण्ड का मूल्य (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7 (7=5*6*4046.86)	8	9	10 (10=8-9)	11 (11=5*10/8)	12 (12=11*6)
1	आगरा	नुन्हाई	वृहत	71.23	2262.00	6520.39	197	197	0	0.00	0.00
		अछनेरा	लघु	2.00	700.00	56.66	30	30	0	0.00	0.00
2	अमरोहा	ज़ोया	वृहत	5.00	1175.00	237.75	23	17	6	1.30	62.02
3	आज़मगढ़	सर्फुद्दीनपुर	वृहत	7.00	6000.00	1699.68	29	29	0	0.00	0.00
		पटरी निज़ामा	वृहत	5.16	1600.00	334.11	148	135	13	0.45	29.35
		बल्देव मन्दुरी	लघु	3.26	101.00	13.32	42	38	4	0.31	1.27
		सुदनी फूलपुर	लघु	3.03	112.00	13.73	40	38	2	0.15	0.69
		लालगंज	लघु	2.25	101.00	9.20	33	33	0	0.00	0.00
		मेंहनगर	लघु	2.50	117.00	11.84	43	0	43	2.50	11.84
4	बरेली	भोजीपुरा	वृहत	38.34	600.00	930.94	89	89	0	0.00	0.00
		सी0बी0 गंज	वृहत	16.90	1500.00	1025.88	73	73	0	0.00	0.00
		मीरगंज	लघु	2.50	1050.00	106.23	55	43	12	0.55	23.18
		फरीदपुर	लघु	1.21	1000.00	48.97	60	60	0	0.00	0.00
		रामनगर	लघु	18.00	350.00	254.95	161	161	0	0.00	0.00
		बिथरी–चैनपुर	लघु	2.50	150.00	15.18	47	47	0	0.00	0.00
		मझगवां	लघु	5.00	150.00	30.35	72	0	72	5.00	30.35
		भदपुरा	लघु	2.50	150.00	15.18	65	0	65	2.50	15.18
		भोरगढ़	लघु	2.50	225.00	22.76	47	0	47	2.50	22.76
		आँवला	लघु	5.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00
5	गाजियाबाद	लोनी	वृहत	25.00	5500.00	5564.43	79	79	0	0.00	0.00
6	मुरादाबाद	हरथला	वृहत	13.99	4100.00	2321.24	71	71	0	0.00	0.00
		मुँडापाण्डेय	लघु	2.00	250.00	20.23	49	15	34	1.39	14.04
		बिल्लारी	लघु	2.00	250.00	20.23	64	64	0	0.00	0.00
		चन्दौसी	लघु	2.50	350.00	35.41	43	43	0	0.00	0.00
7	वाराणसी	चाँदपुर, महेशपुर	वृहत	46.21	3900.00	7293.21	189	185	4	0.98	154.35
		चिरईगाँव, पच0	लघु	3.69	0.00	0.00	43	41	2	0.17	0.00
8	सीतापुर	सर्राह मल्हुई	वृहत	15.83	675.00	432.42	48	43	5	1.65	45.04
		खैराबाद	वृहत	10.00	675.00	273.16	31	31	0	0.00	0.00
		सिधौली	लघु	2.41	462.00	45.06	48	47	1	0.05	0.94
		महमूदाबाद	लघु	2.36	468.00	44.70	82	82	0	0.00	0.00
		मिश्रिक	लघु	2.62	199.00	21.10	81	73	8	0.26	2.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	कानपुर नगर	पनकी	वृहत	19.41	3000.00	2356.49	31	31	0	0.00	0.00
		काल्पी रोड	वृहत	38.00	8000.00	12302.45	108	108	0	0.00	0.00
		चौबेपुर	लघु	3.15	250.00	31.87	54	54	0	0.00	0.00
		घाटमपुर	लघु	4.36	155.00	27.35	50	0	50	4.36	27.35
		पतारा	लघु	3.80	155.00	23.84	60	54	6	0.38	2.38
		बिल्हौर	लघु	6.10	110.00	27.15	46	1	45	5.97	26.56
		ककवन	लघु	6.10	155.00	38.26	46	13	33	4.38	27.45
10	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद	वृहत	10.80	700.00	305.94	50	50	0	0.00	0.00
		फिरोजाबाद	वृहत	40.69	4000.00	6586.67	83	83	0	0.00	0.00
		उसैनी	लघु	5.00	174.00	35.21	94	94	0	0.00	0.00
		टूण्डला	लघु	2.50	246.00	24.89	60	60	0	0.00	0.00
11	भदोही	भैदपुर और हमीदपट्टी, औराई	लघु	4.74	0.00	0.00	59	0	59	4.74	2.17
		ग्यानपुर	लघु	3.15	115.00	14.66	33	25	8	0.76	3.55
12	लखनऊ	तालकटोरा	वृहत	48.66	3135.00	6173.45	161	161	0	0.00	0.00
		मेहनलालगंज	लघु	2.33	135.00	12.73	80	71	9	0.26	1.43
		बख्शी का तालाब मिश्रपुर	लघु	2.33	135.00	12.73	54	48	6	0.26	1.41
		काकोरी	लघु	2.24	135.00	12.24	1	1	0	0.00	0.00
13	गोरखपुर	नाथमलपुर गो0	वृहत	17.45	5500.00	3883.97	72	72	0	0.00	0.00
		खरगुपुरखा जनी0	लघु	2.84	95.00	10.92	40	40	0	0.00	0.00
		हरिहरपुर	लघु	1.99	120.00	9.66	34	32	2	0.12	0.57
		बाँसगाँव	लघु	2.74	98.00	10.87	45	41	4	0.24	0.97
		बड़हलगंज	लघु	4.55	129.00	23.75	75	25	50	3.03	15.84
14	मेरठ	परतापुर	वृहत	40.00	3882.00	6283.96	129	129	0	0.00	0.00
15	इलाहाबाद	नैनी	वृहत	26.94	1000.00	1090.22	37	37	0	0.00	0.00
		फूलपुर	वृहत	25.00	350.00	354.10	52	52	0	0.00	0.00
		सोराँव	लघु	3.00	350.00	42.49	45	45	0	0.00	0.00
		मेजा	लघु	3.00	350.00	42.49	51	27	24	1.41	20.00
		योग		**655.36**		**67156.67**	**3732**	**3118**	**614**	**45.67**	**542.77 (₹ 5.43 करोड़)**
						20 वृहत अवस्थापना उद्योगों की स्थिति	**1700**	**1672**	**28**	**4.38**	**290.77**
						38 लघु अवस्थापना उद्योगों की स्थिति	**2032**	**1446**	**586**	**41.29**	**252.01**

परिशिष्ट 2.12

(प्रस्तर 2.2.8.2 में संदर्भित)

जिला उद्योग केन्द्र बरेली और कानपुर नगर में 39 आवंटित भूखण्ड जिन्हें निरस्त नहीं किया गया है, को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम सं.	जिला उद्योग केन्द्र का नाम	औद्योगिक आस्थान का नाम	वृहत / लघु	आवंटन की अवधि	क्षेत्रफल (एकड़)	आवंटन की डी0 आई0 दर (अगस्त 2011) (₹ / वर्ग मीटर)	कुल भूखण्ड	विचाराधीन भूखण्डों का विवरण			
								वह भूखण्ड जिनमें इकाईयाँ स्थापित नहीं की गई हैं	निर्माणाधीन भूखण्ड	कुल	धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (11=9+10)	12 (12=11*6*4046.86*7/8)
1	बरेली	भोजीपुरा	वृहत	1983-2010	38.34	600	89	5	10	15	156.90
2	बरेली	सी0बी0 गंज	वृहत	1983-2006	16.90	1500	73	0	6	6	84.32
3	बरेली	मीरगंज	लघु	1989-2002	2.50	1050	55	16	0	16	30.90
4	कानपुर नगर	पनकी	वृहत	2009	19.41	3000	31	1	0	1	76.02
5	कानपुर नगर	काल्पी रोड	वृहत	2010	38.00	8000	108	1	0	1	113.91
योग					115.15		356	23	16	39	462.05 माना (₹ 4.62 करोड)
1 एकड़ = 4046.86 वर्ग मीटर											

परिशिष्ट 2.13

(प्रस्तर 2.2.9 में संदर्भित)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण के व्यवसायों का विवरण

क्रम सं0	व्यवसायों के नाम
1	कारपेन्टरी
2	प्लम्बरिंग
3	सिक्योरिटी गार्ड
4	मेडिकल नर्सिंग
5	दो पहिया मरम्मत
6	टायर पंक्चर मरम्मत
7	ट्रेक्टर मरम्मत
8	इलेक्ट्रिक मीटर रिपेयरिंग
9	छोटे विद्युत उपकरणों को बनाना एवं विद्युत मरम्मत
10	मिस्त्री
11	बैम्बू क्राफ्ट
12	कालीन एवं दरी बुनाई
13	बोरिंग मेकैनिक
14	लेथ मशीन मेकैनिक
15	इलेक्ट्रिशीयन
16	साड़ी की इम्ब्राइडरी एवं प्रिन्टिंग
17	टेलरिंग

परिशिष्ट 2.14

(प्रस्तर 2.2.10.1 में संदर्भित)

हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना में 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान 69 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा धनराशि के उपयोग की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम सं.	जिला उद्योग केन्द्र का नाम	अवमुक्त निधि		उपयोग की गई निधि		प्रतिशत उपयोग	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1	भदोही	2.00	3.14	0.00	3.14	0.00	100.00
2	आगरा	2.00	3.50	2.00	3.50	100.00	100.00
3	इलाहाबाद	1.80	3.00	0.20	1.89	11.11	63.00
4	आजमगढ़	1.80	2.00	0.40	0.30	22.22	15.00
5	बरेली	1.90	3.00	0.65	3.00	34.21	100.00
6	फिरोजाबाद	2.00	3.00	0.19	1.62	9.50	54.00
7	कानपुर नगर	1.80	3.00	0.21	2.19	11.67	73.00
8	मुरादाबाद	2.00	5.00	2.00	5.00	100.00	100.00
9	वाराणसी	2.00	3.50	0.00	3.50	0.00	100.00
10	अमरोहा	1.60	2.00	1.60	2.00	100.00	100.00
11	लखनऊ	2.25	3.00	0.50	1.64	22.22	54.67
12	मेरठ	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00
13	गोरखपुर	2.00	3.00	0.17	2.74	8.50	91.33
14	गाजियाबाद	2.00	2.00	0.00	1.98	0.00	99.00
15	सीतापुर	0.00	1.50	0.00	0.20	0.00	13.33
15 नमूना जाँच किये गये डीआईसी का उप–योग		**27.15**	**43.64**	**7.92**	**35.70**		
16	मथुरा	1.80	2.00	0.00	1.40	0.00	70.00
17	मैनपुरी	1.60	2.00	0.80	0.99	50.00	49.50
18	अलीगढ़	2.00	2.00	0.18	1.98	9.00	99.00
19	कांशीराम नगर	1.50	2.00	0.00	0.20	0.00	10.00
20	एटा	1.60	2.00	0.08	1.10	5.00	55.00
21	हाथरस	1.40	2.00	1.40	0.36	100.00	18.00
22	फतेहपुर	1.50	2.00	0.00	0.20	0.00	10.00
23	प्रतापगढ़	1.60	2.00	0.04	0.40	2.50	20.00
24	**कौशाम्बी**	***1.40***	***1.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
25	**बलिया**	***1.40***	***2.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
26	मऊ	1.30	2.00	0.00	0.10	0.00	5.00
27	बदायूं	1.60	2.00	0.00	1.35	0.00	67.50
28	पीलीभीत	1.80	1.50	0.00	1.50	0.00	100.00
29	शाहजहांपुर	1.60	3.00	0.00	2.61	0.00	87.00
30	बस्ती	3.10	4.00	0.40	1.64	12.90	41.00
31	सिद्धार्थनगर	1.60	2.00	0.00	1.27	0.00	63.50
32	बांदा	1.80	2.00	0.00	0.17	0.00	8.50
33	**हमीरपुर**	***1.60***	***2.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
34	**महोबा**	***1.60***	***1.86***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
35	**चित्रकूट**	***1.80***	***2.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
36	गोंडा	1.80	2.00	1.28	1.78	71.11	89.00
37	बहराईच	1.80	2.00	0.36	1.41	20.00	70.50
38	श्रावस्ती	1.50	2.00	1.16	1.22	77.33	61.00
39	फैजाबाद	1.80	3.00	1.75	3.00	97.22	100.00
40	सुल्तानपुर	1.80	2.00	1.72	1.99	95.56	99.50

क्रम सं0	जिला उद्योग केन्द्र का नाम	अवमुक्त निधि		उपयोग की गई निधि		प्रतिशत उपयोग	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
41	बाराबंकी	1.80	3.00	0.87	1.83	48.33	61.00
42	अम्बेडकरनगर	1.80	2.00	1.79	2.00	99.44	100.00
43	**कुशीनगर**	***1.60***	***2.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
44	देवरिया	1.80	2.00	0.00	0.60	0.00	30.00
45	महराजगंज	1.80	2.00	0.00	1.81	0.00	90.50
46	झांसी	1.80	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00
47	ललितपुर	1.80	2.00	0.00	1.98	0.00	99.00
48	**जालौन**	***1.80***	***1.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
49	**कानपुर देहात**	***1.50***	***2.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
50	इटावा	3.30	4.00	0.00	1.35	0.00	33.75
51	फर्रूखाबाद	1.80	3.00	0.00	0.10	0.00	3.33
52	**कन्नौज**	***1.80***	***1.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
53	रायबरेली	1.80	2.00	0.00	0.10	0.00	5.00
54	उन्नाव	1.80	1.50	0.00	1.50	0.00	100.00
55	**हरदोई**	***1.50***	***1.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
56	**लखीमपुरखीरी**	***1.60***	***1.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
57	बागपत	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	100.00
58	बुलंदशहर	3.60	2.00	1.51	2.00	41.94	100.00
59	गौतमबुद्ध नगर	2.00	1.50	0.00	0.56	0.00	37.33
60	रामपुर	2.00	2.00	0.10	1.90	5.00	95.00
61	बिजनौर	1.60	2.00	0.00	1.84	0.00	92.00
62	मिर्जापुर	2.00	1.50	0.00	1.50	0.00	100.00
63	**सोनभद्र**	***1.50***	***1.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
64	सहारनपुर	2.00	5.00	1.06	4.97	53.00	99.40
65	गाजीपुर	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	100.00
66	चंदौली	1.50	1.50	0.00	0.20	0.00	13.33
67	बलरामपुर	1.60	0.00	1.46	0.00	91.25	0.00
68	**मुजफ्फरनगर**	***1.60***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
69	**जौनपुर**	***1.50***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
	कुल योग	**122.65**	**150.00**	**23.88**	**89.61**		
	₹ करोड़ में	**1.23**	**1.50**	**0.24**	**0.90**		

परिशिष्ट 3.1

(प्रस्तर 3.1 में सन्दर्भित)

मोबिलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज की हानि की गणना को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ में)

मोबिलाईजेशन अग्रिम	अवधि	ब्याज की दर	ब्याज राशि	टिप्पणी
2,11,00,000	17.03.2009 to 30.09.2014	15 *प्रतिशत*	1,75,41,904	अनुबंध के अनुसार ब्याज दर
कुल ब्याज			1,75,41,904	
उपलब्ध जमानत धनराशि			42,74,000	
ब्याज आय की हानि			**1,32,67,904**	

परिशिष्ट 3.2

(प्रस्तर 3.2 में सन्दर्भित)

ब्याज की हानि की गणना को दर्शाती हुई विवरणी

सम्पत्ति की कुल लागत (भूमि की लागत + फ्रीहोल्ड शुल्क) **(₹)**	16,54,00,032
मांग के सापेक्ष समय के अन्दर जमा की हुयी धनराशि **(₹)**	5,46,46,382
निर्धारित अवधि में भुगतान न की गयी धनराशि **(₹)**	**11,07,53,650**

आवंटन की तिथि	जमा करने की देय तिथि (आवंटन के 60 दिनों के अन्दर)	प्रारम्भिक अवशेष (₹)	धनराशि जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा की गयी धनराशि (₹)	अन्तिम अवशेष (3-5) (₹)	लम्बित अवधि	जमा में हुयी देरी (दिन में) (कॉलम 4-2)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (कॉलम सं. 3 पर) (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.05.2011	03 मई 2011	1,10,753,650	11 मई 2011	2,00,00,000	9,07,53,650	03.05.2011 to 11.05.2011	8	1,45,648.64
	12 मई 2011	9,07,53,650	13 जून 2011	3,00,00,000	6,07,53,650	12.05.2011 to 13.06.2011	32	4,77,389.06
	14 जून 2011	6,07,53,650	31 अक्टूबर 2011	6,07,36,550	17,100	14.06.2011 to 31.10.2011	139	13,88,179.29
	योग							**20,11,216.99**

परिशिष्ट 3.3

(प्रस्तर 3.4 में सन्दर्भित)

रॉयल्टी की कम वसूली को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	यूपीएफसी द्वारा त्यागपत्र के अनुसार वास्तविक उत्पादन (घन मी0)	यूपीएफडी के विक्रय पत्र/आवंटन पत्र के अनुसार अनुमानित उत्पादन (घन मी.)	मात्रा में अन्तर (घन मी.)	मात्रा के अन्तर पर रायल्टी (₹)
1	डीएफओ वन्य जीव प्रभाग, सोहागीबरवा, महराजगंज	825.4152	641.2790	184.1362	29,87,653.00
2	डीएफओ वन्य जीव प्रभाग, सोहेलवा, बलरामपुर	4355.6344	1805.4678	2550.1670	4,44,07,645.00
3	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रायबरेली	1987.0481	1205.7991	781.2490	36,13,393.00
4	डीएफओ वन्य जीव प्रभाग, कतरनियाघाट, बहराइच	1280.9449	888.0282	392.9167	56,03,248.00
5	प्रभागीय वन्य अधिकारी, वन प्रभाग, फैजाबाद	452.9605	159.9579	293.0026	22,31,143.91
6	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी	2925.4449	2410.7480	514.6969	32,86,844.00
	योग	**11827.4480**	**7111.2800**	**4716.1700**	**6,21,29,926.91**

परिशिष्ट 3.4

(प्रस्तर 3.5 में सन्दर्भित)

ब्याज की हानि को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	वर्ष	न्यूनतम वार्षिक अवशेष (₹ करोड़ में)	ब्याज दर में अन्तर (10.99–6.75) एवं (9.25-6.75) प्रति वर्ष (प्रतिशत में)	एक वर्ष के लिए ब्याज (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5=(3x4/100)
1	2011-12	26	4.24	1.10
2	2012-13	24	4.24	1.02
3	2013-14	47	2.50	1.17
योग				3.29

शब्दावली

संक्षेपण	विस्तारित
ए/सी	खाता
अधिनियम	उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास विभाग अधिनियम, 1973
एडीएम (एलए)	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (भूमि अधिग्रहण)
एजी	महालेखाकार
एआर	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एटीएन	अनुपालन आख्या
प्राधिकरण	कानपुर विकास प्राधिकरण
बीओए	प्राधिकरण बोर्ड
सी एण्ड एजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र
घन मी	घन मीटर
डीआई	औद्योगिक निदेशालय
डीआईसी	जिला उद्योग केन्द्र
डीओएफ	उत्तर प्रदेश वन विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डीएसआर	डाइगनोस्टिक स्टडी रिपोर्ट
ई एण्ड आरएसए	आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा
ईपी	निर्यात प्रोत्साहन
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ईएक्सपी	खर्च
एफएआर	भू–आच्छादित अनुपात
एफडीआर	सावधि जमा प्राप्तियाँ
जीएम	महाप्रबन्धक
जीओआई	भारत सरकार
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
एचडीओएल	हिन्दुस्तान डोर ऑलिवर लिमिटेड
एचयूपीडी	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
आइडिया	इण्ट्रेक्टिव डाटा एक्सट्रेक्शन एवं एनालिसिस
आईईएस	अवस्थापना आस्थान
आईआर	निरीक्षण प्रतिवेदन
जेबीपीएल	ज्योति बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
केडीए	कानपुर विकास प्राधिकरण
केवीआईसी	खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग
एलएए	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
एमएसई–सीडीपी	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (क्लस्टर विकास कार्यक्रम)
एमएसई	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
एमएसकेजेएसजीएवाई	*मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी ग्रामीण आवास योजना*
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एसएआर	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

संक्षेपण	विस्तारित
एससी	अनुसूचित जाति
एससीपी	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
एसएलएओ	राज्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी
एसपीवी	स्पेशल पर्पज व्हीकल
वर्ग फी	वर्ग फीट
वर्ग मी	वर्ग मीटर
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीपी	अपशिष्ट उपचारित संयंत्र
यूपीईआरसी	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
यूपीएफसी	उत्तर प्रदेश वन निगम
यूपीएफडी	उत्तर प्रदेश वन विभाग
यूपीपीसीबी	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड
वीसी	उपाध्यक्ष

Filename: Appendixes.docx
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: 31 ekpZ 2014 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, ys[kk ijh{kk izfrosnu ¼vkfFkZd {ks=&xSj lkoZtfud {ks= ds miØe½
Subject:
Author: Anil Kumar Gupta
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/26/2015 9:49:00 PM
Change Number: 732
Last Saved On: 2/20/2015 7:02:00 PM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 1,384 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 7:03:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 41
Number of Words: 8,592 (approx.)
Number of Characters: 48,975 (approx.)